राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का २१वां दिवस [संख्या १३

सोमवार, दिनांक २ अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, आयुर्वेद, शिक्षा, सिंचाई, योजना एवं खनिज-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

लगान वसूली के नियमों में संशोधन

६७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

१. क्या यह सही है कि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के वक्त काश्तकारों से लगान वसूली फसल बोने से फसल काटने तक के समय में नहीं ली जाती थी तथा अब इस समय में वसूली की जाती है?

२. क्या सरकार लगान वसूली के नियमों में रेगिस्तानी इलाकों के लिए उपरोक्त प्रकार का संशोधन करने का विचार रखती है?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। किन्तु अब भी फसल खरीफ की वसूली के लिए १ फरवरी और फसल रबी के लिए १ जुलाई नियत की हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आवाज नहीं आ रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) जी हां। किन्तु अब भी फसल खरीफ की वसूली के लिए १ फरवरी और फसल रबी के लिए १ जुलाई नियत की हुई है।

(२) रेगिस्तानी इलाकों के लिए लगान

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वसूली सम्बन्धी नियमों में किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती, क्योंकि अब भी लगान वसूली फसल काटने के बाद की जाती है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह जो १ फरवरी सरकार ने नियत की है वह तो सरकार लैंड रेवेन्यू ड्यू हो जाता है और कोई नहीं देता है तो सरकार इन्ट्रेस्ट चालू करती है; पर प्रश्न इतना ही है कि किसान फसल बोता है तो उस समय सरकार लगान वसूली चालू रखती है इसलिए इसके द्वारा यह मांग की गई है कि फसल काटने के पूर्व तक सरकार लगान की वसूली स्थगित कर दे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फसल काट चुकता है तब ही वसूली होती है। ५६ के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये, पहले से बदल दिया है।

श्री भीमसेन : जुलाई से नयी फसल शुरू होती है तो जुलाई से अक्टोबर तक सरकार की वसूली चालू रहती है। इसलिए इस पीरियड में किसान को पैसे की आवश्यकता रहती है इसलिए वसूली स्थगित रखी जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्रम तो बराबर बना रहेगा क्योंकि दो फसलें होती हैं।

श्री भीमसेन : मैं तो खरीफ के लिए अर्ज कर रहा हूँ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : १ फरवरी से वसूल करते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : एरियर्स बाकी हों तो फसल काटने से पूर्व वसूली स्थगित रखी जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एरियर्स होंगे तो कभी भी वसूल हो सकेंगे। अवधि मुकर्रर कर रखी है उसके अनुसार ही वसूली करते हैं।

श्री भीमसेन : जुलाई से अक्टोबर के बीच में किसानों को धन की आवश्यकता रहती है क्योंकि बोवनी और फसल का समय रहता है, इसलिए पिछली बकाया को इस बीच में स्थगित रखें। यह एक फसली इलाका है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का केवल आपका सवाल है। लेकिन हो सकता है कि जहां दो फसलें होती हों तो इतना अन्तर कैसे डाला जा सकता है?

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार इसको एक नीति के रूप में स्वीकार करती है कि फसल बोने के समय वसूली न हो, काट चुके तब वसूली हो?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एरियर हो तो फसल काटने तक जमा कराना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : पिछला बकाया न दे सके तो किसान से कई तरीकों से वसूल किया है, कुर्की करके वसूल किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : समय बताया है उस समय पर वसूली की जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : इस नीति को

(श्री मुरलीधर व्यास)

सरकार किसान के हित में स्वीकार करती है कि नहीं कि बोवनी के वक्त लगान वसूल नहीं करेगी ?

श्री रामप्रसाद लाड्ढ़ा : पहले दे दे अगर ड्यु हो गया हो तो ।

श्री मुरलीधर व्यास : दे दें तो अच्छी बात है । न दें तो फसल बोने व काटने के बीच में जो तीन महीने का समय हो तो सरकार अपनी ओर से प्रेस नहीं करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : व्याज देना होगा, अगर ड्यु होगा तो देना चाहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : व्याज तो किसान देने को तैयार हो जायगा, लेकिन क्या आप इसको नीति के रूप में स्वीकार करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : जब लगान ड्यू हो जाय और ड्यू होने की तारीख निश्चित कर दी गई है तो देना चाहिये । अगर कोई देरी करता है तो उसका व्याज देना होता है । यदि किसान देने को तैयार रहता है तो उसको पहले ही पटवारी के पास जाकर स्वतः जमा करा देना चाहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके मांग-पत्र ही देरी से निकलते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : मांग पत्र समय पर पहुँच जाय, इसकी हम व्यवस्था कर सकते हैं । मांग-पत्र समय पर जारी हो जाय, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर देंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल(कोटा) : एरियर्स के लिये आपने टाइम लिमिट तय की है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : समय तो निश्चित किया ही गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा सवाल यह है कि एरियर्स जो ड्यू हो जाते हैं उसके लिये कौन सा समय निश्चित किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : ड्यू होने के बाद एरियर्स हो जाते हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एरियर्स की जो वसूली होती है उसके लिये भी क्या यही समय निश्चित किया हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : जब इन तारीखों को ड्यू हो जाता है तो उसके बाद वसूली की कार्यवाही चालू हो जाती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : फसल बोने के समय ताकीद होती है । उस समय तो बेचारा किसान दूसरों से उधार कर बीज आदि लाता है । उस समय वसूली होती है तो किसान बहुत परेशान हो जाता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : यह अकेला अलग से प्रश्न नहीं है रेन्ट ज्यों ही ड्यू हो जाता है उसे देना चाहिये । यह ठीक है कि मांग-पत्र समय पर मिल जाना चाहिये । इसके लिये व्यवस्था की जा सकती है । अगर रेन्ट देने में देरी करता है तो व्याज देना पड़ेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस समय ताकीद आपकी ओर से होती है उस समय उसके फसल बोने का समय होता है । उस समय वैसे ही उसके पास पैसा नहीं रहता, कर्जा

Page No. 4

(श्री मुरलीधर व्यास)

लेकर बीज आदि खरीद कर काम करता है; उस समय वसूली न की जाय, इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : कभी ऐसा हो सकता है कि मांग-पत्र समय पर तैयार नहीं होते और फसल बोने के समय तैयार होते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि मांग-पत्र समय पर और जल्दी से जल्दी तैयार हो जायं और उनके पास पहुँच जायं तो वसूली में सुविधा हो सकती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : समय पर मांग-पत्र पहुँच जाय, इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी; यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। इसके बारे में, सुविधा देने के बारे में विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जीवराज।

राज्य में नये औषधालयों का खोला जाना

६८. **श्री जीवराज** (गुढ़ा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राज्य में इस वर्ष कितने नये औषधालय खोलने की योजना है ?

(ख) औषधालय के लिये उपयुक्त स्थानों को किस आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी ?

(ग) झुंझुनूं जिले में कितने औषधालय किस किस स्थान पर खोले जावेंगे ?

उप मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (क) सन् १९६२-६३ में १०० नवीन 'स' श्रेणी के आयुर्वेद एवं यूनानी औषधालय खोले जाने की योजना है।

(ख) सम्बन्धित विषय में जिला परिषद द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में प्राथमिकता लिये हुए स्थान जहां निःशुल्क भवन व्यवस्था, आवागमन के सुगम साधन, ५ मील के क्षेत्र में अन्य चिकित्सालय न हों, जन संख्या १ हजार से ३ हजार के बीच हो। इन्हीं आधारों पर औषधालयोपयुक्त स्थानों का चयन किया जाकर औषधालय खोले जाते हैं।

(ग) इस जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा औसतन औषधालय पहले ही अधिक हैं। जिला परिषद के सुझावों पर ही निर्णय लिया जावेगा कि औषधालय कहां खोले जायं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या यह भी सरकार की स्कीम है कि जहां औषधालय खुले हुए हैं उनको बंद कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराज।

श्री जीवराज : मेरा मतलब यह जानने का था कि गांवों के अन्दर लोगों ने अपने श्रम से और पैसे से भवन तैयार कर दिये हैं उसके लिये उन्होंने सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं ली, गांव वालों ने अपने श्रम से बिल्डिंग तैयार की क्या उनको औषधालय खोलने के लिये प्राथमिकता दी जायेगी; नहीं तो उनके उत्साह में कमी हो जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने अपने प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में निवेदन किया था कि औषधालय खोलने के कुछ आधार

(श्री दौलतराम सारण)

हैं। जिला परिषद के सुझावों के आधार पर ध्यान रखा जाता है। उसके बाद भी सरकार के पास जितना धन उपलब्ध होता है उसी के अनुसार औषधालय खोलती है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या खुले हुए औषधालयों को बन्द करने का तो विचार सरकार का नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य के ये अपने विचार हो सकते हैं।

श्री जीवराज : जिला परिषद की जिसके लिये सिफारिश नहीं हो तो वैसी हालत में क्या जो इस प्रकार के कार्य जनता द्वारा होते हैं उनको बन्द कर दिया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार अपनी सुविधा के अनुसार औषधालय खोलती है। मान लीजिये एक साथ पांच हजार औषधालय खोलने की सिफारिश आ जाती है तो एक साथ तो सरकार खोल नहीं सकती, जितना बजट में प्रावधान होता है उसी के अनुसार खोले जाते हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक हजार से ऊपर जिस गांव की आबादी है वहां औषधालय खोलने की नीति है ? जनता ने भवन बना दिया तो क्या सरकार ऐसे स्थान पर औषधालय खोलने का विचार करती है ?

श्री दौलतराम सारण : जिला परिषद के मार्फत सिफारिश लाइये तो विचार किया जायेगा।

श्री विजयसिंह झाला : क्या सरकार के पास जिलेवार औषधालय खोलने की कोई योजना है ? अगर है, तो क्या आप यह बतलायेंगे कि किस जिले में कम किस जिले में ज्यादा है ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार के पास यह सब जानकारी है।

श्री विजयसिंह झाला : तो आप यह बता सकते हैं कि औषधालय खोलने में किन किन स्थानों को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : यह आपका सवाल अलग से है। जो सवाल पूछा गया वह यह कि "राज्य में इस वर्ष कितने नये औषधालय खोलने की योजना है ? झुंझनूं जिले में कितने औषधालय किस किस स्थान पर खोले जावेंगे ?"

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह था कि 'कहां कहां औषधालय खोले जाने वाले हैं ?' उसके अन्तर्गत मेरा अनुपूरक प्रश्न उचित है।

श्री दौलतराम सारण : जो सूचना चाही गई थी वह मैंने दे दी है। आपका सवाल अलग है। इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : मेरा सवाल नया नहीं है। यह इसी में आ जाता है कि कहां कहां औषधालय खोल रहे हैं और क्या आधार है।

श्री दौलतराम सारण : कहां कहां औषधालय खोले जावेंगे और उसका क्या आधार है, यह बतला चुका हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : किस नीति के आधार पर है, यह जानकारी जो दी है उससे स्पष्ट है कि किस किस जिले में औषधालय खोलने का विचार है ; तो मैं यही जानना चाहता हूं कौन से जिले ऐसे हैं जहां पहले औषधालय खोले जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि जिन जिलों में प्राथमिकता देने वाले हैं उन जिलों में ज्यादा खुलवायें जायं।

आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई) : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि औषधालय कहां और कितने कितने हैं और कहां कहां आवश्यकता है, इस सब की जानकारी विभाग के पास मौजूद है । प्रश्न इसमें अनुपूरक सवाल का है। आपके द्वारा जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब भी आना चाहिए, यदि यही सदन की इच्छा है तो हम उस तरह से तैयारी करके आया करेंगे। लेकिनजितना सवाल का स्कोप है उतना जवाब दिया जा चुका है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : जिला परिषद की सिफारिश के बगैर भी औषधालय खोले जा सकते हैं या नहीं ?

श्री भीखाभाई : अगर कोई विशेष स्थिति ऐसी हो तो खोला जा सकता है।

श्री हरिराम चौहान : वह विशेष स्थिति क्या होगी ?

श्री भीखाभाई : विशेष स्थिति यह कि आप आग्रह करें तो उस आग्रह पर सिर झुकाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसे आग्रह तो फिर सब करने लग जाएंगे।

श्री हरिराम चौहान : जिला परिषद की जो सिफारिश आती है उसका फिर क्या महत्व रहता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भू स्वामियों से अवधि समाप्त होने से पूर्व उनको दी गई तकावियों की रकम की वसूली।

६६. **श्री जीवराज** (गुढ़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जागीरदारों के पुनः संस्थापन हेतु झुंझनूं जिले के कुछ भूस्वामियों को बिना ब्याज ऐसी तकावियां दी गई जो १० वर्ष में भुगतान योग्य थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वे तकावियां अवधि समाप्त होने के पूर्व ही वसूल की जाने लगी हैं ?

(ग) यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(क) जी हां।
(ख) जी हां।

(ग) जो भूस्वामी नियमानुकूल तकावी पाने के अधिकारी नहीं थे और जिनको गलती से तकावी दे दी गई उनसे वापिस वसूल की जा रही है।

श्री कृष्णकुमारगोयल (कोटा) : क्या यह सत्य है कि कुछ भूस्वामियों को बिना जमानत लिए तकावी दे दी गई केवल पर्सनल बोन्ड्स पर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बात यह है कि भूस्वामियों को जो तकावी दी गई थी वहां इस प्रकार हो गया। उनको तकावी देते वक्त ध्यान नहीं रहा, राजस्थान रीहेबिलिटेशन एक्ट की दफा १५ के तहत यह तकावी उन लोगों को दी जा सकती थी जिनको खुद काश्त के लिए जमीन दी हो। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको रिहेबिलीटेशन ग्रान्ट दे दी गई; यह बात बाद में मालूम हुई। अब वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिन भूस्वामियों को तकावी दी गई उनकी जमानत ली गई थी या परसनल बोन्ड्स पर दे दी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमानत के डिटेल्स मुझे मालूम नहीं।

श्री जीवराज : तो मेरा यह प्रश्न था कि जो तकावी के नाम से उनको तकावी मिली, चाहे किसी की गलती से मिली हो, वह तकावी अपनी योजनाओं पर उन्होंने खर्च कर दी। अब सरकार उसे एकदम वसूल करना चाहती है तो यह कहां तक न्यायोचित है ? वे अब पैसा कहां से लावेंगे। इसलिये वह हुक्म वसूली का वापिस लिया जावे और उसको तकावी लोन ही ट्रीट किया जाकर उसकी तरह से ही वसूल किया जावे; एक दम नहीं। आखिर वह तो लोन है ही। जो वसूली हो गई है उसे भी वापिस दे दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १८ हजार की वसूली अभी तक हुई है। बाकी अभी तो बहुत है। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि इसे ऑर्डिनेरी तकावी लोन ट्रीट किया जाये या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कुल रकम कितनी है, इस तरह की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १,५५ हजार।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह गलती आवेदन कर्ताओं को थी या सरकार की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बोनाफाइडी मिस्टेक थी कलेकटर की। उसने इसे रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट समझ कर दे दिया। ऑडिट ऑब्जेक्शन जब हुआ तब मालूम पड़ा। अब गलती को ठीक करने के लिये रीयेलाइजेशन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस नतीजे पर आप बाकायदा जांच करने के बाद पहुंचे हैं कि यह मिस्टेक बोनाफाइडी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जांच की आवश्यकता नहीं। उस वक्त एप्लीकेशन फार्म इसके छपे हुए नहीं थे। एप्लीकेशन्स पर ही ग्रान्ट कर दी गई थी। अब सेक्शन १५ के लिये लोन वही पा सकते हैं जिनकी खुदकाश्त जमीन हो। तो इसकी स्क्रुटिनी करने से रह गया। इस डिफेक्ट का पता ऑडिट रिपोर्ट के वक्त लगा।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन और पूछना है। इससे लोगों के साथ हार्डशिप होगी ?

Page No. 8

श्री अध्यक्ष : यह तो वह भी कह रहे हैं कि वे इस पर सोच रहे हैं।

नेक्स्ट !

बीकानेर डिविजन के खारे पानी वाले इलाका की पानी समस्या

७०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बीकानेर डिविजन के खारे पानी वाले इलाकों की पानी की समस्या को सुलझाने के लिए राजस्थान नहर का पानी ऊंचा उठा कर चैनलों द्वारा पहुंचाने की योजना का सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने उस सुझाव पर किस प्रकार अब तक अमल किया ?

उप-मन्त्री, सिंचाई : (**श्री** दौलतराम सारण) : जी हां। सुझाव पर चीफ इन्जीनियर, हैल्थ व चीफ इन्जीनियर राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को सम्मति मांगी गई थी और अभी मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो कहा है न कि विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : पर कब से, भीमसेनजी लगातार पिछले पांच सालों से यह प्रश्न करते आ रहे हैं। आखिर विचाराधीन की भी सीमा तो होगी ?

श्री दौलतराम सारण : ४।८।६१ कृपया दिनांक देखने का कष्टकरें। ४।८।६१ को प्रश्नकर्त्ता ने चीफ मिनिस्टर को एक लैटर लिखा। इसके बाद यह मामला राजस्थान कैनाल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर को भेज दिया गया उनकी सम्मति के लिये और तभी से यह विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो इसमें क्या विचार हो रहा है, कुछ यह भी बताने की कृपा करेंगे ? लिफ्ट के जरिये कोई पानी पहुंचाने का निर्णय ले लिया है और अब कार्यरूप में परिणित करने का विचार चल रहा है या क्या विचार चल रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : इसमें यह प्रश्न एग्जामिन हो रहा है कि उस नहर से पेरीनियल होने से पहले पानी दिया जा सकता है या नहीं। इसमें फिर कई तरह के प्रश्न हैं, किस तरह से स्कीम बनेगी, कहां से कैसे पानी उठाया जावेगा। ये सब डिटेल के प्रश्न हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियरों को मामला भेजा गया। अब उन्होंने सोच समझकर जांच करके इतना तो तय किया होगा कि पानी पहुंचाया जा सकता है। अब कब और कैसे पहुंचाया जावेगा; यह प्रश्न अलग हो सकता है।

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर दूं कि जितनी अधिक व्यग्रता आपको है, उससे अधिक सरकार को है। सरकार उत्सुक

(श्री दौलतराम सारण)

है कि प्यासे लोगों को पानी मिले। अब कैसे और कब तक दिया जावे यह प्रश्न विचाराधीन है।

हायर सेकिण्डरी स्कूल का खोला जाना—तहसील जयपुरवाटी

७१. **श्री जीवराज** (गुढा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उदयपुरवाटी तहसील के चिराना व पचलंगी कस्बों में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की कोई योजना है ?

(ख) क्या यह सही है कि वहां के निवासियों ने शिक्षा विभाग की मंशा के माफिक भवन निर्मित कर लिये हैं ?

(ग) क्या सरकार अगले वर्ष वहां हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा : (श्री परसराम मदेरणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। जो कुछ भी भवन चिराना व पचलंगी के निवासियों ने बनवाये हैं वे शिक्षा विभाग की आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं हैं।

(ग) अभी तक कोई सुझाव सरकार के पास नहीं आया है।

श्री जीवराज : पहले का भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप एक दम खड़े होकर पूछ लिया करें।

श्री जीवराज : मेरा तो यह निवेदन था कि जो तकावी का कर्जा दिया तो वह कर्जा तो योजनाओं में खर्च कर दिया। अगर वह कर्जा योजनाओं में खर्च नहीं किया हो तो जांच कर लें और वसूल कर लें। पर अगर खर्च कर दिया है तो सरकार को पहले देखना था। सरकार की भूल हुई पर इसका दण्ड तुरन्त वसूली के रूप में उनको क्यों दिया जा रहा है ? इसे तकावी के लोन की तरह से ही वसूल करना चाहिये, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : अब इसे तकावी के तौर ट्रीट करें या नहीं; यही तो प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और यही कहा है।

श्री जीवराज : अब चाहती है सरकार वसूल करना ? तो इससे कितना असन्तोष है। पहले तो सरकार योजनाओं के लिये पैसा दे देती है और फिर गलत कह कर वसूल करती है........

श्री अध्यक्ष : आप तो प्रश्न पूछते पूछते भाषण करने लग गये। और दूसरे सवाल भी आपको पूछने हैं।

श्री जीवराज : यह आपने अपने उत्तर में फरमाया कि भवन उपयुक्त नहीं है तो भवन हमने बनवा दिये हैं और कम होंगे तो और बनवा देंगे। मेरा तो यह निवेदन था कि जब कि आप योजनाओं में सहयोग की बात कहते हैं तो जनता तो इतना सहयोग कर रही है, सरकार को भी अब सहयोग करना चाहिये; स्कूल खोलने को प्राथमिकता देनी चाहिये। एक लाख का श्रमदान और पैसा मिला कर हमने भवन बनाये हैं तो इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिये, वैसे ही और इलाकों में होना चाहिये। और अधिक श्रम

Page No. 10

(श्री जीवराज)

और पैसा खर्च करने की जरूरत होगी तो हम वह भी करने को तैयार हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पचलंगी गांव वालों ने भवन जरूर बनवाया है। लेकिन जो स्टेन्डर्ड हायर सैकण्डरी स्कूल के लिये रिक्वायर्ड स्टेन्डर्ड है उसको देखते हुए यह भवन अपर्याप्त है। इसमें आठ कमरे बनाये हैं जो २०×१२×१० के हैं जो हायर सैकण्डरी स्कूल में वाटर रूम के लायक हैं। सरकार को भवन चाहिये दस कमरे २० बाई १२ के, कुछ ३०×२० के और चार १२ बाई १२ के बनाये हैं; जब कि आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन कर दूं २५ बाई २० के कमरे चाहिये। हाल बनाया है वह चाहिये था ६० बाई ४० का। इसी तरह हैड मास्टर का रूम है, साइंस का रूम है। ये बनाये नहीं। छोटे कमरे चिराना में और बड़े कमरे पचलंगी में जरूर बनाये हैं पर वे स्टेन्डर्ड रिक्वायरमेन्ट के फिर भी नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि जिस वक्त ये मकान बनाये जा रहे थे उस वक्त सरकार को यह मालूम नहीं था कि ये हायर सैकण्डरी स्कूल के लिये बनाये जा रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार को नहीं मालूम, अपनी मर्जी से बनाये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्कूल वहां नहीं खोलने में स्टेन्डर्ड रिक्वायरमेन्ट के भवन ही कारण हैं?

श्री परसरा मदेरणा : यही कारण नहीं है। डाइरेक्टर के पास से प्रोपोज़ल्स भी आते हैं, वे भी अभी तक नहीं आये हैं। दूसरी जगह के और इस जगह के प्रोपोज़ल्स जब आवेंगे तब विचार किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : जब प्रोपोज़ल्स ही नहीं आये तो कैसे कह सकते हैं कि किस जगह खोलना व किस जगह नहीं खोलना है।

श्री जीवराज : यह क्युबिक केपेसिटी एक स्टूडेन्ट के लिये कितनी होना चाहिये? अध्यक्ष महोदय, सरकार सहयोग की बात कहती है। जनता ने सहयोग देकर इतने कमरे बना दिये। सरकार भी अब सहयोग दे। लाखों रुपया लगाया गया है वहां पर।

श्री परसराम मदेरणा : आपने भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्न किया कि आवश्यकतानुसार बना दिये हैं, उसका जवाब दिया है मैंने। जहां तक स्कूल के खोलने का प्रश्न है, सब प्रोपोजल्स आने पर विचार किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : स्टेन्डर्ड रिक्वायरमेन्ट में कमी होने के कारण एक्सेप्शनल केस के नाते जैसे कई स्थानों पर हायर सैकण्डरी स्कूल खोले गये हैं, वैसे क्या यहां एक्सेप्शनल केस समझ कर नहीं खोल सकते?

श्री परसराम मदेरणा : इस स्टेज के ऊपर कमिट नहीं किया जा सकता कि यह जो कमी है इसको एक तरफ रखकर एज़ ए स्पेशल केस ट्रीट किया जायगा। जो आपने जानकारी दी है कि कुछ हायर सेकेण्डरी स्कूल्स खुले हैं जहां कि भवन स्टेन्डर्ड रिक्वायरमेन्ट के अप टू दी मार्क नहीं था; लेकिन यह जानकारी

(श्री परसराम मदेरणा)

मेरे पास नहीं है । लेकिन यह खोला जायगा या नहीं, यह सब प्रोपोज़ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खोलने के सरकार के सामने जिस समय आते हैं उस समय ही विचार किया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गांव के लोगों ने शिक्षा विभाग के जो संचालक हैं उनके पास एक दर्ख्वास्त दी थी कि हमारे यहां पर हायर सेकेन्डरी स्कूल खुलना चाहिए; इस पर उनको कहा गया कि पहले वह भवन का निर्माण करें फिर हायर सेकिन्डरी स्कूल खोला जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है । अगर गांव वालों की डिमान्ड है डाइरेक्टर के पास तो हम उसकी जानकारी हासिल कर लेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार की मन्शा की माफिक भवन निर्माण हो गया है ? उनकी मन्शा थी तब ही तो भवन निर्माण हुआ है । यह उनकी मन्शा के माफिक हो गया ?

श्री परसराम मदेरणा : शायद आपने ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं की । मैंने 'मन्शा' शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है ।

श्री जीवराज : गांव वालों के पास जो विकास विभाग के अधिकारी आते हैं वे कहते हैं कि गांव वालों का सहयोग होना चाहिए । तो जब गांव वाले इतना पैसा खर्च करते हैं और सरकार की योजना में इतना सहयोग देते हैं तो भी उनको कोई आश्वासन नहीं है कि खोलेंगे । हम यह चाहते हैं कि अब सरकार की तरफ से क्या होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक सहयोग का प्रश्न है आपका सहयोग तारीफ के काबिल है और आपका सहयोग आगे भी अपेक्षित है । लेकिन जो स्टेन्डर्ड रिक्वायरमेन्ट के मुताबिक ही बिल्डिंग होनी चाहिए । जो जानकारी मेरे पास थी वह मैंने आपको दे दी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार की मन्शा ऐसी नहीं है कि कोई स्टेन्डर्ड रिक्वायरमेन्ट की बिल्डिंग नहीं है तब भी उसमें स्कूल खोलने की इजाजत दे दी जाये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

नहर में आई हुई भूमि के मुआवजे का चुकारा–तहसील केशवराय पाटन

७२. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) तहसील केशवराय पाटन, जिला बूंदी में ऐसे कौन कौन काश्तकार हैं जिनकी भूमि तथा फसलें नहर में आई थी तथा उन्हें अभी तक भी मुआवजा नहीं मिला है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि नहरों के ऊपर आवागमन हेतु पुलियाओं का निर्माण

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

नहीं होने से जनता को बड़ा कष्ट है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी ?

(३) क्या यह सही है कि तहसील पाटन में बनी नहरों से पानी अधिक रिसने के कारण पहले को बनी सड़कें भी खराब हो गई हैं तथा आना जाना मुश्किल रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे स्थानों पर पानी को रिसने से रोकने की कोई व्यवस्था करेगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) इस तहसील के करीब २,२०० मामलों में जो लगभग १२० गांवों के हैं, अभी मुआवजा नहीं मिला है ।

(२) जी हां; अभी तक पुलियायें नहीं बनी हैं । वहां ऐसी कुछ तकलीफें हैं, सरकार उन्हें पूरा करवा रही है ।

(३) जी नहीं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सरकार ने जो नहर निकालने की जमीन ली है कितने वर्षों से उसका मुआवजा देना बाकी है और उस रकम की कितनी तादाद है ?

श्री दौलतराम सारण : दो साल से करीब ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तो सरकार के सामने यह रकम चुकाने में कौनसी बाधा उपस्थित हो रही है ?

श्री दौलतराम सारण : कोई मुश्किल नहीं आ रही है । कानूनी प्रोसीजर पूरा करने में कुछ समय लग जाता है । लैंड एक्विजीशन एक्ट के अण्डर राजस्व विभाग कार्यवाही करता है और उसके लिये एक स्पेशल अधिकारी अपोइन्ट कर रखा है । वह इस विभाग की तरफ से कार्यवाही कर रहा है और उसकी कार्यवाही पूरी होने पर मुआवजा दिया जाता है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि काश्तकारों को तारीखें देकर अधिकारी लोग उन्हें कोटा बुला लिया करते हैं और वहां अधिकारी नहीं पहुंचते और इस तरह से काश्तकारों को अपनी गांठ से पैसा खर्च करना पड़ता है ?

श्री दौलतराम सारण : इसको मैं नहीं कह सकता । अगर माननीय सदस्य कोई इस तरह का इन्सटान्स बतायेंगे तो मैं जानकारी कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : इसके तय करने में कितना समय और लगेगा ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, करीब दो साल में २ लाख, ४० हजार रुपया तो चुकाया जा चुका है १,२०० एकड़ जमीन का और बाकी करीब २॥ लाख के है उसको भी शीघ्रता से चुकाये जाने की व्यवस्था की जा रही है । मेरे खयाल से अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दो साल तक मुआवजा नहीं मिला और वहां के काश्तकार कर्जदार होते जा रहे हैं । तो क्या सरकार की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह जल्दी से जल्दी चुकाने के बारे में कोई आदेश दे सके ?

श्री दौलतराम (सारण) : मैंने पहले ही कह दिया है कि शीघ्रता से चुकाये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भीमसेन ।

प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था

७३. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार द्वारा सम्बन्धित पंचायत समितियों को सौंप दी गयी है ? अगर हां, तो क्या यह भी सही है कि सरकार पंचायत समितियों को शिक्षा विभाग द्वारा किए गए एज्यूकेशन सर्वे के अनुसार ही शालाएं खोलने को बाध्य करती है जब कि समितियां परिवर्तित परिस्थितियों, जन सहयोग एवं शिक्षा के प्रति सम्बन्धित गांवों के लोगों की दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए शालाएं खोलना चाहती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की लूणकरणसर एवं बीकानेर पंचायत समितियों के गांव मनेरा, भुवाला, स्टेशन अर्जनसर बीकासर, भाड़ेरा, स्टेशन धीरेंरा व गांव खिंचिया, सवाईसर केसरदेसर । बोहरान रिड़मलसर सिपाहियान आदि गांवों में जनता की मांग की पूर्ति करना निहायत आवश्यक है लेकिन शिक्षा विभाग उन गांवों में स्कूल खोलने के लिए कोई अनुदान नहीं दे रहा है ।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) यह सही है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार द्वारा सम्बन्धित पंचायत समितियों को सौंप दी गई है; किन्तु नई प्राथमिक शालाएं खोलने की स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है । एज्यूकेशन सर्वे करते समय प्रत्येक स्थान की जन संख्या तथा पाठशाला क्षेत्रों की परस्पर दूरी को ध्यान में रखते हुए ही स्कूलों के स्थान निर्धारित किए गये थे । अतः एज्यूकेशन सर्वे द्वारा अनुमोदित स्कूल क्षेत्रों में ही स्कूल खोलने पर बल दिया जाता है । किन्तु परिवर्तित परिस्थितियों में जन सहयोग एवं शिक्षा के प्रति गांवों के लोगों की दिलचस्पी पर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है । अगर रिवाइज्ड सर्वे में ऐसे स्थान भी जो पहले न लिए गए हों ले लिए जायें तो २५ प्रतिशत तक निर्धारित कोटे के अतिरिक्त भी प्राथमिक शालाएं खोली जाती हैं ।

(२) प्रश्न में वर्णित पृथक पृथक स्थानों में नए स्कूल खोलने सम्बन्धी मांग के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है:—

गांव का नाम	पंचायत समिति	१९५१ की जनगणना के अनुसार जन संख्या	स्कूल एरिया से दूरी	स्कूल न खुलने का कारण
१. मनेरा	लूणकरणसर	३८२	कुआना से केवल से १ मील दूर	कुआना केवल १ मील दूर होने के कारण

२. भुवाला) ग्रुप लाडला) स्कूल	लूणकरणसर	२४४ १०३		भुवाला में स्कूल खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है।
३. स्टेशन अरजनसर	,,	२२		जन संख्या कम होने से।
४. चींदासर) ग्रुप भांदसर) स्कूल		१५२ २६१	भांडसर से १ मील	भांडसर से १ मील दूर होने से तथा जन संख्या केवल १५२ होने के कारण।
५. मादेरा	,,	१६१	मोकमपुरा से ४ मील	जन संख्या कम होने से तथा पेरेपेटिटिक टीचर स्कूल के लिए सर्वे द्वारा स्वीकृत है। मोकमपुरा में पहले से ही स्कूल चल रहा है; अतः स्कूल नहीं खोला गया। एजुकेशन सर्वे में यह स्थान नहीं है, तथा धीरेरां में पहले ही से स्कूल है।
६. स्टेशन धीरेरां				
७. खीचियां	बीकानेर	१२१	अलालसर से १ मील से दूरी कम	जन संख्या कम तथा अलालसर से कम दूर होने के कारण।
८. सवाईसर	,,	१६४	कालासर से २ मील	जनसंख्या व दूरी में कमी के कारण।
९. केसरदेसर बोहरान	,,	१६१	केसरदेसर जाटान से १।। मील	केसरदेसर से कम दूर होने के कारण यहां पहले से ही माध्यलिक शाला है।
१०. रिड़मलसर सिपाहियान	,,	४००	रिड़मलसर प्रोहितान से १ मील	रिड़मलसर प्रोहितान से १ मील दूरी के कारण जहां पहले से माध्यमिक–शाला है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि जैसा आपने प्रश्न संख्या (२) के उत्तर में स्कूल नहीं खोलने के कारण बताये तो वहां लड़कों की संख्या इतनी है वहां स्कूल खोलना वाज़िब है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो हर एक का उत्तर दे चुके हैं कि किन कारणों से नहीं खोला गया।

श्री भीमसेन : कारण तो दिए जा चुके हैं लेकिन लड़कों की संख्या देखते हुए जहां ४०—५० हैं वहां स्कूल खोलना वाजिब क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अगर एज्यूकेशनल सर्वे में नाम नहीं हो तो किस तरह से उसमें इन-क्लूड किया जा सकता है ?

श्री परसराम मदेरणा : एज्यूकेशनल सर्वे में अगर उनका नाम नहीं हो तो यह रिवाइज्ड सर्वे किया जा सकता है और रिवाइज्ड सर्वे पंचायत समिति के प्रधान और इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स करते हैं और उसी आधार पर जो हमने कोटा निर्धारित किया है एज्यूकेशन सर्वे में उससे २५ प्रतिशत ज्यादा का प्रावधान इसलिए रखा है कि जहां लोगों का सहयोग प्राप्त होने की सम्भावना हो और उसके अलावा लोगों की दिलचस्पी हो, लड़कों की संख्या पर्याप्त हो तो २५ प्रतिशत के ज्यादा का प्रावधान इसलिए रखा है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम सर्वे के मुताबिक नहीं चल रहे हैं; इसलिए यह २५ प्रतिशत ज्यादा का प्रावधान रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे एक, दो प्रश्न पूछने हैं क्योंकि इस प्राथमिक शिक्षा के ऊपर सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स हुए ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो चुका है और प्रश्न अभी बाकी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे केवल एक, दो प्रश्न ही पूछने हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विजयसिंह झाला।

नाथद्वारा में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना

७४. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नाथद्वारा में डिग्री कॉलेज बनाने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

(२) यदि हाँ, तो इसके लिए अनुदान की कितनी धन राशि स्वीकृत हुई ?

(३) इस डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं।

(२) अभी तक अनुदान की धन राशि स्वीकृत नहीं हुई है। बजट में प्रोविज़न रख दिया गया है।

(३) भवन निर्माण का प्रारम्भिक कार्य चालू कर दिया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि कब पूरा हो जायेगा ?

श्री विजयसिंह झाला : कब तक सरकार इसको अनुदान देने का विचार रखती है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि इसका प्रोविज़न बजट में रखा है ७८,०००)रु० का और वह ग्रान्ट पास होने के बाद ही युटिलाइज़ किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

पुनासा बांध योजना

७५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर):

(श्री भीमसेन)

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता से नर्मदा नदी पर पुनासा बांध योजना के निर्माण में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों के साथ साथ राजस्थान राज्य भी हिस्सा ले रहा है ? अगर हां, तो इस योजना से कितनी बिजली पैदा की जायगी तथा राजस्थान को कितना खर्चा वहन करना होगा ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी हां, इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है । इसके सम्बन्ध में दिनांक १८-२-६२ को केन्द्रीय सरकार के समक्ष वाद-विवाद भी हुआ, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इस योजना से कुल १.०५ मिलियन किलोवाट बिजली पैदा होगी। राजस्थान को कितनी मिलेगी और कितनी रकम उसको खर्च करनी पड़ेगी, यह अभी तय नहीं हो सका ।

समेलिया गांव के निकट बांध परियोजना की मांग

७६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील में समेलिया गांव के निकट बांध परियोजना की मांग सरकार के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ?

(ब) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाया है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (अ) जी हां।

(ब) इस योजना की सर्वे कर ली गई है व तखमीना तैयार हो रहा है ।

एक माननीय सदस्य : सुना नहीं ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (अ) जी हां ।

(ब) इस योजना की सर्वे कर ली गई है व तखमीना तैयार हो रहा है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही है कि ठीक इसी नदी के ऊपर जहां इस बांध को बनाने के लिए सर्वे हुआ है उसके २ मील के ऊपर जवासिया बांध का सर्वे हो चुका है और इसके बनाने की स्कीम विचाराधीन है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसका सर्वे दो दफा पहले हो चुका है और अभी भी सर्वे हो रहा है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : प्रारम्भिक जानकारी की जा रही होगी ।

तहसील तिजारा में प्रथम श्रेणी के दण्डनायक के कार्यालय की पुनः स्थापना

७७. **श्री हरिराम** (तिजारा) : क्या

(श्री हरिराम)

राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कुछ दिन पहले गांव तिजारा में एक प्रथम श्रेणी के दण्डनायक का कार्यालय था ?

(२) क्या यह सही है कि इस कार्यालय को यहां से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाया गया है, जिस कारण अब तिजारा में कोई मजिस्ट्रेट नहीं रहता ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि इस कारण तिजारा की जनता को बहुत असुविधा हो रही है ?

(४) क्या सरकार तिजारा में फिर से मजिस्ट्रेट रखने के लिये आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लडढ़ा) : (१) कुछ समय पहले नहीं बल्कि ढ़ाई वर्ष पूर्व ।

(२) जी नहीं, तिजारा में दण्डनायक का कार्यालय समाप्त कर दिया गया है । अब वहां दण्डनायक का कार्यालय नहीं है ।

(३) जी नहीं । जनता की असुविधा का प्रश्न इसलिये उपस्थित नहीं होता कि तिजारा से केवल ११ मील की दूरी पर किशनगढ़ वास में एक एस० डी० ओ० का कार्यालय है ।

(४) जी नहीं ।

श्री हरिराम : क्या यह बता सकते हैं कि कितनी दूर के लोग किशनगढ़ आते हैं उससे कितना नुकसान होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : यह नहीं बता सकता हूं कि कितनी दूर से आदमी वहां आते हैं ।

श्री हरिराम : क्या यह बता सकते हैं कि कितने थानों का काम एक मजिस्ट्रेट के पास है और जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे वह काम नहीं हो पा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : यहां थोड़ा काम था, जो असिस्टेन्ट कलेक्टर की कोर्ट तिजारा में थी वह टेम्पोरेरी ५७ के अन्त के लिये स्थापित की गई थी, कुछ केसेज़ डिसपोज़ ऑफ करने के लिए । वे केसेज़ डिसपोज़ ऑफ हो गये और टेम्पोरेरी नेचर का ऑफिस होने से समाप्त किया है ।

श्री हरिराम : कितने थानों का काम एक मजिस्ट्रेट के पास होता है; यह सवाल पूछा था । आपको जानकारी हो तो बता दें और अगर जानकारी नहीं हो तो सवाल का कोई जवाब नहीं है ।

दुलमेरा पत्थर की खान के सुधार की योजना

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दुलमेरा पत्थर की खान के सुधार तथा इस पत्थर की खपत को बढ़ाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मंत्री, खनिज (श्रीरामप्रसाद लड्ढ़ा) : खानों के कार्य को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा खान वालों को मशीनरी किराये पर देना प्रारम्भ कर दिया गया है और कर्जा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

देना भी तय हो चुका है। इसकी जानकारी इस तरह के काम वालों में कराने की इस विभाग द्वारा पूर्ण कोशिश की जा रही है और आशा है कि इसकी जानकारी होने पर उपरोक्त साधनों द्वारा खानों में सुधार होकर पत्थर की आमद और खपत बढ़ जायगी।

श्री भीमसेन : क्या इस पत्थर की खपत गवर्नमेंट के दूसरे विभागों में ज्यादा बढ़े; इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : इस पत्थर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, क्योंकि खानें काफी गहरी चली गई हैं और ऊपर लाने में कास्ट ज्यादा पड़ती है इसलिये इसकी मांग नहीं है। यदि मशीनरी से काम करेंगे और कर्जा लेकर काम करेंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो तो खपत बढ़ सकती है। सरकार के लेने और नहीं लेने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भीमसेन : सरकार सरकारी विभागों को आदेश दे सकती है, राजस्थान केनाल और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को जहां इन पत्थरों की काफी मांग रहती है, लेकिन जोधपुर से पत्थर आते हैं। बजाय इसके सरकार आदेश दे सकती है कि कीमत वाज़िब हो तो इस पत्थर को प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर वह स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना हो कि जिससे वह सेटिसफाइड हों तो ले सकते हैं। इसके लिए मजबूर किसी विभाग को नहीं किया जा सकता।

उदयपुरवाटी तहसील हेतु लघु सिंचाई योजना

७६. **श्री जीवराज** (गुढ़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार की कोई लघु सिंचाई योजना जिला झूंझनूं के अन्तर्गत उदयपुरवाटी तहसील हेतु बनी है ? यदि हां, तो ये कौन कौन सी योजनाएं हैं वे कब तक पूरी हो जावेंगी ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां। इन योजनाओं में पोंक पडवारा, भादोली, खोह; बागोरा, छापोली गुढ़ा दतसर, आदि हैं। पोंक बांध का कार्य इस वर्ष समाप्त हो जावेगा व अन्य योजनाओं पर सर्वे व तखमीना मंजूर होने पर कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

श्री जीवराज : क्या यह तखमीना नहीं बना ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बन रहा है, सर्वे हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(११.५० म. पू.)

वित्त मंत्री द्वारा विदेशी शराब पर कर में वृद्धि सम्बन्धी घोषणा विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव है जो इस प्रकार है और माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह, विभाजन संख्या १३, के द्वारा इसका

(श्री अध्यक्ष)

नोटिस आया है :-

"दिनांक २६-३-६२ को राज्य विधान सभा में वित्त मंत्री श्री बालकृष्ण कौल ने राज्य का आय-व्ययक (बजट) प्रस्तुत करते हुए कई नये कर लगाये जाने की घोषणा की। बजट भाषण के तुरन्त पश्चात् इन प्रस्तावित करों को वैधानिक रूप देने के हेतु दी 'राजस्थान फाइनेन्स बिल, १९६२' प्रस्तुत किया गया तथा कुछ करों को तुरन्त प्रभावशील बनाने के लिए सरकार की ओर से इसी ही दिन नोटीफिकेशन शाया किए गए जिससे कर व्यवस्था तुरन्त लागू हो गई।

"दिनांक ३०-३-६२ तक राज्य विधान सभा में आय-व्ययक विवरण (बजट) पर सामान्य बहस होती रही रही और इस बहस का सरकारी पक्ष की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी तथा वित्त मंत्रीजी ने उत्तर दिया। वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में प्रस्तावित करों में कुछ संशोधन किया और इसके अतिरिक्त उन्होंने विदेशी शराब पर आबकारी (एक्साइज ड्यूटी) बढ़ाये जाने की भी घोषणा की, जो उनके इन शब्दों से प्रकट होती है, 'देशी शराब के साथ साथ विदेशी शराब पर भी आबकारी कर बढ़ा दिया जायेगा।'

"विदेशी शराब पर बढ़ाये जाने वाले इस कर का वित्त मन्त्रीजी के बजट भाषण में कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त कर की घोषणा के पश्चात् सरकार द्वारा इस कर-प्रावधान को तुरन्त प्रभावशील बनाने के लिए कोई नोटीफ़िकेशन शाया नहीं किया गया, बल्कि दिनांक ३१-३-६२ को गज़ट नोटीफ़िकेशन निकालकर इस कर को दिनांक १ अप्रेल १९६२, से प्रभावशील किये जाने की कार्यवाही की गई; जिसके कारण टैक्स घोषणा होने के बाद भी लागू नहीं किया जा सका।

"विदेशी शराब पर इस कर को घोषणा का सम्बन्ध राज्य के बजट से है और इसका प्रभाव राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। इस कर की घोषणा के तुरन्त पश्चात् उसके प्रभावशील न होने से इस कर से अपेक्षित आय सरकार को नहीं हो सकती जिससे बजट पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वित्त मन्त्री की इस अनधिकृत घोषणा ने सरकार की विदेशी शराब पर कर बढ़ाने की नीति को एक हद तक प्रभावहीन बना दिया है; जिसके कारण इस कर के होने वाले लाभ से सरकार वंचित रह गई तथा कर देने वाले विदेशी शराब के व्यापारियों को इससे अनुचित लाभ मिल गया। इस घोषणा के साथ ही ३० तारीख को बजट सेन्क्टिटी के हेतु नोटीफिकेशन अनिवार्य रूप से शाया होना चाहिए था, ताकि इसको तुरन्त प्रभावशील किया जा सके और कर-दाता कर से नहीं बच सकें। परन्तु वित्त मंत्रीजी ने व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए सरकार की बजट संबंधी नीति की अनधिकृत रूप से घोषणा कर इसका लीकेज किया है। इस लीकेज का पब्लिक इकॉनोमी पर बहुत ही विपरीत असर हुआ है और यह लीकेज एक बहुत बड़ा पब्लिक स्केन्डल है, जिसके लिए वित्त मन्त्रीजी को अपदस्थ किया जाकर सदन की बार में प्रोसीक्यूट किया जाना आवश्यक है।

"अतः इस गंभीर समस्या पर विचार

(श्री अध्यक्ष)

करने हेतु सदन की आज की कार्यवाही स्थगित की जाय।"

इस स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था कल दी जायगी।

(१२ मध्यान्ह)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं टू (Two) मेम्बर्स कॉन्स्टीट्युएन्सीज़ (एबोलिशन) एक्ट, १९६१ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेन्ट्री एण्ड एसेम्बली कॉन्स्टीटयुएन्सीज़, १९६१ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य का दिन रखा गया है और दो प्रस्ताव लिये जायेंगे। पहले संकल्प माननीय सदस्य प्रस्तुत करेंगे और जैसा कि हमारे नियमों में प्रावधान है कि जो माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे वे उस पर आधा घंटे तक बोल सकते हैं और बाद में जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे वे केवल १५ मिनट तक बोलेंगे। सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जायगा उसकी अवधि भी आधा घन्टे की ही है।

श्री कुमारानंद (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैं आपके सामने, सदन के सामने पेश करना चाहता हूं वह यह है :

"This House recommends to the State Government to move the President of India for establishment of a permanent Bench of the High Court of Judicature for Rajasthan at Jaipur, and to recommend to the Governor for the establishment of a temporary Bench at Jaipur as an interim arrangement to meet the urgent needs of the litigating people."

अध्यक्ष महाराज, जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने पेश किया है वह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है और इस पर मेरी पार्टी और मैं, जो कुछ बोलना चाहते हैं वह भी आपके सामने रखूंगा। यह भी हम जानते हैं कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है उससे पहले लोगों ने अलग अलग तरीके से जनता के सामने पेश किया है और मैं यह भी जानता हूँ कि इस प्रस्ताव को, जिसे मैंने आपके सामने रखा, समझने के लिये और इसको एक्सप्लेन करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए भी लोगों के अलग अलग तरीके थे। हमारी पार्टी और मैं जो कुछ समझे हैं इस विषय में हमने राव कमेटी के सामने अपना मेमोरेन्डम पेश किया था जो आगे चल कर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।

इससे पहले राजस्थान १९ प्रिन्सली स्टेट्स में, जुदा जुदा राज्यों में, बंटा हुआ था। उस समय राजस्थान की जो दशा थी

(श्री कुमारानन्द)

वह आप लोगों को मालूम है। अलग अलग राज्य होने की वजह से, एक राजस्थान नहीं होने की वजह से, एक युनाइटेड राजस्थान नहीं होने की वजह से हमको क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती थी, यह आप और हम सब जानते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि १९२५ के सितम्बर में जब कि अलवर रियासत में नीमकाना हत्या-कांड हुआ था, तोप के जरिये से बेगुनाह किसानों की हत्या की गई थी और वहां पर जब जाँच कराने के लिये मैं और हमारे साथी जाना चाहते थे तब हमको वहां जाने की इजाजत नहीं मिली।

जोधपुर में, जोधपुर के पास डाबरा कांड जिसको याद करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस डाबरा कांड की वजह से जोधपुर के हमारे प्रजामंडल के साथी जो कि हमारे सामने बैठे हुए हैं, माननीय गृह मंत्रीजी (होम मिनिस्टर) और दूसरे साथी घायल हुए थे और जब कम्युनिस्ट पार्टी के पास इसका जिक्र पहुँचा था तब डाबरा कांड का प्रतिशोध करने के लिये, बदला लेने के लिये हम चाहते थे कि हमको हथियार मिलने चाहिये। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उस समय कैसी हालत थी। पहले जब कि हमारा राजस्थान अलग अलग रियासतों में बँटा हुआ था। मेवाड़ में बिजोलिया कांड के समय करीब दो-ढ़ाई हाथ के लम्बे जूते बनाये जाते थे और लोगों को कान पकड़ कर नीचे बैठाया जाता था और खड़ा किया जाता था। तो हमको सब मालूम है कि पहले हमारी रियासतें अलग अलग होने की वजह से हमारी क्या हालत थी। हम यह भी जानते हैं कि यदि अंग्रेज सरकार चाहती तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या सब प्रोविन्सों में था, डाइरेक्ट ब्रिटिश रूल के अन्डर में थे उसी तरह से आपकी रियासतें भी डाइरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अन्डर में हो सकती थीं। लेकिन अंग्रेज सरकार ने अपने फायदे के लिये इन रियासतों को बनाये रखा। इनका हैड-क्वार्टर था अजमेर। अजमेर में ए. जी. जी. रहता था। ए. जी. जी. की कृपा से किसी भी राजा को गद्दी से उतार सकते थे और किसी को गद्दी पर बिठा सकते थे। यह हमारी जो पुरानी रियासतें थी उनकी हालत थी।

आज एक राजस्थान हो गया। एक राजस्थान होने की वजह से हमको बड़ी खुशी हुई। हम समझने लगे कि हमको अत्याचार से छुटकारा मिलेगा, हमको आसानी से सस्ता न्याय मिलेगा और जितने हमारे दुःख और तकलीफें हैं वे धीरे धीरे दूर होंगे।

हमारे जयपुर में हाई कोर्ट के मामले में आन्दोलन हुआ। क्यों हुआ; मैं आपको आगे चल कर बताऊंगा, मेरे सामने कुछ पेपर्स हैं उनके जरिये से भी और अपने अनुभव से भी। जयपुर में हाई कोर्ट के लिए आन्दोलन हुआ। आन्दोलन इसलिये हुआ कि पहले यहां पर हाईकोर्ट की बैंच थी उसको एबोलिश किया गया, राव कमेटी की सिफारिश से एबोलिश किया गया और उसके कारण से यहां की जनता में काफी असंतोष फैला। जब यहां की जनता में असंतोष फैला तो जनता ने डिमान्ड की कि जयपुर की हाई कोर्ट की बैंच एबोलिश नहीं होनी चाहिये। क्योंकि राजस्थान की करीब

(श्री कुमारानन्द)

आधी पोपुलेशन, आधी जन संख्या जयपुर और कोटा के इलाकों में रहती है। इसलिये उन लोगों ने डिमान्ड किया कि आज हमको जोधपुर पहुँचने में बहुत देर लगती है। पैसेवाले लोग तो हवाई जहाज में बैठ कर जा सकते हैं, पैसेवाले लोग जिनके पास कारें हैं वे अपनी कारों में जा सकते हैं। लेकिन गरीब लोग, किसान और मजदूर आज यदि जोधपुर जाना चाहें हाई कोर्ट में अपील करने के लिये तो उनके पास पैसा नहीं है। इसी तरह से बार के नये नये वकील हैं, जो यहां पर पच्चीस रुपये में काम करते थे वहां दो सौ, ढाई सौ रुपये के लिये मुंह फाड़ेंगे। इस तरह जनता के लिए सस्ता न्याय एक तरह से नामुमकिन है। इसलिये जनता की यह मांग थी, जनता की यह डिमान्ड थी, जनता चाहती थी कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच कायम रहे, ताकि जनता को सस्ते में न्याय मिल सके। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि धौलपुर से ग्वालियर छत्तीस मील है और ग्वालियर में हाई कोर्ट की बैंच कायम हो रही है, परन्तु ग्वालियर मध्य भारत में है। धौलपुर से कोई जाय जोधपुर तो उसको तीन दिन लगते हैं। वही आदमी दूसरे दिन बम्बई पहुँच सकता है। आज एक धौलपुर के निवासी के लिये, जो राजस्थान प्रदेश में है जोधपुर में जाना, जोधपुर में न्याय लेना कितना कठिन है; यह आप और हम समझ सकते हैं। तो इसलिये जयपुर में बैंच रखने के लिए मेरे प्रस्ताव में मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अपील की जाय कि एक इन्टेरिम बैंच, जो कि हम बतायेंगे, जो आप कर सकते हैं, आपके जयपुर में कायम की जाय। मुझे इस बात के लिये बड़ा दुख होता है कि जब यह आन्दोलन हुआ, चाहे वह आन्दोलन किसी तरह का हुआ, चाहे आप उसके साथ एग्री करें या नहीं करें, चाहे वह आन्दोलन में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप और हम नहीं चाहते हों और कोई नहीं चाहता हो और बहुत से लोग चाहते भी हों तो भी मैं यह नहीं कहता कि वह आन्दोलन न्यायसँगत था। या अन्याय सँगत था। उसमें काफी लोग गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत से लोग जेल गये और कितने ही लोगों को लाठी से पीटा गया, यह मुझे बोलने में बड़ा दुख होता है।

अब मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि आपके चुनाव से कुछ दिन पहले हमारे माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री लालबहादुर शास्त्री आये थे। उनने कहा कि इस मामले को, जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच के मसले को पोलिटिकल तरीके से नहीं सोचना चाहिये। और उनने कहा-जयपुर में चुनाव होने के बाद सरकार इसको सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सोचेगी। उसके बाद आपकी जयपुर की बार ऐसोसियेशन ने एक प्रस्ताव पास किया था। उस प्रस्ताव में कहा था कि अगर सरकार पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर कोई डिसीज़न या फैसला नहीं ले पाती है जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच लाने की बात के सिलसिले में तो हमको कोई शांतिमय आन्दोलन शुरू करना पड़ेगा, जिसके जवाब में आपके यहां के लॉ डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लॉ डिपार्टमेंट ने जवाब दिया है :

"The State Government is actively taking up this natter with the Union Government."

Page No. 23

(श्री कुमारानन्द)

तो इसमें भी मालूम होता है कि राजस्थान सरकार भी शायद इस दिशा में सोच रही है। अब आपके जिस एक्ट के मातहत एबोलिश किया गया इस हाईकोर्ट की बेंच की जयपुर में से, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच को एबोलिश किया गया है, यह जो राव कमेटी है इस राव कमेटी की सिफारिश पर किया है। इसके अनुसार हाईकोर्ट की बेंच को समाप्त किया है, उस राव कमेटी की रिपोर्ट में से बताना चाहता हूँ :

"The Committee was constituted by the Government of India on 11.10.57 to enquire into and advise the Government of India earliest on the following points :

वह क्या थे राव कमेटी के सामने :

"1. whether in consequence of the merger of Ajmer with Rajasthan any change should be made in the existing arrangements as regards the Capital or High Court of Rajasthan ?

2. whether the Capital or any office should be shifted from Jaipur ?

3. Whether the principal seat of High Court should be moved from Jodhpur.

4. Whether the existing bench of Jodhpur should continue there and should their number be increased or decreased.. "

तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह एक लम्बा सवाल है, लेकिन जिस लॉ कमीशन का आश्रय लेकर, जो लॉ कमीशन का रेफ़रेन्स देकर राव कमेटी ने इस हाईकोर्ट की बेंच को एबोलिश किया है उस लॉ कमीशन की सिफारिशों को पार्लियामेंट ने और अशोक-सेन ने और श्रीनगर में हुई मिनिस्टर्स की कॉन्फरेन्स ने बिल्कुल रिजेक्ट किया है। इस लिए उसका सहारा लेकर, उसका आश्रय लेकर जयपुर में जो हाईकोर्ट की बेंच थी, उसको खत्म करना बिल्कुल व्यर्थ है। उसके सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। मेरे सामने स्टेट्स री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, १९५६ है। इस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेक्शन ५१ है और क्लॉज १ है :

"The principal seat of the High Court for a new State shall be at such place as the President may, by notified order appoint.

(2) The President may, after consultation with the Governor of a new State and the Chief Justice of the High Court for that State by notified order, provide for the establishment of a permanent bench or benches of that High Court and for any matters connected therewith.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub section (2) the Judges and division Courts of the High Court for a new State may also sit at such other place or places in that State as the Chief Justice may, with the approval of the Governor, appoint. "

(श्री कुमारानन्द)

तो इससे आप जान सकते हैं कि राव कमेटी ने जो किया है वह बिल्कुल गैर कानूनी किया है। राव कमेटी इसको थोड़े दिनों के लिए रोक सकती थी। प्रेसीडेन्ट की परमिशन ले सकती थी और जब तक प्रेसीडेन्ट अपनी राय दें उस समय तक काम कर सकती थी।

मैं आपको और भी बताना चाहता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वह कितना बोगस लॉ कमीशन है।

पहले हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने, अपने बयान में जब उनसे पूछा गया यहाँ के बार एशोसियेशन द्वारा तो उन्होंने जो जवाब दिया वह और भी साफ है। वह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ--हमारे मुख्य मन्त्री ने अपने जवाब में कहा : "I may however assure you thatthe Rajasthan Government is not in favour of shifting the High Court Bench from Jaipur. This has been made clear whenever the question came for consideration."

दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो लॉ कमीशन भी कहता था कि दुनिया भर में युनिफॉर्मिटी हो, उसको तो पार्लियामेंट में अशोक सेन ने जो लॉ मिनिस्टर हैं और लॉ मिनिस्टरों की कॉन्फरेन्स जब श्रीनगर में हुई थी उनने रिजेक्ट कर दिया। उसके आधार पर राव कमेटी ने जयपुर की बैंच को खत्म किया है जो कतई गैर-कानूनी है और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस लॉ कमीशन का सहारा लेकर राव कमेटी ने जयपुर की बैंच को खत्म किया और उसके बाद भी मैं यह कहना चाहता हूं, कि इसका रीएक्शन होने की वजह से ग्वालियर, इन्दौर, त्रिवेन्द्रम, दिल्ली आदि में आपकी हाई कोर्ट की बैंच कायम हुई है। और इसके बाद आपको मालूम होगा कि नागपुर में भी बैंच कायम हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब सभी जगहों में हाई कोर्ट की बैंच कायम हो सकती है तो यहां पर क्यों नहीं हो सकती ? हमारे फॉर्मर गृह मन्त्री श्री रामकिशोर व्यास बराबर यह कहते थे कि और बार बार यह कह चुके हैं कि यहां हाई कोर्ट की बैंच बन कर रहेगी। यह बात उन्होंने बार बार कही है। इसके अलावा मैं आपको और भी मिसाल दूं। मेरे सामने कई सबूत हैं। मगर ३० मिनट का ही समय दिया गया है। मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में बहुत सी मिसालें पेश कर सकता हूँ। इसके बाद में मैं और कुछ आपको कहना चाहता हूँ कि June 1960 a Conference of law Ministers with Shri A. K. Sen, Law Minister of Government of India, as Chairman was held at Shrinagar. He also did not accept that.

दूसरी बात अब मैं और आपको बताना चाहता हूं। A motion of amendment to the report of the law Commission was moved on the floor of the Parliament by Shri N. C. Kasliwal from Rajasthan that the recommendation of the Law Commission for the abolition of the Benches of High Court be rejected. In reply to it Shri A. K. Sen, Law Minister declared on the floor of the House that the Government. could not accept

(श्री कुमारानन्द)

the recommendation of the Law Commission for the abolition of High Court Benches and it will depend upon the circumstances of each State.

इसके बाद राजस्थान के अजमेर के हमारे कांग्रेसी नेता, बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उनने, श्री मुकटबिहारीलाल भार्गव ने कहा कि कुछ मित्रों ने मेरे नाम का उपयोग किया है और कहा है कि High Court Bench जयपुर में होने का हम विरोध करते हैं जो सर्वथा मिथ्या है ! मैं चाहता हूँ कि जयपुर में High Court को Bench बने और अति शीघ्र लेलें जिसमें सरकार को विलम्ब नहीं करना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मुझे कहना है । दूसरी बात जयपुर में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा । मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इस तरह से आपको एक एक करके बतलाऊं तो मेरे सामने बहुत सी चीजें हैं जो आपको बतला सकता हूँ । लेकिन मैं आपको संक्षेप में बतलाना चाहता हूं कि इस मामले को कांग्रेस सरकार और जितने सदस्य हैं, चाहे विरोधी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों वे इसको बड़े गौर से सोचेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ तो हमारे सामने बड़ी डिफिकल्टी है । हमारी पार्टी ने राव कमेटी के सामने रखा था कि बैंचेज कायम की जायं, बैंचेज़ कायम रहें, पर उस समय बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते थे; कोई कहता था बैंच रहे, कोई कहता था हाई कोर्ट रहे, कोई कहता था हाई कोर्ट का स्थान कहां रहे । वे सब बातें गोलमाल हुई जिनके लिये हमारी समझ में ठीक नहीं किया । बहुत से लोगों ने उठाया कि जोधपुर और जयपुर में झगड़ा खड़ा होगा । मुझे मालूम नहीं जोधपुर –जयपुर में झगड़ा क्यों खड़ा होगा ? हम कहते हैं जोधपुर में हाई कोर्ट कायम रहना चाहिये, उसकी बैंच जयपुर में हो । सरकार चाहे तो और जगह भी बैंच कायम कर सकती है । पहले ५ हाई कोर्ट्स थे राजस्थान में, अब सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है । तो हमारी पार्टी ने कहा बैंचेज़ के लिये । उसको ठीक तरह से सोचते तो आज शायद यह नौबत नहीं आती । पर मैं कहना चाहता हूँ, मैं यह नहीं कहना चाहता कि........

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री कुमारानन्द : I shall try to finish it soon.

श्री अध्यक्ष : आप आधा घंटे से ज्यादा बोल चुके हैं ।

श्री कुमारानन्द : Pardon.

श्री अध्यक्ष : आप आधा घंटे से ज्यादा बोल चुके हैं ।

श्री कुमारानन्द : I will take only few minates. I have not finished even half. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सर........

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट मसला है, टाइम ज्यादा दिया जाना चाहिये ।

श्री कुमारानन्द : यहां आन्दोलन हुआ था, तो गैर–कानूनी हुआ था या कानूनी

Page No. 26

(श्री कुमारानन्द)

हुआ था, न्याय था या अन्याय था इस पर मैं नहीं जाना चाहता पर जिस प्रकार के जुल्म, अत्याचार यहां पर हुए, उन्होंने अंग्रेजी राज्य के जुल्म और अत्याचारों को, रियासतों के राजाओं के अत्याचारों और जुल्मों को भुलाया है । मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ, रास्तों में चलते हुए लोगों के बाल पकड़ पकड़ कर मोटरों में भरा गया और मोटरों में उन लोगों की पिटाई करते करते जेलखानों में ले गये । सिर्फ इतना ही नहीं, टीयरगैस रास्तों में ही नहीं लोगों के घरों पर भी टीयरगैस पहुँचा । यह जुल्म मेरे मित्र माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार के जुल्म यहाँ पर ठीक हुए हैं ? माननीय मुख्य मंत्रीजी को, अध्यक्ष महाराज, मैं आपके जरिये कहना चाहता हूँ कि यहां जो जुल्म हुए थे, आपकी कांग्रेस के लिये नये नहीं, १९४९ में हमारे महज बेगुनाह साथियों को मद्रास के सेलम की जेल के अन्दर गोली से मारा गया था । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह आपकी सरकार के लिये नया नहीं । अंग्रेज सरकार ने कभी किसी को जेल के अन्दर गोली से नहीं मारा । आपने जयपुर में किया, हमने ४० वर्ष बिताये राजस्थान में । मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस का गठन करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ था । आज आप लोगों की हालत देख कर मुझे बड़ा दुख होता है इसलिये मैं कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव मैंने आपके सामने पेश किया है उसे विह्प इश्यू नहीं बनाया जाय, पार्टी इश्यू नहीं बनाया जाय । मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेसी भाइयों से कि अगर आप महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को मानते हैं तो यदि इस मामले में आप पर विह्प इश्यू किया जाय तो उस कांग्रेस विह्प को ठोकर मार कर आपको हमारे साथ आ जाना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये आपके सामने ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि बार बार घंटी बज रही है, मैं तो समझता था कि हमको एक घंटा टाइम मिलेगा और कुछ बातें और फैक्ट्स, फीगर्स आपके सामने रखूंगा पर समय नहीं है । मैं अपना प्रस्ताव आपके सामने पेश करता हूँ और आशा करता हूँ कि हाउस बिना किसी डिविजन के यूनेनिमसली इस प्रस्ताव को पास करेगा ।

श्री अध्यक्ष : एक संशोधन आया है श्री मानिकचन्द और श्री मुरलीधर व्यास की ओर से । संशोधन एक है, रखने वाले दो माननीय सदस्य हैं । दोनों में से एक माननीय सदस्य संशोधन को प्रस्तुत कर दें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है और जो उनका मूल प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को वैसा का वैसा रखते हुए, उस प्रस्ताव के साथ ही साथ, क्योंकि उसमें सर्किट बैंच की मांग की है और बीकानेर, कोटा और उदयपुर में भी सर्किट बैंचेज़ कायम की जायं ....

श्री अध्यक्ष : पहले आप संशोधन को प्रस्तुत कर दें ताकि वह मूव्ड हुआ माना जाय ।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा यह संशोधन है :
(1) the words "and a circuit bench for Bikaner, Kota and Udaipur" be inserted between the words, "Rajasthan at Jaipur" and "and to recommend" occurring in fourth line of the resolution entered in the list of Business and

(2) the words "and a circuit bench for Bikaner, Kota and Udaipur be inserted between the words "at Jaipur" and "and as an interim arrangement" occurring in sixth line of the resolution entered in the list of Business.

इसमें खास करके यह जो सर्किट बैंच है उसको बीकानेर, कोटा, उदयपुर के लिये इसके साथ साथ जोड़ा गया है। मैं यह समझता हूँ कि जो संकल्प सदन के सम्मुख रखा गया है उस संकल्प के पहले एक पुराना इतिहास है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। क्या घटनायें हुईं, उनको भी मैं नहीं दोहराना चाहता। परन्तु मैं उसमें का व्यक्ति हूं कि जो कुछ भी घटना घटी, जो कुछ भी बात हो गई, होनी थी, जो निर्णय कर लिया परिस्थितियों के अनुसार, अगर उसको अपने दिमाग को खोल कर सोचा नहीं तो बात उपयुक्त नहीं होती।

हमारे देश में आज एक लोकतान्त्रिक प्रणाली है और उसके अन्दर हमने हमारे संविधान के जरिये यह मान्य किया है कि हर आदमी के लिए न्याय सुलभ हो। एक सोशियल जस्टिस हमने संविधान के अन्तर्गत माना है। हरएक आदमी को न्याय मिले; यह मूलभूत बात हमने संविधान के अन्तर्गत स्वीकार की है और संविधान यह बात भी कहता है कि हमको इस बुनियादी बात तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिये। सोशियल जस्टिस की बुनियादी बातें लोगों तक पहुँचे, आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक न्याय को हर व्यक्ति के लिए किस प्रकार से सुलभ कर सकते हैं; यह हम अपना नितान्त कर्त्तव्य मानते हैं। इस न्याय को कैसे सुलभ कर सकते हैं, उसको वहां तक किस प्रकार पहुंचा सकते हैं; इस पर सोचना हमारा परम कर्त्तव्य है। हममें से हर एक यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ न्याय मिलना चाहिये। हिन्दुस्तान में भी हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि हर प्रान्त में ऐसा होना चाहिये। कुछ प्रान्तों में बैन्चेज़ हैं और कुछ में नहीं हैं। हमें यह देखना है कि हमने संविधान के अन्तर्गत बुनियादी तौर पर किन चीजों को स्वीकार किया है। हमने इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है तो यह सोचना है कि किस तरह से हम इसको लोगों के पास तक पहुंचा सकते हैं। हमको हमारे आज के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा। जहां तक दूसरे प्रान्तों और राजस्थान का सवाल है, जब राजस्थान में रियासतों के राज्य थे तो पांच हाई कोर्ट थे। अपनी अपनी रियासत में थे। हमारे यहां साधन उपलब्ध थे, बिल्डिंग्स थीं और सारी सुविधायें मौजूद थीं। दूसरे प्रान्तों में ये बातें नहीं थीं। दूसरे प्रान्तों में अगर हाईकोर्ट का सवाल आवे तो बिल्डिंग्स थीं तो दूसरे स्थान नहीं थे, सुविधायें नहीं हैं, कई जगह बिल्डिंग और अन्य साधन-सुविधायें भी नहीं थी, उनके लिए निर्माण करनी पड़ सकती थी। यदि दूसरे प्रान्तों में ऐसी व्यवस्था थी तो यहां भी इसको स्वीकार कर लें तो यह हुआ कि जो सुख-सुविधायें जनता को मिलती रही

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं उनको अलग रख दें। सारी सुख सुविधायें यहां उपलब्ध थी उसके बावजूद भी चूंकि दूसरे प्रान्तों में ऐसा है इसलिए हमारे यहां भी मिली हुई सुविधाओं को छोड़ कर जनता को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध नहीं करायें और लोगों को दिक्कतें हों तो यह कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। उस समय राजस्थान की राजनैतिक स्थिति बिल्कुल भिन्न थी और उससे अलग होकर सोचना चाहिये। दूसरा यह सोचना चाहिये कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। राजस्थान में कहीं कोई घटना हो जाय, आदमी हाई कोर्ट तक पहुँचना चाहे तो उस के पास पहुंचने के पूरे साधन हों तो वह पहुँच सकता है, नहीं तो नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। आज भी राजस्थान में पहुँचने के साधन नहीं है, दूर तक पहुँचना पड़ता है। अन्य प्रान्तों से राजस्थान बड़ा प्रान्त भी है। जब राजस्थान बड़ा प्रान्त है अन्य प्रान्तों से तो उनके मुकाबले में यह सोचना पड़ेगा कि हमारी सीमा बड़ी है, पहुँचने के साधन हमारे पास पूरे नहीं हैं, खर्चा भी अधिक आता है तो हमको इसकी भौगोलिक स्थिति को देख कर ही निर्णय करना चाहिये। इस प्रकार से दो स्थितियां मैंने आपके सामने रखी हैं। जब आज ये स्थितियां राजस्थान में मौजूद हैं तो दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा यह निर्णय करना चाहिये कि राजस्थान की जनता के लिए सुलभ न्याय हो सके।

जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर का सवाल है। इनमें सर्किट बैन्च का सवाल रखा है। इसका कारण यह है राजस्थान बड़ा प्रान्त है और जो सुख सुविधायें इस सम्बन्ध में पहले उपलब्ध थी, नयी कोई चीज़ नहीं करनी थी, जैसा था वैसा ही रखना था वह नहीं रख कर उनसे जनता को वंचित किया गया। संविधान में आम जनता के लिए सस्ता और सुलभ न्याय देने को प्रावधान रखा है। यह बुनियादी पोइन्ट रखा है। हाई कोर्ट की बैंच का सवाल है। जयपुर के अन्दर कायम कीजिये; आसपास के इलाके में आबादी भी ज्यादा है जो सुख-सुविधायें उनको इससे पहले उपलब्ध थी वे ज्यादा से ज्यादा उनको मिल सकें। जोधपुर काफी दूर है, अधिक लोगों को जाना पड़ता है और यदि जयपुर में बैंच हो जाय तो दिक्कत नहीं हो। राजस्थान में दूसरी जगह भी सुविधायें उपलब्ध हैं। राजस्थान सरकार उनको आसानी से काम में ले सकती हैं। यहां पर यदि बैंच रखे तो कितना खर्चा करना पड़ेगा? बिल्डिंग मौजूद है, आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा दीगर करना पड़ेगा। सर्किट बैन्चेज़ हुई तो जजेज को जाना–आना पड़ता हैं; अधिक से अधिक १० लाख का खर्चा बढ़ सकता है। इसमें काम चल सकता है। इधर यदि खर्चा भी बढ़ेगा तो अन्य खर्चे भी बच जावेंगे।

अभी मेरे से पूर्व सम्मानीय सदस्य ने बहुत सी बातें रखीं। श्री लालबहादुर के सम्मुख वहां आन्दोलन हुआ आदि बातें रखी गई। हाईकोर्ट की बैन्च यहां कायम करने के लिए कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने जो जवाब दिया वह मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के मौके पर यह बात कहना उचित नहीं। जायज बात है, उस पर विचार होना चाहिये। चुनाव के

Page No. 29

(श्री मुरलीधर व्यास)

दौरान में इस प्रकार की बात कहना राजनैतिक चारित्र्य दोष है। उन्होंने इसको मान्य किया।

बहुत से ऐसे सोचने वाले होंगे कि निर्णय ले लिया फिर बदलने का प्रश्न नहीं उठता। पार्लियामेन्ट में पं० जवाहरलालजी ने कहा था जब महाराष्ट्र प्रांत बनाने का आन्दोलन चल रहा था कि यह चेप्टर बन्द हो गया है और अब खुलेगा नहीं। उन्होंने बड़े गर्व के साथ यह बात कही। महाराष्ट्र प्रान्त बनाने का जोरों का आन्दोलन चला। लोकतान्त्रिक आन्दोलन था, काफी आन्दोलन को दबाया गया। वहां पर भी किस प्रकार को घटनायें हुई, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। जयपुर में जो कुछ घटनायें हुई वे राजस्थान के लिए कलंक की घटनायें थी। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं मानता हूँ कि आप इस ज़िद पर बैठ जाते हैं कि जो निर्णय ले लिया है उसी पर रहेंगे तो यह बात गलत है। महाराष्ट्र प्रान्त नहीं बनने देने के लिए पं० जवाहरलालजी नेहरू ने पार्लियामेन्ट में कहा था कि यह चेप्टर नहीं खुलेगा, आन्दोलन चला, जनता की आवाज थी, लोकतन्त्रीय आवाज़ थी, सैकड़ों किसान और मजदूरों ने आवाज बुलन्द की और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो चेप्टर बन्द कर दिया गया था उसको खोला और महाराष्ट्र और गुजरात बने। यह लोकतन्त्र की जीत है।

आज भी जनमत का सवाल है। हर माननीय सदस्य यह मानेगा कि इन स्थानों पर हाई कोर्ट की बैंच हो। हमारे यहां पर जो सेवायें उपलब्ध थी आज भी अगर वे सेवायें उनके लिए उपलब्ध कराते हैं तो जैसी कि जनमत की मांग है जनता के लिए सुलभ को और सस्ता न्याय मिल सकता है। हमने मर्जर स्वीकार किया; इसलिए नहीं की जो सुविधाएं पहले उपलब्ध थीं वे भी छीन ली जायं। यदि ऐसा पता होता तो शायद मर्जर को स्वीकार नहीं किया जाता। आप हाईकोर्ट लाते हैं तो यह कोई अतिरिक्त सुविधा उस स्थान को मिल जाती हो, यह बात नहीं। हम तो जो सुविधाएं पहले से ही मौजूद थीं उन्हीं को लाने के लिए कह रहे हैं। मर्जर हमने इसलिए स्वीकार किया था कि जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे सुविधाएं और बढ़ेंगी। हमें राजस्थान में इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। इससे कोई विशेष खर्चा आने वाला नहीं और उसी खर्चे में हम सस्ता और सुलभ न्याय जनता को दे सकते हैं। आज उदयपुर की जनता यदि मांग करे कि हमारे यहां इस प्रकार की तकलीफ है तो क्या मुख्य मन्त्री महोदय जनता की मांग के आगे नहीं झुकेंगे? अवश्य झुकेंगे और वहां की जनता की सुविधा के लिये जो भी साधन वे उपलब्ध करा सकते हैं करायेंगे। इसी तरह से वहां के लोग यदि सर्किट बैंच की भी मांग करें तो वह भी स्वीकार करनी पड़ेगी। कोटा, बीकानेर उदयपुर में ये सुविधाएं उपलब्ध बहुत आसानी से करवा सकते हैं। हमें उसके लिए खर्च भी कोई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आम लोगों की सुविधा का सवाल है इसलिए कुछ खर्च भी करना पड़ जाता है तो उसके लिए खयाल नहीं करना चाहिए। इस समय हाई कोर्ट जोधपुर में स्थिति है। जोधपुर के लोग सोचते होंगे कि हाई कोर्ट की बैंच अगर यहां से हट जायगी तो जो मुकदमे यहां करते थे वे नहीं आयेंगे और हमारे हाई कोर्ट का

Page No. 30

(श्री मुरलीधर व्यास)

महत्व कम हो जायेगा । मैं समझता हूं कि यह कोई मुद्दे की बात नहीं । मैं समझता हूं कि किसी जगह कोई ईमारत या पत्थर का महत्व नहीं होता । आखिर हमें सोचना चाहिये कि जनता और इन्सान का क्या महत्व है । इसके मुकाबले पत्थर और बिल्डिंग को महत्व ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए । यदि यहां पर बैन्चेज़ कायम हो जाती हैं तो यही होगा कि वहां पर कम मामले जायेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता । यह जरूर हो सकता है कि वहां का महत्व कम हो जायेगा लेकिन महत्व के लिए ही कोई चीज नहीं होती । जोधपुर का महत्व दूसरे मामलों में कम नहीं करना चाहिये । आॉफिसेज जो बने हैं वे वहां रहें, बीकानेर में जो कार्यालय हैं वे वहीं रहें । इसमें हैड क्वार्टर के महत्व को ज्यादा तरजीह न देकर जहां तक आम जनता की दिक्कत का सवाल है उसको किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इसको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिये । इसी दृष्टिकोण से हमें सोचना चाहिये । इसके साथ साथ जिन महानुभाव ने प्रस्ताव रखा है उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वे हमारी इस चीज को मान्य करेंगे ताकि वहां की जनता को सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त हो सके और जो मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको मान्य करेंगे ताकि हमारा जो दृष्टिकोण हो वह व्यापक बन सके और हम व्यापक दृष्टिकोण से विचार कर सकें जहां तक जनता की सुविधा का सवाल है, सब के हित का सवाल है उसमें एक मत होकर स्वीकार करना चाहिये । आम लोगों के हित को दृष्टिगत रखते हुये मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को वे मान्य करेंगे ।

इसके साथ साथ मैं राजस्थान सरकार से भी निवेदन करूंगा कि हमने पहले किसी भी प्रकार की जिद्द को हो और उस जिद्द के अनुसार कुछ भी फैसला कर लिया हो, उनकी पार्टी द्वारा किसी प्रकार का फैसला किया जा चुका हो लेकिन कांग्रेस भी एक संस्था है और संस्था में समाज का प्रतिनिधित्व होता है, संस्था समाज से बड़ी नहीं होती । समाज और संस्था दोनों जनता के प्रतीक हैं । इसलिए लोक मत और जनता की जो मांग है; पुकार है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए । संस्था ने किसी समय कोई निर्णय लिया हो, इसलिए हम बदल नहीं सकते शान और शौकत में किसी प्रकार की कमी आ जाएगी, यह बात नहीं । इससे मेरा आप से निवेदन है कि जिस तरीके से यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है यह आम जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किया गया है । इसलिए मैं प्रस्ताव में यह संशोधन प्रस्तुत करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सतीशकुमार (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वह अपेक्षाकृत पुनीत विषय है, न्याय की बात है, सब को समान न्याय मिलने की बात है । किस तरह से मिलना चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिये, इस मामले में छोटी छोटी दीवारें हैं; उधर एक पक्ष है, इधर दूसरा पक्ष है और बीच में हम स्वतन्त्र विचार लिये हुए हैं । इन सब आदमियों को मिल कर, एक होकर विचार करना चाहिये । एक पार्टी जो अलवर से चलती है और जोधपुर जाना चाहती है, एक

(श्री सतीशकुमार)

स्वतन्त्र विचार वाला व्यक्ति भी जोधपुर चलता है या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जोधपुर जाते हैं तो किसी के भी किराये में फर्क नहीं होगा। जिन आदमियों को दबाने की कोशिश की जाती है, इस वजह से नहीं कि हमारा पहले फैसला था, आज हम किसी एक व्यक्ति के खास विचार को वजह से उसे बदलना चाहते हैं यह बात नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यह किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं। यह बात हो सकती है कि किसी मामले में हमारे विचार एक दूसरे से भिन्न हों, लेकिन जहां तक जनता की दिक्कतों का सवाल है उसमें जो ये दीवारें बीच में पड़ी हुई हैं उन दीवारों को सामने से हटा कर हमें चाहिए कि हम जनता के हित और सुविधा को महत्व दें। यह हो सकता है, जोधपुर के लोग यह सोचते हों कि हम यदि इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो हमारे वोटर्स हैं वे खिलाफत करने लग जायेंगे। इस प्रस्ताव से हाईकोर्ट को हटाने का सवाल नहीं, इसमें तो सिर्फ एक बैंच की मांग की जाती है। वैसी हालत में मैं समझता हूं हमारे जोधपुर के वोटर्स भी नाराज नहीं होंगे, यदि उनके यहां से एक बैंच दूसरी जगह चली जाती है और उसके जाने से लोगों को ज्यादा सुविधा और सस्ता न्याय सुलभ हो सकता है तो। इसलिये मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि चाहे वे किसी भी पार्टी के हों वोटर्स को इसमें नाराज करने का सवाल नहीं, यहां तो जनता के हित की ओर ध्यान दिलाना हमारा कर्त्तव्य है।

हाईकोर्ट के मामले का बहुत छोटा सा इतिहास है। वह मैं आपके सामने रखूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में प्रेजुडिसेज ने एक तरह के खयालात बना रखे हैं उनको हटाना पड़ेगा। इस समय सदन के सामने दो विषय रखे गये हैं जिससे कुछ भिन्नता आती है। एक में एक सीट को रखने का सवाल है जिस प्रकार यहां पर बैंच कायम थी उसी तरह की रखने का सवाल है, उसको हटाने की कोई वजूहात नहीं। इसके अलावा एक भिन्न चीज जो रखी गई है वह यह कि एक एक बैंच दूसरे स्थानों पर भी रखी जाय, यह निवेदन है। वास्तव में अध्यक्ष महोदय, इस बात पर हमें भिन्न भिन्न पहलू से अलग अलग विचार करने की बात है। एक ही विषय पर जो प्रस्ताव स्वामीजी द्वारा रखा गया है उस पर मैं अपना मत प्रगट करूंगा और इसके साथ साथ हाई कोर्ट के मामले का जो इतिहास है वह भी आपके सामने रखूंगा।

(१. म.प.)

राजस्थान में जो एकीकरण किया गया। हाई-कोर्टों का, उसके विषय में सरकार ने एक नोटीफिकेशन जारी किया और उसके जरिये यह बताया कि एक बैंच जयपुर में रहेगी और हाई कोर्ट की सीट जोधपुर में होगी। अब यहां जो बैंच रखी गई अध्यक्ष महोदय, उसमें जजों की संख्या जोधपुर से ज्यादा रखी गई और इसलिए रखी गई, चूंकि यहां केसेज़ उस हल्के के मुकाबले में अधिक आते थे।

इसके पश्चात् ६–१२–५४ को सरकार ने फैसला किया कि पर्मानेन्ट सीट-बैंच जयपुर में होगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ सरकार को उसका यह फैसला। और यह एक फैसला

(श्री सतीशकुमार)

ही नहीं है और भी कई फैसले हैं। सबसे बड़ी जनता की आवाज का फैसला है। इस ६-१२-५४ के फैसले के ये शब्द हैं:—

"Memorandum of Chief Secretary embodying the Chief Justices, suggestion was considered by Cthe'abinet on 9.12.54 and it was decided that the High Court should be situated at Jodhpur with a permanent bench at Jaipur."

इसके बाद में यह महसूस किया गया कि यहां पर हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वह नाकाफी है और इसके लिये एक नई बिल्डिंग बनाने का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के गृह मन्त्रीजी, श्री पन्तजी, ने किया और उन्होंने जो शब्द उस अवसर पर काम में लिये वे भी मैं सदन के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा:—

"At present the High Court functions at two places. The main wing is in Jodhpur and a Bench, I think is permanently located here, to look after the cases which belong to this territorial area...It is a matter of gratification to me to be called upon to lay the foundation stone of this High Court Building." तो अध्यक्ष महोदय, यह जो पैसा लगाया गया बिल्डिंग में इससे सब लोगों का यह दिमाग था कि हाई कोर्ट की बैंच यहां पर रहनी है।

अब बहुत संक्षेप में यह देखना है कि उसको हटाने के लिये जो वजूहात काम में लिये गये क्या वे ऐसे हैं कि जो किसी तरह के भी लोगों के गले के नीचे उतर सकते हैं। इसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री वान्चू ने जो शब्द प्रयोग किये हैं इसके बारे में वे, ये हैं:

"I am, therefore; very happy that we are now constructing new building suitable and sufficient for our needs and located in calm surrounding for the work of a Bench."

इसके बाद लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई, मैं समझता हूं, उससे यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई; जिसके लिये आन्दोलन भी हुए, लोगों ने अपनी परेशानियां भी सरकार के सामने रखी। पर न मालूम किस कारण से या तो न्याय में राजनीति मिला दी गई या किसी अन्य कारण से यह स्थिति बन गई और इस सब की शुरूआत होती है लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद से। उसने राय जाहिर की कि हाईकोर्ट की सीट एक जगह होनी चाहिये। अब यह उन्होंने नहीं कहा कि एक जगह होने का यह मतलब है कि एक कोने में ले जाकर सीट रख दो। अगर वजूहात थी तो इस बात की थी कि एक जगह होनी चाहिये, दो जगह नहीं।

एक बात और है। लॉ कमीशन ने जो यह कहा, सारे हिन्दुस्तान के लिये कहा, न कि राजस्थान के ही लिये। सारे हिन्दुस्तान में इस कमीशन की बात मानी गई हो, ऐसी बात नहीं। इसमें भी और बातों की तरह राजस्थान ने ही पहल की। पहल करने के लिये या राजनीति इसमें मिली इसलिये; यह नहीं कहा जा सकता पर ऐसा करने से राजस्थान में आज इस स्थिति का सामना करना पड़ा कि यहां आंदोलन हुए, लोग नाराज हुए। दो-तीन जगह लॉ कमीशन की सिफारिशें भी नहीं मानी गई।

(श्री सतीशकुमार)

राजस्थान में होने ही की वजह से जनता को यह स्थिति देखनी पड़ती है। बाकी किसी राज्य ने इसको फॉलो नहीं किया। सेन्टर के लॉ मिनिस्टर ने भी इसके लिये कहा कि हम मजबूर थे। क्या हम ही रह गये इसको मानने के लिये जो कि सरासर नाजायज़ बात मालूम पड़ती थी?

जिस समय लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, उस समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भारत सरकार के विचाराधीन था और यह करीब करीब इसके तीन महीने बाद पास किया गया। लॉ कमीशन की रिपोर्ट १।८।५६ को दी गई थी और उस रिपोर्ट को कभी भी पार्लियामेन्ट ने कन्सीडर करके एप्रुव नहीं किया, इन सब बातों को हम जानते हैं।

१।११।५६ को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसकी दफा ५१ के (२) व (३) मदें मैं आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा। उनमें यह बताया गया है कि:—

"The President may, after consultation with the Governor of a new State and the Chief Justice of the High Court for that State, by notified order, provide for the establishment of a permanent bench or benches of that Highcourt at one or more places within the State other than the principal seat of the High Court and for any matter connected therewith."

इसके बाद इतने से ही सन्तोष नहीं हुआ, सेक्शन २(३) में बताया :

"Notwithstanding anything contained in sub-Section (1) or sub-section (2) the Judges and division courts of the High Court for a new State may also sit at such other place or places in that State as the Chief Justice may, with the approval of the Government appoint." तो दो रास्ते हमारे सामने नजर आते हैं। कमीशन की बात भी अगर हम मान लें तो जगह ऐसी रखते जो सबको सूट करती, सबके बीच में होती। न्याय का नाम लेते हैं तो बराबर न्याय मिलना चाहिये, बिना पक्षपात के मिलना चाहिये। पर उन्होंने इस बात को नहीं माना। उसके तीन महीने बाद एक्ट पास किया। उन्होंने कहा बेंचेज़ रखेंगे, जजों को यह अख्तियार रखेंगे कि घर घर जाकर न्याय दें। पर पार्लियामेन्ट हिन्दुस्तान की उस रिपोर्ट से विपरीत दिशा में चली। इतना ही नहीं; बल्कि हमारे राजस्थान के एक संसद् सदस्य ने यह सवाल रखा संसद् के सामने कि यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट इस हद तक मानने के काबिल नहीं है कि बेंच हटा दी जानी चाहिये। उन्होंने यह कहा कि- Recommendation of the Law Commission for the abolition of the benches of Highcourt be rejected. इस पर बहस करते हुए सरकार के लॉ मिनिस्टर ने यह फरमाया :

"In reply to this debate on this motion, in Parliament, Shri A. K. Sen declared on the floor of the House, that the Government of India could not accept the recommendation of the Law Commission for the abolition of HighCourt Benches and it will depend upon the circumstances of each state."

(श्री सतीशकुमार)

इसके अलावा सन् १६६० में श्रीनगर में अधिवेशन हुआ जिसमें हिन्दुस्तान के सभी राज्यों के लॉ मिनिस्टर इकट्ठे हुए। वहां पर भी यह सवाल रखा गया तो इस पर श्री ए.-के. सेन ने कहा कि इस हद तक तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं हैं। तो आज राजस्थान में यह स्थिति है कि अलवर वालों, बीकानेर वालों और कोटा वालों के लिये पचास, पचास रुपया एक एक केस पर टैक्स के रूप में बढ़ गया है, यह कहा जा सकता है। इससे न्याय सस्ता होने के स्थान पर महंगा हो गया है। लोग यह समझने लग गये हैं यहां के कि न्याय सस्ता और सुलभ होने के स्थान पर उनके लिये दूर चला गया है और महंगा भी पड़ गया है। लोगों के हौसले नहीं होते कि न्याय को जाकर पकड़ सकें। तो इस स्थिति को पैदा करने के लिये लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। इसको भारत सरकार ने नहीं माना और हमारी सरकार को अख्तियार दिया कि वे जरूरत समझें तो मानें, रखें; नहीं तो नहीं रखें। अब हम सरकार से पूछें कि एक आदमी को एक कोने से चल कर न्याय के लिये दूसरे कोने तक जाना पड़े तो इसमें सिवाय राजनीति के या व्यक्तिगत विचार के और क्या कारण हो सकता है? तो इस प्रकार की बात हमारे सामने आई।

(समय- समाप्ति-सूचक घन्टी)

दो मिनट में ही खत्म करता हूं। ये बैन्चेज़ इस तरीके से कायम हों जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि स्टेट्स के अन्दर एक ही नहीं; बल्कि दो, दो जगह बैन्चेज़ कायम हैं। बॉम्बे प्रान्त में बॉम्बे और नागपुर में, मध्यप्रदेश में जबलपुर और ग्वालियर में ही नहीं; बल्कि इन्दौर में भी कायम है, पंजाब में चण्डीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और लखनऊ में कायम हैं। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह स्थिति रखना चाहता हूँ कि कोई भी पक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव को लाता है, यदि एक पक्ष लाता है तो दूसरे पक्ष को पसन्द नहीं है और अगर दूसरा पक्ष लाता है तो पहले वाले पक्ष को पसन्द नहीं है। यदि आप सरकारी पक्ष वालों से इस प्रस्ताव को रखवाना चाहें तो हम उसका स्वागत करते हैं। यह सवाल ऐसा नहीं है कि जिसमें वोट देने का मामला हो या कोई पार्टी का सवाल हो। तो इस तरीके से इसको देख कर आपको करवाना चाहिए। जाहिर है कि एक करोड़ से ज्यादा लोगों को इससे तकलीफ होती है। यहां के प्रोसीजर में आकर, यहां की इस तरह की बातों में आकर करते हैं कि हमारे वोटर्स को तकलीफ होती है तो हम ऐसा समझते हैं कि जिस मिशन को लेकर हम यहां आये हैं उसको पूरा नहीं करते। अगर आप लोगों के गले उतरती है तो आपको निर्भीक होकर वोट देने का हौसला रखना चाहिए; नहीं तो समझ में नहीं आता कि इसमें ऐसी कौनसी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : महारावल श्री लक्ष्मण सिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुमूल्य समय अधिक नहीं लेना चाहुंगा। यह एक महत्व पूर्ण प्रस्ताव है और हमे इस प्रस्ताव पर निष्पक्षता, उदारता और वास्तविकता

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के अनुसार विचार करना चाहिए ।

हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और उसकी एकता समानता के अन्दर ही निहित नहीं है, विभिन्नता के अन्दर भी निहित है । The unity of India does not reside in uniformity alone but it also resides in diversity.

अगर ऐतिहासिक रूप से न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में निष्पक्षता के रूप से आज हम विचार करें तो मैं समझता हूँ कि यह प्राचीन रम्य ऐतिहासिक नगर जयपुर जिसके अन्दर एक हाई कोर्ट की बैंच स्थित थी उसको यहाँ से उठाया जाना एक न्यायपूर्वक बात नहीं कही जा सकती । जयपुर जन-संख्या के अनुपात से राजस्थान में सबसे बड़ा नगर ही नहीं है परन्तु राजस्थान की राजधानी भी है और इस नाते हाई कोर्ट की बैंच यहां होनी चाहिए और बैंच का यहां होना राजस्थान के लिए परमावश्यक आभूषण था । उसका हटाया जाना मैं समझता हूँ कि शासन के लिए एक लाँछन है ।

संशोधन जो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में रखा गया है वह भी उतना ही महत्व पूर्ण है । उसे भी वास्तविकता को लिए हुए मैं उतना ही उचित समझता हूँ और वैधानिक दृष्टिकोण से भी मैं यह समझता हूं कि कोई कारण ऐसा नहीं है कि इस प्रस्ताव को संशोधित रुप में हम स्वीकार न करें । हमको ओछी भावनाओं से, संकीर्ण रूप से जिद् या हठ में आकर कोई छोटी मोटी बातों से सस्ते सिद्धांतों को लेकर रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहिए । यह एक करोड़ जनता जनार्दन के हित का सवाल है और जहां तक इस सदन का ताल्लुक है, हम सभी जनताज नार्दन के हित के सिद्धांत को लेकर यदि आगे बढ़ते हैं तभी हम जनतन्त्र को सफल बना सकते हैं । जयपुर के अन्दर हाईकोर्ट का नहीं रहना सारे अजमेर डिविजन, सारे कोटा डिविजन और भीलवाड़ा और आधा चित्तौड़ जिला, उदयपुर डिविजन सभी के लिए एक हानिकारक वस्तु है । जोधपुर के अन्दर हाईकोर्ट रहे, उस सम्बन्ध में हमारा तनिक मात्र भी विरोध नहीं है लेकिन उसके साथ साथ मैं कोई कारण ऐसा नहीं समझ सकता कि जयपुर में यह आवश्यक आभूषण जो शासन का है, न्याय व्यवस्था का है वह छीन लिया जाये । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुरजोर निवेदन करूंगा कि शासन को चाहिये कि इसे अपना पुनीत कर्त्तव्य समझ कर न्याय व्यवस्था को सस्ता और सुचारू बनाने के लिए जयपुर के अन्दर एक बैंच हाईकोर्ट की स्थाई रूप से हो । उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बीकानेर, कोटा और उदयपुर की उमंगों को, उनकी आंकाँक्षाओं को, उनकी आवश्यकताओं को मद्दे नजर रखते हुए इस बारे में भी उचित व्यवस्था की जाये कि जो वैधानिक दृष्टि से सर्वथा उचित होगा, वास्तविक दृष्टि से उतना ही उचित होगा कि अस्थाई बैंचेज़ सर्किट कोर्ट्स के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की न्याय व्यवस्था दी जाये । मुझे विशेष इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है । मैं केवल मात्र यही पुनः निवेदन करूंगा कि हम सामुहिक रूप से इस निर्णय को करते हैं, निष्पक्षता के रूप से इस निर्णय को करते हैं तो जनता जनार्दन को हम सुखी कर पाते हैं । इतने शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को जो संशोधित रूप से सदन के समक्ष है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उसका हार्दिक समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य प्रस्तावक का एक मतलब मैं समझा कि जयपुर नगर में हाईकोर्ट की एक बैंच होना न्यायोचित एवं अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो लॉजिक पेश किया इसके समर्थन हेतु वह मेरी समझ में सर्वथा नहीं आया। उन्होंने डाबला काण्ड और नीमकाना के काण्ड का जिक्र सदन में पेश किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय ये कांड हुए उस समय जहां तक मेरी स्मृति है भिन्न भिन्न रियासतें मौजूद थी और उन रियासतों के अन्दर भिन्न भिन्न हाईकोर्ट्स भी मौजूद थे। जयपुर बैंच कायम रखने के साथ ही अगर माननीय सदस्य का मतलब यह हो सकता है कि हम इन कांडों की दुबारा पुनरावृत्ति करें, मैं समझता हूं कि यह कदापि उनका मतलब नहीं हो सकता। एक हवाला यह आया कि जयपुर और जोधपुर के अन्दर गृह युद्ध हो जाये हाईकोर्ट के विषय में। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि यह ऐसा विषय है कि जिसके कारण जोधपुर और जयपुर के बीच में गृह युद्ध होने की सम्भावना हो। मैं जोधपुर के लोगों की तरफ से अथवा किसी की तरफ से इस विषय पर अपने विचार रखने की इच्छा नहीं कर रहा हूं; फिर भी मैं आवश्यक समझता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत विचार सदन के समक्ष मैं पेश करूं, सब माननीय सदस्यों के विचार के लिए। यदि एक बैंच जयपुर में होती है तो व्यक्तिगत मैं नहीं समझ सकता कि उसमें किसी को क्यों आपत्ति हो। इसके अतिरिक्त दूसरी बैंचेज़ बीकानेर, कोटा, उदयपुर आदि के अन्दर मुनासिब समझते हैं रखना तो भी जोधपुर को क्यों आपत्ति हो। सवाल यह पेश होगा कि क्या सरकार अपने किसी निर्णय के ऊपर फाइनल राय कायम करके उसके ऊपर टिक सकेगी या नहीं? जब एक समय राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया कि राजस्थान के लिये हम एक हाईकोर्ट रखते हैं और उसका मुख्य स्थान हम जोधपुर रखते हैं, मैं सदन के सामने यह समस्या पेश करूंगा कि उस समय के बाद कौन से ऐसे नये वाकयात पेश आये कि जिनके लिए इतने कम समय के अन्दर आपको अपने निर्णय के ऊपर पुनः विचार करने की आवश्यकता प्रस्तुत हुई? उसके साथ में यह भी सदन के समक्ष विचाराधीन रहे कि यह निर्णय तत्कालीन चीफ जस्टिस श्री वान्चू महोदय की सलाह पर लिया गया था, जो न जयपुर के थे न जोधपुर के। वे अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने किसी पहलू को लेकर, किन्हीं तथ्यों को लेकर, किन्हीं मसलों को लेकर राजस्थान सरकार को सिफारिश की थी। उन तथ्यों पर राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया था। तो अध्यक्ष महोदय, क्या कारण होगया कि आज उसी निर्णय पर पुनर्विचार करके उसके विपरीत कोई कदम उठाया जाय?

मेरे से पहले के माननीय सदस्यों के भाषणों में यह भी आया कि आन्दोलन हुए, गुजरात और महाराष्ट्र के टुकड़े हुए और दूसरी भी एक स्टेट की दो स्टेटें कायम हुई, और वे आन्दोलन की वजह से हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात

(श्री अमरसिंह)

को स्वीकार करेंगे कि आन्दोलन के वशीभूत होकर सरकार को कोई निर्णय लेनेके लिए बाध्य करना, यह उचित परम्परा नहीं है। हमारे चरित्र के अन्दर यह हमेशा त्रुटि रहेगी कि आन्दोलन को लेकर हम ऐसे निर्णय सरकार पर थोपें जो कि उचित नहीं हैं। यदि इस प्रकार रहा तो इसका कोई अन्त नहीं होगा।

इसका दूसरा पहलू मैं माननीय महोदय, आपकी मार्फत सदन के सामने और सरकार के सामने पेश करूंगा कि जिस प्रकार पहले रियासतों के अन्दर भिन्न भिन्न हाईकोर्टें थीं उसी प्रकार से अमुक अमुक रियासतों के अन्दर प्राइम मिनिस्टर्स थे; बीकानेर में था, उदयपुर में था, जोधपुर में था, जयपुर में था, और कोटा में था ये। सारे कोई सुपरफ्लुअस नहीं थे। सब का फन्क्शन बराबर था और वे अपना अपना फन्क्शन सुचारू रूप से अदा करते थे। आज चीफ मिनिस्टर का फन्क्शन, मुख्य मंत्रीजी का फन्क्शन कोई सुपरफ्लुअस नहीं हुआ है। उसकी उपयोगिता है और जैसलमेर का रहने वाला और धौलपुर का रहने वाला मुख्य मंत्रीजी से इतनी दूर बैठने के कारण न्याय पाने से वंचित रहता है तो कोई वजह नहीं है कि जितनी रियासतें थी वहां पर इसके लिए एक एक मुख्य मन्त्री क्यों नहीं हो? मैं खुद इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि हमारे यहां के लोगों को बहुत सी तकलीफें हैं और उन तकलीफों को माननीय मुख्य मन्त्रीजी के सामने पेश करना अत्यन्त आवश्यक है। उन लोगों को यह सुविधा नहीं है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी तक पहुंच सकें और हम लोग यहां ४–४ दफा टेलीफोन करते हैं तो फुर्सत नहीं मिलती है सुनवाई के लिए। जोधपुर, उदयपुर आदि में अलग अलग मुख्य मन्त्री होते, ५ मुख्य मन्त्री होते होते तो हमारी सुनवाई अच्छी तरह होती। उस हालत में इसी उदहारण को लेकर यदि सब रियासतों के लोग ५ या १० मुख्य मन्त्रियों का प्रयत्न करें तो या तो मुख्य मन्त्रीजी को अपने आपको १० टुकड़ों में बांटना होगा या उनको राजस्थान के मुख्य मन्त्रित्व से हाथ धोना पड़ेगा। मैं इसके अन्दर विशेष आपत्तिकारक नहीं हूँगा।

मेरा यह सुझाव नहीं हो सकता कि जनता जानर्दन की मांग को ठुकराया जाय, पर मैं यह अवश्य कहूँगा कि तथ्यों को खास महत्व देना आवश्यक है। जिन तथ्यों से कोई भी कार्य करना उचित हो उन तथ्यों को मान्यता देते हुए कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये। जिन तथ्यों को ठीक नहीं समझते और उनके आधार पर कोई काम नहीं किया जा सकता तो कोई काम नहीं किया जाय। इसलिए न मैं समर्थन करता हूँ कि इस प्रस्ताव को पास किया जाय और न इतने जोर से विरोध करूंगा कि इस माँग को ठुकराया जाय। लेकिन अगर जरूरी समझे तो यह सदन और सरकार इस बात को अवश्य करेगी। मगर आज कोई ऐसी विशेष हालत पैदा नहीं हुई हो तो उनके निर्णय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री मालमसिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया कि जनता की मांग को दृष्टिकोण में रखते हुए जयपुर

(श्री मालमसिंह)

में हाईकोर्ट की बैंच को लाया जाय तो कोई एतराज की बात नहीं होगी । वे सदस्य मेरे खयाल से जोधपुर चीफ जज कोर्ट के प्यूनी जज और सेशन्स जज रह चुके हैं, लेकिन एतराज की बात सबसे ज्यादा यह हो सकती है कि हाईकोर्ट की मर्यादाएं बनाए रखने के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो डिविज़नल बैन्चेज़ वर्क करती थी और हाई कोर्ट जोधपुर में चलता था; बहुत से भाइयों को जो इस सदन में मौजूद हैं उनको ज्ञान है कि यहां की एक बैंच एक मसले पर कोई फैसला दे देती थी और जो हाई कोर्ट जोधपुर में काम कर रहा है उसी मसले पर दूसरी तरह का फैसला दे देता था । इस प्रकार से बहुत जल्दी–जल्दी बैंचों का कॉन्स्टीट्यूशन होता था और फुल बैंच को देखना पड़ता था कि दोनों फैसलों में से कौनसा सही है । इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि राजस्थान हाईकोर्ट की लम्बी–चौड़ी अवस्था नहीं है । हमें राजस्थान हाई कोर्ट की मर्यादाएं और भी बढ़ानी हैं और दूसरे प्रोविन्सेज़ में हाई कोर्ट की मर्यादाएं बन चुकी हैं । उन मर्यादाओं को पार करके उनसे भी आगे जाना है । इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि अगर बेंच कॉन्स्टीट्यूट करते जायेंगे और जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में कोर्ट लगायेंगे तो वह हाई कोर्ट नहीं रह कर एक ग्लोरिफाइड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्टेटस अख्त्यार कर लेगी........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): With due respect, this sounds patently lame excuse. This is no argument.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : On a point of information sir, कोई ऐसा केस कोट करें जिसमें इस तरह से दो राय हुई हों ।

श्री मालमसिंह : आप आर. एल. डब्ल्यू, ए. आइ. आर. और क्रिमिनल लॉ डाइजेस्ट को देख लें । मैं यहां वकालत करने हाजिर नहीं हुआ हूँ ।

इसके अतिरिक्त कई सदस्यों ने यह ऐतराज उठाया कि हर एक यहां के सिटीज़न को लेकर, नागरिक को सस्ता न्याय मिलना चाहिए । मैं इस बात में दो राय नहीं रखता हूँ कि जहाँ तक नागरिक को न्याय मिलने का सवाल है, वह सबसे सस्ता और सुलभ होना चाहिए । लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि न्याय ठीक है कि लिटिगेंट के दरवाजे तक पहूँचे, लेकिन हाईकोर्ट जोधपुर में हो तो न्याय किस प्रकार से महंगा है ? जहां तक न्याय सस्ता और सुलभ उपलब्ध कराने का सवाल है, हर एक को विदित है कि आपकी तहसील, सब-डिविजन में सब-कोर्टस मौजूद हैं जो कि ओरीजिनल वर्क करती हैं और हाईकोर्ट अपील का वर्क करता है जिसमें अगर जो कोई भी फौजदारी और दीवानी का ज्ञान रखता है उसको मालूम होगा कि किसी फरीक को, किसी लिटीगेन्ट को हाजिर होने की जरूरत नहीं है । वकील ही पैरवी कर सकता है । इसलिए वकील के द्वारा पेशी हो सकती है । अलवर या दूसरी जगह से यदि कोई शौक से चला जाय कि मेरी वकील के पास रहने की जरूरत है तो बात दूसरी है वर्ना हाजिर रहने की जरूरत नहीं है........

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) ;

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मालूम करना चाहूँगा कि जो वकील महोदय हैं उनकी बार में कितनी स्टेडिंग है, और कानून के सम्बन्ध में कितना ज्ञान है, यह भी सदन के समक्ष आ जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): साथ ही एम. एल. ए. होने की क्या क्वालिफिकेशन हो; यह भी आ जाना चाहिये।

श्री सतीशकुमार (बानसूर) : वकील करने को तो जाना ही पड़ेगा श्रीमान्जी।

श्री मालमसिंह : इसलिए मेरा अर्ज करने का मकसद यह था कि कई भाइयों ने ऐतराज उठाया कि न्याय बहुत मँहगा हो गया है क्योंकि हाई कोर्ट जोधपुर में चला गया है। यह कोई न्याय संगत बात नहीं कही कि न्याय मंहगा हो गया है जब कि आपके अड़ोस पड़ोस में अदालतें हैं। अदालतें आपके पास में हैं और आज तो छोटे मोटे मामलों के लिये न्याय पंचायत खोल कर न्याय गांव गांव में उपलब्ध किया गया है। यह मोटी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ।

ब्यावर से आने वाले भाई ने कहा कि राजस्थान में १६ रियासतों का एकीकरण हो गया है। ठीक है, १६ रियासतों को मिला कर एकीकरण हो गया लेकिन इमोशनल और भावनात्मक एकीकरण नहीं हुआ था। इसलिए जरूरी था कि १६ रियासतों का एकीकरण करके राजस्थान को मुल्क या प्रान्त मान कर आगे चलना हो तो जगह जगह विभाग खोलने पड़ेंगे, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जयपुर राजधानी बन गया तो यहीं सब को केन्द्रित कर दिया जाय। इसलिये यह बहुत जरूरी था भावनात्मक एकीकरण लाने के लिये अलग अलग जगह अलग अलग विभाग खोले जावें। जैसे जोधपुर है, बीकानेर इत्यादि, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विभाग रखे जायं। आज आप यह मांग शुरू करते हैं कि जोधपुर से हाई कोर्ट की बैंच हटा कर जयपुर में लाई जाय, कल कहेंगे कि एक्साइज़ और टैक्सेशन का महकमा उदयपुर से हटा कर जयपुर में लाया जाय और फिर कहेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर में है उसको भी वहां से हटा कर जयपुर में रख दें; इन डिपार्टमेंट को भी जयपुर में शिफ्ट कर दें। तो भावनात्मक एकीकरण की बात धूल में मिल जायगी और इमोशनल एकीकरण की बात शुरू करेंगे। इसलिए मेरी अपील है कि अगर राजस्थान में भावनात्मक एकीकरण करना है तो इन छोटी मोटी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए............

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस पर आप भी अमल करें जो उदाहरण दे रहे हैं।

श्री मालमसिंह : अमल कर रहे हैं हम तो। इसके अतिरिक्त एक चीज मैं और अर्ज करना चाहता हूँ। वह यह है कि पहले राजस्थान बना तब क्षेत्रीय भावना का बहुत जोर था, जयपुरवाद, उदयपुरवाद, जोधपुर–वाद आदि। इसलिये केन्द्रीय सरकार ने महसूस किया कि अभी राजस्थान इस स्थिति में नहीं है कि राजस्थान के नेता निष्पक्ष भाव से तुरन्त निर्णय ले सकें। इसलिये पहले पटेल कमेटी बनी और फिर राव कमीशन

Page No. 40

(श्री मालमसिंह)

बैठाया; उनमें बेशक विद्वान् और योग्य आदमी थे। उन्होंने राजस्थान का दौरा किया और भिन्न भिन्न तरह के आदमियों से मिल कर सब को सुना और फिर अपनी राय जाहिर की कि जोधपुर में ही दरअसल में राजस्थान हाईकोर्ट स्थापित होना चाहिये और उसके बाद जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थानपना हुई। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें केन्द्रीय सरकार ने तय की हैं, उसके अधिकार में था। आप ऐसी राय न दें इस प्रस्ताव के जरिये कि सरकार को केन्द्रीय सरकार से कुछ कहना पड़े। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव में सार नहीं है। इसका विरोध करता हुआ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यावर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो आज प्रस्ताव हाईकोर्ट की बैंच के बारे में रखा है उस बारे में विचार-विमर्श हो रहा है। जो हाईकोर्ट का सवाल है उस पर राव कमेटी ने बैठ कर सारे जितने पहलुओं से सन्तोष हो सकता था,–सब बातों को सुनकर, डेपुटेशन्स के रूप में, बार एसोशियेसन के रिप्रजेन्टेशन के रूप में और सब जगह कमेटी ने वहां जाकर फैक्ट्स एण्ड फिगर्स कलेक्ट करके जो भी निर्णय दिया उसको वापिस करने के लिये विचार-विमर्श किये जाने को कोशिश की जा रही है।

इस बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता यह है कि डेमोक्रेटिक रूल में यदि कोई भी वाद-विवाद के बाद दोनों पक्षों को सुन कर किसी बात पर फैसला होता है तो वह सब पक्षों को मान्य होना चाहिये। यदि इस तरीके से किसी बात पर बार बार पुनः विचार के लिये आग्रह हो तो किसी भी तरह से कोई बात, मोटी या छोटी का सवाल किसी तरह से हल नहीं किया जा सकता। जहां तक हाईकोर्ट का प्रश्न है यह इन्टीग्रेशन का प्रश्न था। सब स्टेट्स का इन्टीग्रेशन किया गया तब पुरानी स्टेट्स की मान्यता रखने के लिये, उनका महत्व रखने के लिये कोई विभाग कहीं पर, राजधानी किस जगह पर और हाईकोर्ट किस स्थान पर रहे; ये सारी बातें एग्ज़ामिन की गई। राजस्थान सरकार की ओर से और यूनियन गवर्नमेंट की ओर से; ताकि राजस्थान जो इतना बड़ा मुल्क बन गया है, इन्टीग्रेशन के जरिये, उसमें शांति कायम रहे और सब लोगों के हक-हकूक कायम किये जा सके और लोगों को परेशानी न हो।

सबसे पहले राजधानी का सवाल पैदा हुआ। उस समय हाईकोर्ट का सवाल पीछे रखा गया। राजधानी का सवाल एग्ज़ामिन किया गया। तब यहां के लोगों ने राजधानी यहाँ बनाने के प्रश्न को पेश किया और राजधानी का सवाल हमेशा के लिये सैटल हो गया तो हाईकोर्ट का सवाल उटाया गया। जब अजमेर का विलीकरण हुआ उसके बाद, जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद ने कहा है, अजमेर के आने के बाद राजस्थान सरकार या हिन्दुस्तान सरकार के समक्ष सवाल उठाया गया कि राजधानी और हाईकोर्ट के सवाल पर पुनः विचार किया जाय। इसलिये राव कमेटी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

स्थापित की गई और उसने गहराई से सोच कर, राजस्थान की जनता के आंदोलन में न पड़ कर निष्पक्षता से जांच की, क्योंकि इसमें रिटायर्ड जज थे और बुद्धि रखनेवाले थे, वे पोलिटिकल प्रेशर में नहीं आये और निष्पक्षता से फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट हिन्दुस्तान की स्टेट्स मिनिस्टरी के सामने रखी। दोनों तरफ के डिपुटेशन्स दिल्ली पहुँचे। पंत साहब के पास जयपुर बार असोसियेशन की तरफ से रिप्रेजेन्टेशन दिया। सब की बातों को सुन कर जो फैसला किया गया है वह राजस्थान में सर्व मान्य है। राजस्थान हाईकोर्ट का मसला हमेशा के लिए सैटल कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के जरिये हिन्दुस्तान सरकार के पास कहां तक जाया जाय, वह प्रस्ताव कैसे मान्य हो, मेरे विचार से विधान सभा में ऐसे मामले तय नहीं किये जा सकते। जो ऐसे मामले हैं, राजधानी के, विभागों के या हाईकोर्ट का मामला है उसमें कमीशन के जरिये राज्य सरकार को फैसला लेना पड़ा है, सब तथ्यों को सुन कर फैसला लिया है। मेरे विचार से वह अन्तिम फैसला होना चहिये। फिर बार बार माननीय सदस्यों जनता की भावनाओं को उभार कर अपनी सहूलियतों के लिये कहा जाय कि न्याय नहीं मिलता है तो न्याय हाईकोर्ट में ही नहीं मिलता है, नीचे की अदालतों से भी न्याय मिलता है और न्याय पंचायतों से भी न्याय मिलता है। विकेन्द्रीकरण की योजना से, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की योजना से गांव गांव में न्याय पहुँचाने की कोशिश की गई है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सारा न्याय हाईकोर्ट में ही मिलता है, यह कहां तक सच है। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के मसले को लेकर सारी जनता की बात, उनको न्याय न मिलने की बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि न्याय मिलता है मजिस्ट्रेटों में, सेशन्स कोर्ट तक अपील में ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में तो ५ प्रतिशत से भी कम लोगों को जाने की जरूरत पड़ती है और वहां भी वकीलों के जरिये सुनवाई हो सकती है। धनी लोगों का वहां जाने से खर्चा ज्यादा भी हो तो जो हाईकोर्ट में जाना पसन्द करेगा, रिट में एक हजार रुपये खर्च करेगा तो १००) रु० वह ज्यादा भी खर्च कर देगा। इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं।

इस रूप में पहले जो आन्दोलन बना कर इस मसले को हल करने की कोशिश की गई, वह कोशिश भी समाप्त हुई और उस चेप्टर को वापिस खोलने की कोशिश की जाय; यह मेरे विचार से इस सदन के लिये और राजस्थान की आम जनता के लिये एक अच्छी चीज नहीं होगी। यह एक ऐसी परिपाटी होगी, यह एक ऐसी चीज की शुरूआत होगी कि कोई मामला होगा तो विधान सभा में उठा कर उस पर बहस करके उसको सुलझाने की कोशिश की जायगी। इससे मामलों में बहुत पेचीदगी होती चली जायगी और कोई समस्या हल नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, जिस हाई कोर्ट के मामले को इस प्रस्ताव के रूप में रख कर सदन के अन्दर हल करने की कोशिश की जा रही है, मेरे खयाल से यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि सदन इस पर अपनी राय केन्द्रीय सरकार के सामने भेजे, क्योंकि इस चीज पर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अन्तिम निर्णय दिया जा चुका है। मेरी इस सदन के माननीय सदस्यों से दर्ख्वास्त है कि इस मामले पर सब ठंडे दिल से विचार करें क्योंकि प्रजातन्त्र में राज्य में जब कोई मसले पर दोनों तरफ की सुनवाई करके, कोई एक्स पार्टी फैसला न करके फैसला दिया गया है तो उसको वापिस री-ओपन करने में कई समस्यायें उपस्थित हो सकती हैं और कोई भी समस्या किसी भी तरह से हल नहीं की जा सकती है। हां, मामले को उलझाने की कोशिश जरूर की जा सकती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि यह मामला इतना जरूरी समझ कर यह कहा जा रहा है कि जनता पर बहुत अन्याय हो रहा है, ऐसी बात प्रतीत नहीं होती। सवाल यह है कि जो लोग यहाँ रहते हैं, वे सहूलियत चाहते हैं कि हाई कोर्ट यहीं रहे परन्तु सारी जनता का खयाल करते हुए, सब इलाकों की बातों को ध्यान में रखते हुए मोटी दृष्टि से क्षेत्रीय भावनाओं का त्याग करके विचार किया जायेगा तो यह फैसला बिल्कुल मान्य होगा और इस पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब मौजूदा चीफ जस्टिस ने इस मामले पर विचार किया है, जब राज्य सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और इसके फैसले के पक्ष में रही है और कमीशन ने भी इसके पक्ष में अपनी राय दी है तो पक्षपात किस तरफ से हुआ है ? मुझे इस मामले में कोई पक्षपात हुआ मालूम नहीं होता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो भी मेरे विचार से सहमत हैं और मैं तो सदन के हर सदस्य से दर्ख्वास्त करूंगा कि राजस्थान की समस्याओं और राजस्थान के विकास को बढ़ाने की बात को और राजस्थान के हित को देखते हुए इस प्रस्ताव का विरोध करें और इसमें जो केन्द्रीय सरकार के पास सिफारिश करने की बात कही गई है उसको रिजेक्ट करें।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष, इस प्रस्ताव के विषय में, जो आज सदन के समक्ष माननीय सदस्य ने पेश किया है, राज्यपाल के भाषण पर वादविवाद के समय मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे। आज इस प्रस्ताव के समर्थन में आपके समक्ष तथ्य रखे गये, लिखित प्रमाण और लिखित निर्णय भी आपके सामने एक माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये; उसके उपरान्त भी इस प्रस्ताव के विरोध करने में एक माननीय सदस्य ने दलील प्रस्तुत की है कि यह निर्णय राव कमीशन की रिपोर्ट के बाद केन्द्र से हो चुका है इसलिए केन्द्र के निर्णय में अब हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस दलील के अन्दर, मैं समझता था, स्टेटस रीआर्गेनाइज़ेशन एक्ट के प्रावधान होने के बाद, वह देखने के बाद यह दलील सदन के सामने पेश करना, जो माननीय सदस्य ने की है, वह किसी हद तक कोई वजन नहीं रखती। स्टेटस रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट सेन्ट्रल पार्लियामेंट से, इस राव कमीशन की रिपोर्ट के बाद, हाई कोर्ट के उस निर्णय के बाद जिसकी दुहाई दिलाई दी जाती है, बना। उसमें यह प्रावधान रखा गया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार अपने एक राज्य के अन्दर कई जगह बैंच रख सकती है। एक जगह नहीं बल्कि कई जगह बैंच रख सकती है। उसका

(श्री मथुरेशविहारी)

अभिप्राय न्याय को सुलभ करना था । राजस्थान के कोने कोने में न्याय को पहुँचाने के लिए स्टेट्स रीआॅर्गेनाइज़ेशन एक्ट के अन्दर यह प्रावधान रखा । स्टेट्स रीआॅर्गेनाइज़ेशन एक्ट के अन्दर जो सेक्शन ५१ है और क्लॉज दो और तीन हैं उनसे यह बात साफ हो जाती है मैं समझता हूं ।

(१.४५ म. प.)

(श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

इसके होते हुए आपने एक यह भी दलील रखी कि निर्णय होने के बाद यह सदन में क्यों आया ? यह इसलिए आया कि आज सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय, सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय कि स्टेट्स रीआॅर्गेनाइज़ेशन एक्ट की दफा के अनुसार, जनता की मांग पर जनमत का विचार रखते हुए, सुलभ न्याय के दृष्टिकोण के आधार पर जयपुर में बैंच होनी चाहिए । जब कि बैंच का प्रावधान है और इस एक्ट के पास होने के बाद दूसरे प्रान्तों के अन्दर बैंचें खुली भी हैं तो क्या कारण है कि आज इस कारण की दुहाई दिलाई जाती है कि निर्णय हो चुका है ? निर्णय तो आपके कई हुए । आपके सामने १६५४ में केबीनेट का यह डिसीजन हुआ, आपके सामने इस सरकार का यह काम हुआ कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी । तो यह भी निर्णय हुआ और उस निर्णय के बाद आपने दूसरा निर्णय लिया । इसनिर्णय के होने के बाद लॉ-कमीशन की राय के आने के बाद काश्मीर के अन्दर लॉ मिनिस्टरों कि कॉन्फ्रेन्स के अन्दर उसके विपरीत निर्णय लिया गया । तो एक निर्णय ले लिया गया और वह अगर किसी पक्ष के लिए, किसी इलाके के लिए, किसी सदस्य के लिए अनुकूल पड़ता है तो उसकी दुहाई दिला कर उसकी दलील दी जाय कि एक दफा निर्णय हो चुका है, इसलिए दुबारा नहीं हो सकता, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसमें कोई वजन नहीं है । आपके सामने एक माननीय सदस्य ने यह भी दलील दे डाली कि बैंच नहीं होने का कारण एक यह भी है और जिस कारण नहीं होनी चाहिए कि डिविजनल बैंच के फैसले होते हैं तो उनके लिए बराबर फुल बैंच करनी पड़ेगी, उसमें खर्चा ज्यादा हो जाता है । मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि भारत के अन्दर, अनेक प्रान्तों के अन्दर और हर प्रान्त के अन्दर ये बैंचेज हैं और वहाँ डी. बी. और फुल बैंच के फैसले भी होते हैं, तो क्या कारण है कि यहां राजस्थान के लिए यह दलील दी जाय और खर्च की दुहाई दिलाई जाय ? तो जो सरकार का खर्चा होगा डी. बी. या फुल बैंच के अन्दर, तो जो खर्च की दलील देते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि उससे कहीं अधिक जो मुकदमे लड़ने वाले हैं, जो जानते हैं, उससे कई गुना वह खर्चा करती है जो आपका एक यूनीफाइड बैंच रखने के अन्दर या हाई कोर्ट की सीट रखने के अन्दर हो जाता है । उस जनता के इतने व्यय को ध्यान में न रख कर और फुल बैंच के खर्च की दलील को रख कर इस सदन के अन्दर यह राय रखते हैं, उनसे मैं अर्ज करूंगा कि इसमें कोई वजन नहीं है; बल्कि इसके अन्दर उतना ही वजन कम है जो कि आपकी स्वयं की दलील में है ।

(श्री मथुरेशबिहारी)

आपके सामने एक यह भी दलील दी गई है कि हाई कोर्ट की सीट अगर जोधपुर रहे तो उसमें मुवक्किल को आने की जरूरत नहीं है और ऐसी सूरत में न्याय सुलभ होने की दलील दी गई है, वह भी कमजोर है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, शायद आपको अनुभव नहीं है हाई कोर्ट के अन्दर अगर किसी को केस करना होता है........

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तो अवश्य ही उसको अपनी हाजरी के लिए, अपने वकील को बतलाने के लिए, फैक्ट्स के लिए एक या दो मर्त्तबा जाना पड़ेगा-केस को प्रिपेयर करने के टाइम पर जाना पड़ेगा, एडमिशन के टाइम पर जाना पड़ेगा और बाज बाज वक्त पेशियों के टाइम पर जाना पड़ेगा। इसलिए आपने यह दलील दी, यह भी मायने नहीं रखती।

इस विषय पर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जनता की आवाज थी। आपने 'एक बात यह भी कही कि जनता की और इलाकों की भावनाओं का खयाल रखते हुए इसका विरोध करना है और समर्थन नहीं कर रहे है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान की आबादी का अधिक भाग, डिविज़न्स की स्थिति को देखें तो मालूम होगा कि आज सबसे ज्यादा आबादी को एक जगह हाई कोर्ट की सीट रखने से दुःख होता है और अधिकांश लोग , करोड़ों की तादाद में इससे दुखी हैं और इसलिये उनकी मांग है और पब्लिक की मांग है कि हाई कोर्ट की एक बैंच नजदीक जयपुर में होनी चाहिये। आपके सामने एक प्रश्न है वह यह कि भावना के एकीकरण की दुहाई दी गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि अधिकांश लोगों की भावना यह है तो आपको इस भावना को छोड़ कर जनता की भावना की कद्र करनी चाहिये और हाई-कोर्ट की बैंच यहां जयपुर में होनी चाहिये। आपकी दलील में वजन नहीं हो सकता, यदि आपकी भावना से अधिकांश लोगों को न्याय सुलभ न मिले। तो इसमें आपका विरोध करना उचित नहीं है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये आप अपने दृष्टिकोण का सबूत दें तो मैं यह समझूंगा कि आपने जनता की भावना की कद्र की है और जनता के लिये कुछ कर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति, हाई कोर्ट के प्रश्न के बारे में, हाई कोर्ट के प्रश्न को लेकर इस सदन में कई बार चर्चाएं हुई और मैं अपने विचार स्पष्ट रूप से कई बार--पहले के सदन के सामने भी और इस सदन के सामने भी राज्यपाल महोदय के भाषण के समय आपके सामने रख चुका हूं; यह बात तो ऐसी है कि जिसमें प्रदेश की आम जनता का मसला है और उनके सुधार और सुविधाओं का खयाल रखते हुए इस बारे में हमें सोचना है। निर्णय भी इस बारे में होते हैं, बदलते भी हैं। गलत निर्णयों के बारे में आवाज भी उठती है और गलत निर्णय पलटे भी जाते हैं।

राजस्थान सरकार ने खास तौर पर हाई कोर्ट के लिये निर्णय लिया। उसके बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया और राव कमेटी बैठी और राव कमेटी पर अपना निर्णय राजस्थान सरकार का बदल गया। वह चाहे सही रूप में पलटा हो, चाहे गलत रूप में

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पलटा, हो मगर पलटा गया। आज यह स्थिति है कि यह राजस्थान की आम जनता का मसला है और यह कहना कि जब एक दफे निर्णय ले लिया गया, यह बदला नहीं जाता तो मैं यह कहूंगा कि यह कोई हाई कोर्ट का निर्णय नहीं कि जिससे रेस जुडिकेटा मामला हो गया और उसकी वजह से दूसरी दफे निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस आधार पर यह कहा जावे कि एक बार निर्णय हो गया उसको नहीं पलटा जावे, यह दलील न्यायसंगत दलील नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान की जनता जो आपने निर्णय लिया है उससे खुश हुई है, उससे उनकी तकलीफें मिटी हैं या नहीं ? वास्तव में जनता में यह बात है और घर करती है कि हमें जोधपुर जाने में बहुत तकलीफ होती है। तीन वर्षों के अर्से में हमने तकलीफों को देखा है और यदि राजस्थान के लोगों को इससे तकलीफ हुई है तो क्या वजह है कि इसको नहीं बदला जावे ? इसके लिये हमारे प्रेसीडेन्ट को अधिकार है। प्रेसीडेन्ट चाहे तो रिजोल्यूशन के आधार पर, चाहे सिफारिशों के आधार पर हाई–कोर्ट की बैंच यहां पर रख सकते हैं। प्रश्न यह है कि चाहे वे रिजोल्यूशन को ध्यान में रख कर करें या यों ही-चाहें तो यों ही इस पर विचार कर सकते हैं। यह मसला रिजो–ल्यूशन का है या नहीं; मगर हमको जनता की बातों को उनके सामने रखने का पूरा-पूरा अधिकार है, जिसके हम प्रतिनिधि बन कर आये हैं।

यह आम तौर पर कहा जाता है कि यह इन्टीग्रेशन का प्रश्न है। इसमें पहले पटेल कमेटी बैठी और उसने फैसला दिया और उसके बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइज़ेशन कमीशन बैठा और उसके बाद उसका फैसला हुआ। पटेल कमेटी के निर्णय के बाद राजस्थान गवर्नमेन्ट ने, राजस्थान के चीफ जस्टिस ने एक आज्ञा के जरिये हाई कोर्ट को बैंच को जयपुर में कायम करने का फैसला किया। उसके बाद ६–११–५४ को राजस्थान सर–कार ने केबिनेट में फैसला किया कि हाई कोर्ट को इमारत यहां बनवाई जावे और यह फैसला जो किया उससे न तो जोधपुर वालों को कोई शिकायत थी न किन्हीं दूसरों को। मसला तब उठा जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज़ेशन का प्रश्न आया और अजमेर का मर्जर राजस्थान में हुआ। जब अजमेर का मर्जर हुआ उस वक्त यह समस्या उठी कि हाई कोर्ट की सीट कहां पर हो। इससे जोधपुर और जयपुर वालों को भी खतरा पैदा हो गया, अजमेर वालों की इस बात पर कि हाई कोर्ट को सीट अजमेर में रखी जाए और इस खतरे को दोनों महसूस करते थे कि ऐसा न हो कि जोधपुर से बैंच उठ जावे या जयपुर से हट जावे। उस समय जयपुर और जोधपुर दोनों के बार एसोशियेसन वालों ने जोइन्ट मीटिंग की और यह फैसला किया कि जैसी स्थिति है उसमें हमें रखा जावे; यह ज्यादा बहतर होगा। सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष इसके पढ़े बिना नहीं रह सकता क्योंकि यह बड़ी अहमियत रखता है और अहमियत का रिजोल्युशन है। माननीन सभापति, इसके वर्डिंग्ज़ इस तरह हैं :

"Jaipur and Jodhpur Bar Ass-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ociations feel highly perturbed over the reported move of shifting the seat of the Rajasthan High Court to Ajmer. They request the Govenment of India and the Government of Rajasthan to see that the present arrangments are allowed to continue."

जब उस वक्त यह हाल था, यह १६५६ की बात है तो मैं नहीं समझ पाता कि सिवाय इसके कि जोधपुर के बारे में फैसला हो गया इसको लेकर यह कहा जावे कि एक चीज हमको मिल चुकी है उसको हम नहीं जाने देंगे, कोई दूसरी बात नहीं है। मैं यह कहूंगा कि यह कोई नीति की बात नहीं है।

वहां पर जो रिजोल्युशन पास हुआ था उस में यह सोचा था कि वास्तव में जो एरेन्ज मेन्ट चल रहा था उसको चलने दिया जाए, सीट ऑफ हाई कोर्ट जोधपुर में रहे और जयपुर में बैंच रहे तो उनको कोई ऐतराज नहीं। मगर आज के दिन इस स्थिति में कोई परिवर्तन आया हो, सिवाय इसके कि आज उनके हाथ में जो एक चीज आ गई है उसे वापिस नहीं जाने देना चाहिये।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, स्टेट्स रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट में प्रेसीडेन्ट को यह अख्त्यार दिया गया है जैसा मेरे मित्र ने अभी कहा।

अब लॉ कमीशन का जिक्र आता है। लॉ कमीशन ने सिफारिश की कि युनिफाइड हो। इसको मान कर राव कमेटी ने अपना फैसला किया था। राव कमेटी ने लॉ कमीशन के फैसले के अनुसार अपना निर्णय दिया। यह बात जरूरी है कि अगर लॉ कमिशन की रिपोर्ट को भारत सरकार ने माना होता तो यह ठीक बात कही जा सकती है, लेकिन जब वह भारत सरकार के सामने आया हमारे राजस्थान के सदस्य ने भी इसको पार्लियामेंट में उठाया और रिज़ोल्यूशन रखा तो भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर ने उनको रिज़ोल्यूशन के जवाब में जो शब्द कहे वे भी मैं सदन के सामने लाना बहुत जरूरी समझता हूं। वह रिज़ोल्यूशन सभापति महोदय, यह मूव किया गया था :

"Recommendations of the Law Commission for the abolition of Benches of High Court be rejected."

इसके रिप्लाई में उन्होंने कहा :

In reyly to the discussion on this motion in the Parliament, Shri A. K. Sen, the Law Minister of the Government of India declared on the floor of the House that the Government could not accept the recommendations of the Law Commission for abolition of the High Court Benches...

इतने क्लीयर वर्ड्स में उन्होंने एडमिट किया है, जिसको डिनाई नहीं कर सकते :"...and it would depend upon the circumstances of each State whether Benches be established there." इसके बाद माननीय सभापति, जब काश्मीर में लॉ कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी यह मसला सामने आया और उसमें जो तय किया वह यह है :

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

"In 1961 a conference of the Law Ministers of all States with Shri A. K. Sen, Law Minister of the Government of India as its chairman was held at Srinagar and in the said conference the recommendations of the Law Commission for abolition of Benches was held unacceptable."

इतने क्लियर वर्ड्स में जहां रिकमन्डेशन है, भारत सरकार का फैसला है, इसके बाद वह चीज वहीं खत्म नहीं हो गई राजस्थान की जनता की तरफ से रिप्रेजेन्टेशन गया यूनियन होम मिनिस्टर के पास कोटा, की इन्डस्ट्रीज के सेक्रेटरी की तरफ से जिनमें उन्होंने कहा कि यह मसला री ओपन होना चाहिये तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा था :

"The matter is under consideration with the Government of India and you need not come here."

इससे साफ जाहिर है कि वह मामला उस वक्त तक विचाराधीन था और जब हमारे यहां की जयपुर की बार ऐसोशियेसन ने राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा था तो हमारे लॉ सेक्रेटरी ने बार ऐसोसियेशन के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी वह भी बहुत महत्वपूर्ण है :

"I am directed to acknowledge the receipt of your letter deted 5th February, 1962 addressed to the Home Minister, Government of India, of which a copy has been addressed to the Home Minister, Government of Rajasthan, and to say that the matter embodied therein is under consideration of the State Government."

स्टेट गवर्नमेंट के यहां भी मामला विचाराधीन रहा, भारत सरकार के भी विचाराधीन रहा और जब भारत सरकार के गृह मन्त्री यहां जयपुर में आये तो उस वक्त भी जैसा मुझे प्रेस रिपोर्ट से मालूम हुआ, क्योंकि मैं उन दिनों यहां था नहीं जो पेपर्स में एपीयर हुआ था, ५ फरवरी को वह इस प्रकार है:........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): I think, Sir, we are agreed on this issue.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इतने बड़े लोगों की राय के बाद यदि कोई कहे कि उस पर निर्णय हो चुका है, हम अब इस पर कोई विचार नहीं कर सकते, अगर कोई कहे कि इससे राजस्थान का भला नहीं होगा, राजस्थान के इन्ट्रीग्रेशन की सारी की सारी बात इससे फिर खुलती हैं अगर हम कहें कि यह मामला खत्म हो चुका है तो मैं कहूंगा कि हम अपने आप के साथ और राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे।

तो यह मसला ऐसा है जिस पर विचार करना आवश्यक है। इससे लोगों को तकलीफ बढ़ी है। नीचे की अदालतों में भी न्याय मिल सकता है, पंचायतों में न्याय मिल जाता है, यह कहा जा सकता है। मुझे तो हाई कोर्ट का ज्यादा अनुभव है और मैं तो यही मानता हूँ कि न्याय हमें हाई कोर्ट में मिलता है।

२. ० म. प.

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

तो इस रिजोल्यूशन को पास करने मात्र से ही हमारा फायदा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे माननीय मित्र जिन्होंने यह रिजोल्यूशन मूव किया है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे इस मामले को वोट बाजी में न डालें। इसके जरिये जो कुछ भावना है वह सदन के मार्फत हमारे मुख्य मंत्रीजी आगे पहुँचा दें कि कैसी हमारे लोगों की राय रही। वोटों के ऊपर ऐसे मामले को डालना ठीक नहीं रह सकता वर्ना ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे मामले भी वोटों पर आ जायं। ऐसे मामले को वोटों से तय करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। हमारी भावना जो है स्पष्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुख्य मंत्रीजी भारत सरकार तक इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यह भारत सरकार के विचारने का मामला है, इस पर हमारी सरकार जरूर विचार करेगी।

(दो माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंहजी। आप-शुरू करें उससे पहले निवेदन करूंगा कि १० मिनट में समाप्त करने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इतने महत्वपूर्ण विषय पर १० मिनट में तो क्या कहा जा सकेगा।

श्री सभापति : फिर गवर्नमेंट के रिप्लाई का मामला भी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): हम लोग भी तो बोलना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, इस पर समय बढ़ाने की आवश्यकता है। यह जरूरी नहीं है कि आज ही बोलें, पूर्ण रूप से इस पर माननीय सदस्यों की राय प्रकट करने के लिये यदि और समय लेने की आवश्यकता पड़े तो इसको और ज्यादा समय के लिये भी लिया जा सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारा भी आग्रह है कि इस पर १० मिनट का कोई समय नहीं होता और समय बढ़ाना चाहिये ताकि सभी माननीय सदस्य जो इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहें वे अच्छी तरह अपने विचार प्रकट कर सकें।

श्री सभापति : मैं कार्य सलाहकार समिति की सिफारिशों से बंधा हुआ हूँ और उसमें केवल तीन बजे तक के लिये इसका समय रखा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हाउस समय बढाना चाहे तो बढ़ा सकता है। सेंस ऑफ दी हाउस ली जा सकती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): यह ऐसा महत्वपूर्ण मसला है, माननीय सदस्यों को समय दिया जाना चाहिये। हाउस चाहे तो कार्य सलाहकार समिति के निर्णय को बदल सकता है।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है और अगर सदन के दूसरे माननीय सदस्यों की सम्मति है तो हमें समय बढाने में ऐतराज नहीं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि इस पर समय ३ बजे से आगे बढ़ाया जाय ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

एक घंटा बढ़ाया जाय या पूरे समय तक ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा निवेदन है कि आज भी सब माननीय सदस्य इस पर अपने विचार अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर सकेंगे ।

श्री हरिराम धारु (सिवाना) : चार-पांच दिन चलने दें ।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : एक घंटा काफी होगा । फिर आवश्यकता हुई तो और थोड़ा बढ़ा सकते हैं ।

श्री सभापति : इस प्रस्ताव के लिये एक घंटा बढ़ाया जाता है ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब तो १० मिनट भैरोंसिंहजी ही बोलेंगे; औरों के लिये समय का कोई बार नहीं ?

श्री सभापति : १५ मिनट से अधिक कोई माननीय सदस्य नहीं बोलें, ऐसे सहयोग की मैं आशा करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार की सराहना करूंगा कि दो वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया कि हाई कोर्ट के मसले पर पुनः विचार किया जाय ।

एक माननीय सदस्य : कहां ?

श्री भैरोंसिंह : यह रहा । अभी माननीय गृह मंत्रीजी इन्कार अवश्य कर रहे हैं पर ५ मिनट पहले उपस्थित रहते तो उन्हीं के साथी ने, राजस्थान के विधि सचिव श्री लहरसिंहजी मेहता का पत्र इस सदन में पढ़ कर सुनाया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इस मसले पर विचार कर रही है ।

यहां अभी एक पत्र श्री बृजसुन्दरजी शर्मा ने पढ़ कर सुनाया था । वह पत्र बार एसोसियेशन के वाइस प्रेसीडेन्ट को लिखा हुआ और १३ फरवरी, १६६१ का है । इसमें लिखा है :

"I am directed to acknowledge the receipt of your letter dated 5th February, 1962, addressed to the Home Minister, Government of India, of which a copy has been addressed to the Home Minister, Government of Rajasthan, and to say that the matter embodied therein is under consideration of the State Government".

तो इसके लिए सरकार की सराहना यदि इस अवसर पर न की जाय तो, मैं समझता हूँ, मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी । खैर, इतने दिन बाद भी सरकार ने सारी परिस्थितियों को देख कर जो इस प्रकार का निर्णय लिया है उस निर्णय का यह सदन स्वागत करता है ।

(श्री भैरोंसिंह)

सभापति महोदय, यह मैं भी समझता हूँ कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी सन् १६५४ से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में रहे। उन्होंने सन् १६५४ में अपने एक केबिनेट के निर्णय के अनुसार इस बात की पुष्टि की है और उसके साथ साथ जब राव कमेटी के सामने हमारे मुख्य मंत्रीजी का स्टेटमेन्ट हुआ तो उस समय भी उन्होंने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच की आवश्यकता नहीं है; बल्कि इसके विपरीत यहां तक कहा है कि यदि जयपुर से बैंच हटाई जायगी तो जयपुर की जन–भावना उभरेगी और उससे कई प्रकार के आन्दोलनों की आशा की जा सकती है। वह इस बात का प्रमाण है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां सरकार के सामने प्रस्तुत हुई हैं जिनमें मुख्य मंत्रीजी की स्थिति एम्बेरेसिंग बन जाती है। वे स्थितियां किस प्रकार निर्मित हुई हैं उस सम्बन्ध में अधिक कहना आवश्यक नहीं होगा कि हमारे सत्ताधारी राजनीतिज्ञों ने इसको एक क्षेत्रीय मसला बना कर इसको राजनैतिक स्वरूप दिया। मैं ऐसा समझता हूँ कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच रहे उससे जोधपुर का कोई अहित होता हो, जिसके कारण जोधपुर की स्थिति खराब हो जाय, ऐसा नहीं है। लेकिन यह स्थिति इस हद तक पहुँच गयी है कि यदि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में कायम हो गई तो जोधपुर वाले परास्त हो गये और जयपुर में आ गयी तो जयपुर वालों की जीत हो गई। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस हार-जीत के मसले को स्पोर्टमैंसन स्पिरिट में लें तो यह स्वीकार कर लें कि जयपुर की जीत हो गई, उसके बाद जोधपुर की जिद् थी वह पूरी हो गई। जयपुर के लोगों को सस्ता न्याय न मिलने के कारण हानि उठानी पड़ती है उसके लिए उदारता-पूर्वक विचार करना पड़ेगा।

अभी सदन के माननीय सदस्यों ने बैंच के विरोध में भाषण किये हैं। कोई दलील नहीं थी जिसके कारण यह समझा जाय कि जयपुर में बैंच कायम करने के कारण जोधपुर का या उस क्षेत्र का बड़ा अहित होगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि हाईकोर्ट बैंच कायम न होने से जोधपुर की पर-केपिटा इनकम अधिक बढ़ गयी हो। मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि जोधपुर के लोगों की पर-केपिटा इनकम नहीं बढ़ी है; बल्कि जोधपुर के एडवोकेट्स को जरूर, जयपुर से एडवोकेट जाइन्ट्स ज्यादा से ज्यादा गये हैं, उससे आमदनी कम हुई है। इससे जोधपुर की पर-केपिटा आमदनी बढ़ने का सवाल नहीं है, उसके डेवलपमेन्ट रुकने का भी सवाल नहीं है लेकिन सवाल केवल यह है कि लोगों को सस्ता न्याय कैसे सुलभ हो। यह सही है कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन से गांव गांव में न्याय पहुँचाने की व्यवस्था की है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और गांव गांव में जनता को सस्ता न्याय मिले, इसकी भी वकालत करता हूँ। लेकिन यह सुन कर बड़ा दुख होता है कि सरकारी पक्ष के लोग एक तरफ तो गांव गांव में न्याय देने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उसको सेन्ट्रलाइज़ करके एक तरफ ले जाने को बात करते हैं। डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन में गांव गांव में न्याय जिस तरह से मिलता है उससे इसमें मान कर नहीं चल सकते कि हाई कोर्ट की बैंच

(श्री भैरोंसिंह)

के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की है उससे न्याय मिल रहा है, बल्कि ऐसी व्यवस्था कर दी है कि न्याय को एकत्रित करके एक जगह से ही न्याय प्राप्त किया जा सकता है। आज की स्थिति में जयपुर–जोधपुर का मसला छिड़ गया है। सरकार जब भी विचार करती है तो उसके सामने यह बात रहती है कि हाई कोर्ट की बैंच के नाम पर जयपुर में काफी नुक्सान उठाना पड़ा है, तो अगर बैंच वापिस जयपुर में लगाने की व्यवस्था करती है तो जोधपुर से उठाना पड़ेगा। मैं सरकार से और खास कर उन मंत्रियों से जो जोधपुर क्षेत्र से आने वाले हैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की क्षेत्रीय भावना का परित्याग कर राजस्थान के हित में विचार करें और माननीय मुख्य मंत्रीजी की विचारधारा को मान कर उनके हाथ मजबूत करें और हाई कोर्ट की बैंच को जयपुर में लाकर साहस दिखाएं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सबसे ज्यादा क्षेत्रीय भावना आप में देखी है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में मैं उनसे कहूँगा कि यदि यह प्रश्न आता हो और यह बात सही है कि हाई कोर्ट की बैंच को वापिस जयपुर में लाने के निर्णय को लेकर जोधपुर के लोगों की भावना को भड़काने की चेष्टा करें उसका सामना, गृह मन्त्रीजी, कृषि मन्त्रीजी और स्वायत्तशासन मन्त्रीजी नहीं कर सकते। इन तीनों के सामने समस्या है कि लोग कहेंगे कि राजस्थान के मंत्री मण्डल में जहां जोधपुर की ओर से एक मन्त्री थे तो उन्होंने एक मन्त्री होते हुए भी हाई कोर्ट करा लिया, अब तो तीन तीन मन्त्रीऔर उपमंत्री हो गये हैं तो यह उन लोगों का अपमान है, मैं निवेदन करूंगा कि उस दृष्टिकोण को छोड़ें आप यह चाहे सदन से बाहर बैठ कर इस पर विचार करें जोधपुर में जाकर वहां के गण्यमान्य व्यक्तियों से बात कर इस मसले पर सोच कर ऐसा निर्णय निकालें जिससे जोधपुर के लोगों की भावना पर कुठाराघात न हो और जयपुर के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है हाई कोर्ट की बैंच यहां न रहने से और जो दिक्कतें और कठिनाइयां इससे उनको हो रही हैं उस पर विचार किया जा सकता है। ऐसी आशा हो सकती है तो हाउस में मतदान करवा कर हाउस का वर्डिक्ट न लें। आज के दिन यह मसला सरकार के अन्डर कन्सीडरेशन है। सरकार इस स्थिति में भी नहीं आयी होगी कि सदन से मतदान करवा कर निर्णय लेकर गम्भीर स्थिति पैदा करवा दे। इन सारी कठिनाइयों से निकलने का एक मात्र तरीका है। जिस स्टेज पर सरकार के पास यह अन्डर कन्सीडरेशन में है सदन के सामने जो भावनायें सरकार की इस सम्बन्ध में हैं उनको वह व्यक्त करें। इससे भारत सरकार के सामने उन भावनाओं को रखने के लिए सरकार के हाथ मजबूत होंगे इन मसलों पर विचार कर निर्णय करेंगे तो वे हालात नहीं होंगे जो अब तक न्याय के लिए राजस्थानमें होरहे थे।

सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि युनिफाइड हाईकोर्ट की बात को लेकर सिद्धान्त की बात कहें तो कोई सिद्धान्त की बात हो सकती है। बैंन्चेज को युनिफाइड करने से जिस प्रकार की फैसलों में डाइवर्सिटीज मिली है वैसा अवसर नहीं आवेगा। लेकिन यह एक तथ्य है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यह

(श्री भैरोंसिंह)

भी एक तथ्य है कि जयपुर से हाई कोर्ट की बैंच जाने के बाद जो हाई कोर्ट के अन्दर के केसेज़ इन्स्टीच्यूट हुए हैं उनकी संख्या जोधपुर में जाकर गिरी है। लोग आज न्याय प्राप्त करने की बात करते हैं, लेकिन जोधपुर जाने में अधिक खर्चा होता है, वे पहुँच नहीं पाते और इससे जो केसेज़ इन्स्टीट्यूट हुए हैं उनकी संख्या गिर गयी है। मैं अर्ज करुंगा कि यदि आप जनता को सस्ता न्याय देना चाहते हैं तो उसके लिए एक मात्र उपाय है कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित करें और जोधपुर में जिस तरह के वातावरण का निर्माण करना चाहें हम सब उसके लिए तैयार हैं। जोधपुर में रेज़िडेन्शियल युनिवर्सिटी बनाने की बात है, जयपुर युनिवर्सिटी उसमें एफिलियेटेड होगी इससे जोधपुर का बड़ा सम्मान होगा। लेकिन यदि लोगों के दिमाग में यह बात आयी कि जयपुर से हाई कोर्ट की बैंच इसलिए समाप्त हो गई कि जयपुर और जोधपुर के बीच एक राजनैतिक द्वन्द्व छिड़ गया और जो उग्र आंदोलन इस सम्बन्ध में हुआ था उसको निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया था और जो जयपुर की जनता की और आसपास के इलाकों की जनता की एक न्याय पूर्ण मांग थी उसको स्वीकार नही किया गया, तो जयपुर में ऐसे तत्व हो सकते हैं जो इस युनिवर्सिटी के मसले को लेकर जयपुर-जोधपुर की स्थिति पैदा कर दें।

मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक मात्र तरीका है कि दोनों स्थानों के लिये एक इस प्रकार की भावना का निर्माण करें जिससे जयपुर-जोधपुर के बीच के संघर्ष की स्थिति दूर करके दोनों क्षेत्रों के अन्दर किसी प्रकार से भावात्मक एकता पैदा हो जाय, जिसके कारण बैंच जयपुर में आ जाय और उन लोगों को किसी प्रकार की आपत्ति न हो। राव कमेटी और पटेल कमेटी और स्टेट्स रीऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी ने जितने सारे मसले हुए हैं उन सारे मसलों के इतिहास को बताना नहीं चाहता। एक बात मोटे रूप से यहां इसलिये कहना चाहता हूँ कि बात महत्वपूर्ण इसलिये है कि राव कमेटी ने जो डिसीज़न लिया है उस डिसीज़न का केवल मात्र यह आधार था उसको लॉ कमिशन की मान्यता थी। जहां तक लॉ कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है उसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। हिन्दुस्तान के लॉ मिनिस्टर ने और स्टेट्स के लॉ मिनिस्टर्स ने भी उसे स्वीकार नहीं किया; उसको एक प्रकार से अमान्य कर दिया। वैसी हालत में अचानक उस स्थिति के अन्दर उसके निर्णय को एक जगह के लिये मान्यता देकर लागू करने की चेष्टा करना मैं ऐसा मानता हूं कि एक मकान की सारी दीवारें तो साफ हो चुकी केवल छत के नीचे लोगों को रखना जैसा है। जब कि हमारे यहां के लॉ मिनिस्टर ने उस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, लॉ मिनीस्टर की कॉन्फ्रेन्स में इस बात को कहां कि हम हाई कोर्ट के मामले में उनके निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे, उसी आधार पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है। एक तरफ लॉ मिनिस्टर्स इस प्रकार का निर्णय लें किहम लॉ कमिशन की रिपोर्ट को

(श्री भैरोंसिंह)

मान्य नहीं करते, वैसी हालत में राजस्थान के लिये उसको लागू करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। लॉ मिनिस्टर ने इसका विरोध किया, हमारे मुख्य मन्त्री इस पक्ष में हैं कि यहां बैंच कायम हो, भूतपूर्व गृहमंत्री ने भी एक बार नहीं अनेक बार भाषणों में इस बात को कहा हैं कि हाई कोर्ट की बैंच यहां आकर रहेगी। तीनों मन्त्री-लॉ मिनिस्टर, मुख्य मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री एक मत के थे कि जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच रहनी चाहिये। जब वे इस बात को स्वीकार करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि राजस्थान सरकार की आज यह इच्छा है कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच रहे। ऐसी हालत में हमें यह सोचना चाहिये कि जयपुर-जोधपुर की भावात्मक एकता में किसी प्रकार का विरोध पैदा न हो। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक स्थिति को मजबूत करना चाहिये। जो तत्व यह चाहते हों कि जयपुर–जोधपुर की भावात्मक एकता में विरोधाभास है वे तत्व चाहे सदन में हों या सदन से बाहर हो उनसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि जयपुर और जोधपुर में भावात्मक एकता पैदा करने के लिये, उनमें किसी प्रकार का संघर्ष पैदा न हो, इस प्रकार के संघर्ष से वे इस चीज को दूर करने की चेष्टा करेंगे, चाहे उसके लिये उन्हें किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़े। आप यह कहेंगे कि इस क्षेत्र के लोग त्याग की बात कर सकते हैं यह त्याग बाकी के लोगों के लिए महंगा पड़ेगा लेकिन मैं कहूँगा जोधपुर के लिये मंहगा नहीं। इससे सारे राजस्थान को सुविधा हो सकती है।

मेरा यह निवेदन है कि इस प्रस्ताव में हमें क्षेत्रीय भावना से सम्पूर्णतया ऊपर उठ कर जो भी सरकार का निर्णय हो इस बारे में इस बात को ध्यान में रखते हुए हो। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व गृह मन्त्री की भी यही राय थी और मुख्यमंत्री ने भी जनता के सामने वादा किया। आज भूतपूर्व गृहमन्त्री यहां नहीं हैं, मैं उनके स्थान पर जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से उनकी बात और उनके वायदे जो उन्होंने जनता के समक्ष किये ये वही बातें मैं प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। उनके एक रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में, जो जनता के सामने उन्होंने बातें कही उनको ही मैं आपके समक्ष रखता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार जनता की भावना और भूतपूर्व गृह मन्त्री के विचारों के अनुसार हम उनके विचारों का इस प्रकार तिरस्कार नहीं करेंगे जिससे इस हाउस के बाहर भी जब उनको सूचना मिलेगी कि मेरी बातों को राज्य के मन्त्रि-मण्डल ने स्वीकार नहीं किया तो एक तो उनकी आत्मा इलेक्शन में हारने के कारण दुखी है और दूसरा इस मसले के कारण और दुखी होगी। इसलिये आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस सारे मसले पर जब पुनर्विचार किया जा रहा है इस पुनर्विचार में सदन की भावनाओं का सेन्स लिया जाय और सदन में इस प्रकार से इसके खिलाफ वर्डिक्ट लाने की आवश्यकता न समझें। अगर इसके विरुद्ध किसी प्रकार का वर्डिक्ट लिया गया तो जो पुनर्विचार इस पर हो रहा है वह सबजेक्ट अपने आप बन्द हो जायेगा और सरकार को यह एक प्रकार का हथियार मिल सकता है कि यह मसला राज्य की विधान सभा द्वारा तय हो चुका है इसलिये इस पर किसी भी प्रकार से पुनर्विचार न किया जाय। सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

को इस पर पुनर्विचार करने के लिये मौका दिया जाय और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र निर्णय लिया जाय और जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर के लोगों की जिस प्रकार की भावनायें हैं उन भावनाओं की कद्र करते हुए सस्ते न्याय दिलाने की व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उससे सहमति प्रकट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय,....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल,जयपुर) केवल दस मिनट ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य हार–जीत पर तुले हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका इस प्रस्ताव पर असर नहीं पड़े। सभापति महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव की स्पिरिट का सम्बन्ध है मैं इसकी कद्र करता हूँ और चाहता हूँ कि न्याय सुलभ हो और सस्ता हो। इस प्रस्ताव के साथ जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है वह हमसे सम्बन्ध रखता है। उदयपुर में सर्किट बैंच स्थापित की जाय, मैं समझता हूँ यह जो सद्भावना प्रदर्शित की गई है वह वास्तव में सद्भावना नहीं, निवेदन नहीं कर सकता। लेकिन प्रस्ताव को बल देने वाली यह भी भावना अवश्य है। यह कितना बल दे सकती है, इस सम्बन्ध में तो मैं बाद में निवेदन करूंगा।

सदन में इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में वाद-विवाद हो लेकिन वह वाद–विवाद इस तरह का हो जिससे अधिक सद्भावना और न्याय का परिचय मिल सके। माननीय भैरोंसिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में....

श्री भैरोंसिंह : on a point of order, Sir, सभापति महोदय, यहां पर किसी भी माननीय सदस्य को उसके नाम से सम्बोधित नहीं किया जाता, उसके निर्वाचन क्षेत्र का ही नाम लिया जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे उनके पहले निर्वाचन क्षेत्र का नाम याद रहता है। मुझे माननीय सदस्य इजाजत दें तो मैं उनको उनके नाम से ही सम्बोधित करूं।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : आपकी और इनकी इतनी मोहब्बत है कि नाम लिये बिना काम नहीं चलता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : खैर, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में, अपनी मानसिक स्थिति का परिचय दिया। दर असल यह प्रश्न जयपुर और जोधपुर के बीच का प्रश्न न होकर इससे भी ज्यादा महत्व का प्रश्न है। मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपेक्षा रखता था कि न्याय के सम्बन्ध में सद्भावना प्रदर्शित होगी। यह प्रस्ताव है यह तो मुख्यत: बैंच के लाने के सम्बन्ध में है। यह कहां तक न्याय संगत है, कहां तक नहीं, यह यह प्रश्न अलग है। लेकिन यह सही है कि यह सद्भावना के आधार पर तय हो। जिस प्रकार की सद्भावना की मिसाल उन्होंने दी है उससे मैं यह समझता हूँ कि यदि वास्तव में सद्भावना उनकी होती तो पहले इसके

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

लिए वार्ता करते और सब की सद्भावना इसमें ली जाती, उसके बाद सदन में इस पर वाद-विवाद होता तो यह अच्छी परम्परा होती। यह बात अलग है कि सदन एक मत से, एक राय से इसे ले सकता है या नहीं; यह विवादास्पद प्रश्न है। ऐसी स्थिति में मेरी मान्यता है कि इस प्रश्न पर राय न ली जाय, जैसा कि उनका सुझाव है। राय लेने का आधार नहीं है। क्योंकि अगर राय ली गई और इस प्रश्न पर ली गई तो वास्तव में इस प्रश्न का न्यायसंगत आधार कम हो जाता है। इसके साथ ही राजस्थान के स्तर पर यह प्रश्न कितना विवादास्पद रहा है, इसका आभास लोगों को मिलता है जब हम मानते हैं कि न्याय सुलभ हो और सस्ता हो और सद्भावना के आधार पर-व्यक्तियों की सद्भावना इनसे विपरीत आस्था रखती है। कम से कम सदन इस बात को एक मत से तय करे ताकि इसका प्रभाव राजस्थान के इमोशनल इन्ट्रीग्रेशन पर न पड़े। मेरा यह मानना है कि यह प्रश्न इमेच्योर स्टेज पर आया है। इसकी पृष्ठभूमि कुछ विशद रूप लिये हुए है। सीधे रूप से यह प्रश्न आता, सस्ता न्याय सुलभ कराने के आधार पर आता तो मेरा विश्वास है कि एक मत से इसे स्वीकार करने की स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, इस प्रस्ताव पर कुछ इम्पलीकेशन्स हैं। दूसरा, इस पर जो संशोधन रखा गया है उसको देखते हुए थोड़ा इस प्रस्ताव के संबंध में सोचना पड़ेगा कि उदयपुर में अगर सर्किट बैंच का प्रश्न सदन में विचाराधीन हो और मूल प्रस्ताव पास हो जाता है तो संशोधन का प्रश्न पैदा नहीं होता। हम उदयपुर के प्रश्न पर क्या जवाब दे सकते हैं? क्या वहां पर भी सर्किट कोर्ट का प्रश्न नए रूप से उठा दिया जाय? जन-जागृति तो इसे नहीं कह सकता, पर यह कह सकता हूँ कि यह उद्विग्नता पैदा करने वाला प्रश्न जरूर है। मेरी यह मान्यता है कि राजस्थान आज अजीब स्थिति में से गुजर रहा है। हम मानते हैं, यह निर्माण का युग है और जब ये प्रश्न आते हैं तो हम क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर बंध जाते हैं। उदयपुर में अधिक विकास हुआ है, बीकानेर में कम हुआ है; जोधपुर में नहीं हुआ है। हमारा वाद-विवाद का आधार अभी तक इस स्थिति का है कि विकास पर भी हम क्षेत्रीय भावना से सोचते हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं। अधिक कहीं विकास होता है तो हमको उस पर थोड़ा सा रोष होता है। जब इस तरह से जब राजस्थान एक अजीब दौर में से गुजर रहा है तो यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपना पहले इमोशनल इन्टीग्रेशन करें।

यह बैंच का प्रश्न यद्यपि सीधा है, माननीय है, इसके पीछे आधार हैं पर इसके होते हुए भी इस स्टेज पर मैं समझता हूँ कि विचार करना प्रीमेच्योर है और इसके साथ ही मैं, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि ऐसे प्रश्न इस सदन में वाद-विवाद के आधार बनेंगे तो मेरा यह विश्वास है कि इसका कहीं अन्त नहीं होगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यूनिवर्सिटी का प्रश्न जोधपुर का अभी अव-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

शेष है। अगर इस प्रश्न पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो यूनिवर्सिटी का प्रश्न किसी न किसी माने में उभरेगा। मैं नहीं कह सकता वाकई माननीय सदस्य की क्या मंशा थी, पर इस प्रश्न पर कुछ इस तरह का संकेत जरूर था। ये संकेत दूसरे डिविज़नों के सम्बन्ध में भी किये जा सकते हैं। इस पर से मेरी मान्यता है कि अगर यह प्रश्न यहां पर वोट के आधार पर ले लिया गया तो दूसरे ही क्षण दूसरे प्रश्न युनिवर्सिटी के, कैपिटल के और दूसरे डिविजनों के आधार पर यहां आ जावेंगे और हमारी प्रगति की तरफ हमारा जो आज ध्यान लगा हुआ है वह बंट जावेगा और हमारा इमोशनल इन्टीग्रेशन भी इससे प्रभावित होगा। इसलिये कर्त्तव्य के नाते हमें इन वाद-विवादों से परे रहना चाहिये और इस तरह के विवादग्रस्त प्रश्न लेकर हम यहां न चलें, यही हमारे लिये हितकर है।

मेरा सुझाव है कि यद्यपि यह प्रश्न अपने पीछे कुछ आधार रखता है, इसके पीछे कुछ प्रमाण हैं, होम् मिनिस्टर के रिमार्कस और ऑब्जर्वेशन्स हैं, पर प्रमाण और बातों के आधार पर इस इश्यू को यहां डिसाइड नहीं किया जावे। अगर इन प्रश्नों को वोट के आधार पर डाल दिया गया और सद्भावना का आधार इसके पीछे नहीं रहा तो यह जनमत को बहुत ज्यादा उग्र करने वाला होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं सुझाव यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जहां तक इस सदन का प्रश्न है, इस तरफ के सदस्यों का या उस तरफ के सदस्यों का, अपना अपना मत इस प्रश्न पर प्रकट करने का यह स्थान उपयुक्त है पर इसके बाद निर्णय लिये जाने का या सक्रिय कार्यवाही करने का उपयुक्त स्थान यह नहीं है। धारा सभा के बाहर का यह विषय है, यहां का नहीं।

मैं मानता हूँ आपके पास आधार हैं। सद्भावना अगर आपके पास है और आप जनमत को उग्र नहीं बनाना चाहते हैं, क्षेत्रीय भावनाओं को उभारने का प्रश्न आपके सामने नहीं है, उसको हटा कर चलना चाहते हैं तो इस मसले पर धारा सभा से बाहर भी कई आधारों पर निर्णय लिया जा सकता है। इसलिये इस पर अधिक न कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि इस धारा सभा का प्रांगण इमोशनल इन्टीग्रेशन का प्राँगण समझा जाना चाहिये। इस प्रश्न को भी हमें इसी इमोशनल इन्टीग्रेशन के आधार पर तय करना चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से भी कि इसको अगर ५१।५२ के वोटों के बंटवारे पर तय कर लिया तो मेरा खयाल है इसका रिपरक्शन सारे राजस्थान में होगा और यह बीमारी और अधिक उग्र रूप में हमारे सामने आवेगी, जिसको आप फिर रोक नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति में माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न को टालने की गरज से नहीं, , पर इस पर स्वस्थ निर्णय लेने की गरज से और शान्त और मनोवैज्ञानिक निर्णय लेने की गरज से, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस महत्व-पूर्ण प्रश्न को महत्वपूर्ण तरीकों से ही तय किया जाना चाहिये, सद्भावनापूर्वक तय किया जाना चाहिये ताकि जनमत आपके पीछे भी हो सके और न्याय भी आपको सुलभ और

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सस्ता मिल सके।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त न्याय के सर्वोच्च बैंच के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हूं। यह एक मानवीय प्रश्न है। यह प्रश्न जयपुर का या जोधपुर का या क्षेत्रीय भावनाओं का नहीं है। यह प्रश्न इस बात का है कि राजस्थान की आम जनता, राजस्थान का किसान, यहां की गरीब जनता किस तरह से सस्ता, सुलभ और शीघ्रता से न्याय प्राप्त कर सके। न्याय का सवाल जिस समय पैदा होता है उस वक्त यह सवाल पैदा नहीं होता कि वह किस क्षेत्र का रहने वाला है और किसका नहीं है। जब इस प्रश्न को जयपुर और जोधपुर का बनाया जाता है तब यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि जोधपुर के व्यक्ति इतने निष्ठुर और हृदयहीन हो सकते हैं कि उनके हृदय में इस तरह की दया न हो कि हमें ही हमें न्याय मिलता रहे और दूसरे अन्याय में जकड़े रहें। किसी भी क्षेत्र का आदमी इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि दूसरा आदमी भीख मांगता रहे, भूखा और नंगा रहे और हम शान और शौकत से रहते रहें।

सवाल इस बात का है कि राजस्थान की आम जनता को नजदीक, सस्ता और सुलभ न्याय किस तरह से पहुंचा सकते हैं ?

यह बात हो सकती है कि कुछ भाई जो यहां पर सदन में उपस्थित हैं वे जोधपुर के रहने वाले हों, कुछ जयपुर की तरफ के रहनेवाले हों। उनके बारे में यह बात कही जा सकती है कि ये अपने अपने क्षेत्र की भावनाओं से ओतप्रोत होकर विचार व्यक्त कर रहे हों, पर मैं जो भरतपुर के बसेड़ी और बयाना क्षेत्र से यहाँ आया हूं आज सदन के समक्ष, सभापति महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस इलाके की जनता न्याय पाने में असमर्थ है। आज यह बात कही जाती है कि न्याय पंचायतें कायम हो गई; यह कहा जाता है कि दूसरी दूसरी सुविधाएं प्राप्त हैं पर मैं निवे- निवेदन करूं कि राजस्थान के एक दम पश्चिम के कौने पर जो न्यायलय स्थिति है और दूसरी तरफ जो एक दम पूर्व की तरफ हम रहने वाले हैं उनका जो अन्तर है वह ५०० मील के आसपास है। आप अन्दाज लगाइये कि पांच सौ मील चल कर एक किसान मजदूर या मामूली स्थिति का आदमी किस तरह से न्याय प्राप्त कर सकता है जोधपुर में जाकर।

यह दलील दी जाती है कि वहां पर छोटे छोटे न्यायलयों से ही न्याय मिल जाता है, वहां पर मिनिस्टीरियल कोर्ट्स हैं। अगर उनमें ही अन्तिम न्याय हो जाता तो फिर क्या आवश्यकता थी कि हाई कोर्ट जैसा उच्च न्यायालय रखा जाता ?

तो सभापति, महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जोधपुर के महत्व को कम करने का सवाल नहीं है। जोधपुर के अन्दर हाई कोर्ट का दफ्तर रहे और हाई कोर्ट का पूरा स्थान रहे; इससे हमें कोई गुरेज नहीं है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि जयपुर के अन्दर और दूसरे स्थानों पर सस्ता, सुलभ और

(श्री मुकटबिहारीलाल)

शीघ्रता से न्याय मिलने की ऐसी व्यवस्था की जाये कि जिससे आम जनता को आनेजाने में कठिनाइयां जो होती हैं वे मिट जायें। मैं भरतपुर का मसला लेता हूँ। भरतपुर से जोधपुर जाने के लिए ३ रोज लग जाते हैं और वापिस आने में ३ रोज़ लग जाते हैं। अगर किराया देखा जाये तो ७०) रुपये आने जाने का लगता है और सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ७ रोज आनेजाने में लग जाने के बाद भी ७० रुपये खर्च करने के बाद में वह व्यक्ति कहीं हाई कोर्ट तक पहुँच पाता हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आम जनता की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखा जाये और दुख और तकलीफ को देखा जाये। जब हमारे राज्य में एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मौजूद हैं तो इसके माने यह हैं कि सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि हमारे यहां भ्रष्टाचार है और जब यह बात स्वीकार की जाती है कि राज्य के अन्दर अन्याय है तो अन्याय जब राजस्थान के कोने कोने में व्याप्त है तो न्याय कोने कोने में क्यों नहीं पहुँचाया जाये ? इसकी आवश्यकता को नजरअन्दाज करना राजस्थान की जनता के साथ अन्याय होगा। एक बात सभापति महोदय, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शायद शासक वर्ग की तरफ से इस बात की दलील दी जाये कि जगह जगह पर न्यायालय की बैंचेज़ रखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा। यह बात अगर तथ्यों की दृष्टि से देखी जाये तो उचित नहीं है; क्योंकि अगर जोधपुर के अन्दर हाई कोर्ट की बैंच रहती है उसमें भी जयपुर के बड़े बड़े अधिकारियों को समय समय पर यहां के मुकदमों के सिलसिले में जाना पड़ता है, एडवोकेट जनरल को जाना पड़ता है। उनके आने जाने का और टी० ए० डी० ए० का खर्चा लगा कर देखा जाये तो जितना खर्चा जयपुर के अन्दर न्यायपालिका की बैंच रखने पर पड़ता है उससे कहीं ज्यादा वह पड़ेगा। आंकड़ों के अनुसार देखा जाये तो मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान के पूर्वी भाग के कितने मुकदमे हाई कोर्ट के अन्दर हर साल दायर होते थे जब कि हाई कोर्ट की बैंच यहां जयपुर में थी और अब जब कि हाईकोर्ट पूरा जोधपुर चला गया तो उसके बाद मुकदमों की संख्या कितनी कम हो गयी। यह इस बात का सबूत है कि राजस्थान की आम जनता जोधपुर तक नहीं पहुँच पाती, न्यायालय तक नहीं पहुँच पाती और वहां पर पहुंचने में उनको बहुत बड़ी रूकावटें हैं।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्वी राजस्थान की छोटी से छोटी अदालत है वह अपने आपको तानाशाह की स्थिति में महसूस करने लगी है। बात यह है कि कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कभी भी निर्णय देता है तो उसमें यह बात कह दी जाती है कि अगर आप इससे असन्तुष्ट हैं तो आप रिवीज़न में जा सकते हैं। छोटे छोटे मसलों को लेकर, उदाहरण के लिए बताऊं कि मानो एक मजिस्ट्रेट ५१४ की कार्यवाही के सिलसिले में जमानत को जब्त करे और ६ महीने की सजा का भी फैसला सुनाये तो यह ऐसा नग्न तथ्य है कि ५१४ के केस में जमानत जब्त करने के बाद में सजा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार का ब्लण्डर अगर मजिस्ट्रेट करता है और उस आदमी से कहा जाये कि इसके

(श्री मुकट बिहारीलाल)

खिलाफ तेरे लिये न्याय का दरवाजा खुला है, जोधपुर चला जाय और वहां न्याय मिल जायेगा, यह बात बड़ी हास्यास्पद है ।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न जयपुर और जोधपुर का प्रश्न बनाया जाता है तो वह केस जरूर बनाया जाये लेकिन जहां तक भरतपुर का सम्बन्ध है, उसको हाईकोर्ट के मामले में यू० पी० से मिला दिया जाये क्योंकि हमारे यहां से लखनऊ नजदीक पड़ता है । आप लड़ते रहो राजस्थान के प्रांगण में, मजाक बनती रहने दीजिए लेकिन कोटा-कोटावालों के लिए यह व्यवस्था कर दी जाये कि वह ग्वालियर जाकर अपना न्याय प्राप्त कर सकें क्योंकि उनको ग्वालियर नजदीक पड़ता है । दूसरे जो मेरे अभी पूर्व वक्ता थे उन्होंने इस बात की दलील दी थी कि इस पर हाउस की ओपीनियन ले लेनी चाहिए क्योंकि इस तरह से यह मामला चला तो इसका नतीजा यह होगा कि यह मामला हल नहीं होगा । मैं समझता हूं कि वह शायद आत्मविश्वास नहीं रखते, गांधीजी की केवल दुहाई देते हैं उधर के बैठे हुए माननीय सदस्य । अगर उनमें आत्मा की पुकार है कि राजस्थान में आम जनता के लिए न्याय दिलाने के लिए अगर इस सदन की छोटी छोटी परिपाटियों को छोड़ कर, स्वेच्छा से अपना मत दें तो मैं समझता हूं कि वह उसमें बाधक नहीं हो सकते ।

इसके अलावा मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जहां न्याय जैसे पुनीत मामले का सवाल है वहां वह अपने सिद्धान्त से, खुले दिल से इस बात की घोषणा करें कि सदन के जितने के माननीय सदस्य हैं अपनी खुशी से, अपनी स्वेच्छा से जिनकी जैसी मर्जी है उसके अनुसार वोट दें । अगर उन्होंने इतनी उदारता दिखाई, अगर उन्होंने तथ्य की तरफ से आँख नहीं फेरी और सच्चाई का परिचय दिया और जितने भी सदस्य हैं उनको इस बात की आजादी हो कि अपनी स्वेच्छा से अपना मत प्रगट कर सकें तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन के ३।४ से अधिक माननीय सदस्य इस बात की राय में हैं कि जो हाईकोर्ट का मसला है वह शीघ्रातिशीघ्र हल होना चाहिए और हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में आनी चाहिए ।

जहां तक संशोधन का सवाल है, संशोधन अपने स्थान पर रहता है और उसका समर्थन मैं इस तरह से करता हूं कि यह सस्ता और सुलभ न्याय मिलने की तरफ एक दूसरा कदम है । जब हम विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो यह दलील समझ में नहीं आती कि न्याय का विकेन्द्रीकरण क्यों न करें, न्याय को आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचाया जाये । इसमें आम जनता की भावना है, कानून हमारे साथ हैं । फिर हम भारत के दूसरे प्रान्तों को देखते हैं तो यू. पी. में हाईकोर्ट की बैंच दो जगह है, बॉम्बे में दो जगह है तो फिर कोई कारण नहीं है कि इस मसले को जो कि पुनीत मसला है, जैसा मैंने निवेदन किया, इसको विवाद का मसला बनाया जाये । यह ठीक है, कुछ यहां के मंत्रीगण अपने २ इलाकों में जाकर और छाती फुला कर इसके कहने की स्थिति में होंगे कि उनको माला पहिना दी जाये और वह कहें कि मैंने फिर से आम जनता को न्याय पाने से वंचित कर दिया ।

(श्री मुकटबिहारीलाल)

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अभी दो, तीन मिनट में ही समाप्त कर रहा हूँ। यह थोथी शान का सवाल नहीं होना चाहिए, यह तो सवाल इस बात का होना चाहिये। कि आम जनता को किस तरह से सस्ता और सुलभ न्याय पहुंचा सकते हैं।

इसके अलावा सभापति महोदय, एक बात और कही गई कि अगर अलग अलग ब्रैन्चेज होंगी तो निर्णयों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि क्या इस तरह की डाइवर्जेन्सीज या विरोधाभास लखनऊ और इलाहबाद में पैदा नहीं होते, चण्डीगढ़ और दिल्ली में पैदा नहीं होते। यह तो न्यायपालिका के संगठन की क्षमता का प्रश्न है, न कि इस बात का प्रश्न है कि इस मसले को लेकर आम जनता को मिले अधिकार से वंचित कर दिया जाये।

श्री सभापति : श्री उमरावसिंह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह जरूरी है कि हाई कोर्ट का महत्व समझा जाय। हाई कोर्ट का महत्व आज के इस प्रजातन्त्र के युग में इससे बढ़के कभी नहीं था क्योंकि आज जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं वहां न्याय और व्यवस्था दोनों साथ हैं। इसलिए हर वक्त जब भी विचार होता है यही कहा जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा पक्षपात होता है और गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता। उनको अगर सही मायने में न्याय ही लेना होता है तो हाई कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। यह उन लोगों के लिए भी है जो कि राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारे लोग इस बात के भुक्तभोगी हैं कि हाई कोर्ट में जाने के बाद उनको न्याय मिला है और लोवर कोर्ट्स में उनके साथ अन्याय और पक्षपात हुआ है। अगर एक ही जगह हाई कोर्ट रहता है तो जितने भी इस तरह के गरीब आदमी हैं जो कि वहां तक तक नहीं पहुँच सकते उन लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कोई भी मसला सरकार के द्वारा इस बातसे तय नहीं कराना चाहिए कि वहां आन्दोलन किया जाय। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर सरकार जनता की भावना को अच्छी तरह से समझ कर उनकी भावनाओं के माफिक काम करें तो देश में कहीं भी आन्दोलन की परिस्थिति पैदा नहीं हो सकती। सरकार अपनी एक बात पर अड़ कर बैठ जाती है तब जनता आन्दोलन करती है वर्ना जिन लोगों को चुन कर जनता भेजती है उनके खिलाफ आवाज उठा कर जनता कोई बात उसी हालत में कहती है जब कि वह वहां जाकर जनता को भूल जाते हैं और पार्टीबाज़ी में फंस जाते हैं।

आज भी इस हाउस में जितने भी सदस्यों ने बातें कहीं हैं उनमें दो सदस्य ऐसे थे जिनकी विचार धारा इस प्रस्ताव के खिलाफ है, चाहे वे सरकारी पक्ष वाले हों; या विरोधी हों। सब की भावना यही है कि यह प्रस्ताव पास होना चाहिए, लेकिन उनके सामने पार्टीबाजी का ही मसला है। जिनकी आत्मा सही बात कहती है पर पार्टी-अनुशासन के कारण अपनी आत्मा को पार कर गलत बात का समर्थन करते हैं और यह बहाना बनाते हैं कि यह बात इस हाउस में नहीं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उठानी चाहिए। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि राजस्थान के लिए यही सबसे बड़ी पंचायत है जहाँ पर बैठ कर राजस्थान की गरीब जनता का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मसला तय हो सकता है। इसके अलावा दूसरी जगह और कोई भी ऐसी नहीं हो सकती जहाँ सारे राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हों। यहां आकर किसी बात के सही तरीके को रखा जाता है और यहां नहीं तय किया जाय तो उसके बाद किस प्रकार से यह तय हो सकता है। अतः यह जरूरी है कि इस तरह की बात इस हाउस में ही तय की जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस सदन में इसलिए तय नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक झगड़े की बात हो जायेगी। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सदन में जितने भी विचार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर व बजट की बहस में और आज भी रखे गये हैं उनमें झगड़े की बात उन सदस्यों द्वारा उठाई गई है जो कि बराबर १० साल से यहाँ आकर बैठते हैं। वे पुरानी बातों को लेकर चलते हैं और आज सही माने में इस प्रांत के बारे में जो सच्चे दिमाग से सोचना चाहते हैं उनको नहीं सोचने दिया जाता। उनके पुराने झगड़े जो ५–१० साल से बराबर चले आ रहे हैं नये सदस्यों के सामने भी लाकर रख दिये जाते हैं और उनके ऊपर पार्टीबाजी का असर डालते हैं; जिससे सही मायने में फैसला नहीं हो सकता। इन बातों में कुछ न कुछ ऐसी बातें रख दी जाती हैं जिनके द्वारा आज भी नये सदस्यों को जो सही दिमागों से सोचना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जनता के हक को बराबर कायम रखना चाहते हैं। उनकी तरफ ध्यान नहीं देने देते। कभी जोधपुर–जयपुर का झगड़ा उठाया जाता है व कभी उदयपुर–बीकानेर का झगड़ा। हमें जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा को ध्यान में नहीं रख कर राजस्थान को ध्यान में रखना चाहिए। यहां बैठ कर भी क्षेत्रीय भावना से ही सोचते हैं! उनमें भी सबसे ज्यादा झगड़ा मन्त्रिमण्डल में बैठने वाले सदस्यों का है, जो अपने अपने ग्रुप की बात रखने पर अड़े रहते हैं।

जहाँ यह कहा जाता है कि चौमुखा विकास हर गांव का, हर शहर का होना चाहिये वहां इस तरह की छोटी क्षेत्रीय भावना दिल और दिमाग में हो तो विकास किस तरह से हो सकता है, यह प्रश्न जनता के सोचने का है।

सभापति महोदय, आपके द्वारा सदस्यों को यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमको इस क्षेत्रीय भावना से नहीं, बल्कि राजस्थान के अन्दर हाईकोर्ट का एक महत्त्व है और गरीब जनता को किस तरह से सही और सच्चा न्याय प्राप्त हो सके तथा लोवर कोर्ट्स में होने वाले पक्षपात के विरूद्ध गरीब पार्टीबाजी के शिकार राजनैतिक कार्यकर्त्ता हाईकोर्ट द्वारा न्याय प्राप्त कर सकें। उस न्याय को प्राप्त करने के लिये जरूरी है कि अलग अलग जगह पर हाईकोर्ट की बैंचेज हों तो जल्दी ही लोगों को न्याय प्राप्त होगा। और यदि एक जगह जहाँ कि आज लोग पहुँच नहीं सकते, और वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं एक

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

दफा गया तो १४–१५ दिन रहने के बाद वकील साहब के दर्शन अच्छी तरह हो सके। इतनी तो वहाँ भीड़ भाड़ रहती है। अगर आप लोग इस बात को चाहते हैं कि न्याय लोगों को सुलभ और जल्दी मिल सके तो उसके लिए यह जरूरी है कि जो प्रस्ताव आपके सामने रखा गया है और उसमें जो संशोधन रखा गया है उस संशोधन के साथ इस प्रस्ताव को पास करें। यह इसलिए पास करना चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा और सुलभ तरीकों से लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो उसका यही एक तरीका हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जगह यह हाईकोर्ट की बैन्चेज़ हों ताकि लोगों को अच्छी तरह से न्याय प्राप्त हो सके।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर फिर पुरजोर शब्दों में सरकारी पक्ष के साथियों से अर्ज करना चाहता हूँ कि वे अपने दिल और दिमाग में जिस भावना को लेकर बैठे हैं और चाहते हैं कि प्रस्ताव पास हो तो उन्हें पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर जनता की सच्ची भावनाओं की कद्र करते हुए प्रस्ताव को पास करने के लिये वोट भी देना पड़े तो पक्ष में वोट देकर प्रस्ताव को संशोधित रूप में सर्व सम्मति से पास करें।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, जो हाउस के सामने प्रश्न हाई-कोर्ट की बैंच के बारे में है उस बारे में काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं व अपने विचार रख चुके हैं। एक दूसरे का विरोध भी किया गया है। बात यह है कि यह तो बहुत सही और सीधी बात है कि हाईकोर्ट का जहां तक मसला है वह जोधपुर में रखने से पुराने जयपुर डिविजन के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जोधपुर झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील के जैतपुर, कुहाड़वास आदि गांवों से ४००, ४५० मील पड़ता है। इसी तरह से अलवर, भरतपुर, सीकर आदि ५,६ जिले हैं इन जिलों से जो आदमी जोधपुर जाते हैं वे जयपुर होकर जाते हैं। इसलिए एक अदालत में जिस अदालत से हमें न्याय मिले इस तरह की अदालत में पहुँचने के लिए एक साधारण किसान को वहाँ पहुँच कर और वापिस आने तक १००) रु० खर्च करना पड़ता है। उसको वकील ले जाना पड़े और वकील १,०००) रु० एक पेशी के लिए मांग ले तो आप सोच सकते हैं कि वह २ हजार रुपये कहाँ से एफोर्ड कर सकता है? इसलिए उसको बहुत बार न्याय से वंचित रहना पड़ता है। छोटी अदालत जो जिस तरह का फैसला दे देती है और उसके बाद रिवीजन के लिए जोधपुर जाने की बात सोची जाय या कही जाय तो उसके लिए वह बात बहुत मँहगी पड़ती है। इसलिए धन के अभाव में जोधपुर पहुँचने में कितना खर्च आता है? इतना खर्च कहां से जुटा पायेगा, इसलिए जोधपुर नहीं पहुँच पाता है। इसलिए मैं नहीं कहता कि यह प्रताव पास हो या सरकार किसी दूसरे जरिये से इस मसले को हल करे, यह सरकार के सोचने की बात है। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस मसले को तय करें और हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित करें। यह निश्चित रूप से मान कर चलना चाहिए कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में आनी चाहिए

(श्री शीशराम ओला)

और जनता की भावना की कद्र करनी चाहिए। मैं तो बहुत साफ कह देना चाहता हूँ कि यदि मसला दो साल पहले सोचा जाता तो आॅपोजिशन बैंचों पर इतनी बड़ी संख्या में दूसरे सदस्य बैठे हुए नहीं मिलते।

(३० म० प०)

लेकिन एक हाईकोर्ट का मसला ही सबसे बड़ा प्रश्न था कि जयपुर में सब कुछ इस तरह का वातावरण देखना पड़ा। इसलिये मैं नेता महोदय का ध्यान, सभापति महोदय, आपके द्वारा अकर्षित करना चाहूँगा कि इस मसले को ज्यादा न भुलाया जाय और किसी एक या दो व्यक्तियों के कहने से ही जनता की माँग को नहीं ठुकराया जाय। जिस तरीके से भी इस मसले को सुलझाया जा सके, उस ढंग से सुलझाना राजस्थान की जनता के लिये और सब के लिये अच्छा होगा।

(कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह) : श्री भीमसिंह।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदय, मैं तीन दफा उठ चुका हूँ।

श्री सभापति : श्री भीमसिंह।

श्री भीमसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, यह जो हाईकोर्ट की बैंच का प्रश्न चल रहा है उसको अपने को इस रूप में देखना है कि शुरू में जिस रूप में कॉम्प्लीकेशन किया गया है उस रूप में ऐसे प्रश्न उठ रहे हों तो उनका प्रतिकार करना चाहिये। राजस्थान के अलावा दूसरे प्रांतों को देखते हैं तो सभी प्रान्तों में किसी न किसी रूप में, कम से कम पांच-छः प्रान्तों में तो देखने को मिलते हैं कि बैंचेज़ मौजूद हैं। अपने पड़ौसी प्रान्त यू. पी. में मौजूद हैं और दूसरे स्टेट्स में भी मौजूद हैं। इसके बावजूद भी यह प्रश्न राजस्थान में इतना उलझ गया है। शायद ऐसा लगता है कि यह कुछ आपसी कटुता के कारण या कुछ व्यक्तियों के आपस की किसी विचारधारा के कारण उलझ कर प्रेस्टिज का इश्यू बन गया था और इस प्रश्न को लेकर राजस्थान में काफी तनाव आया और जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट केन्द्र ने फाइनल रूप में नहीं मान ली उससे पहले ही इस निर्णय को कार्यरूप में या एग्जीक्यूसन में ले लिया गया और जयपुर से हाईकोर्ट की बैंच हटा कर जोधपुर में स्थापित कर दी गई। यदि हम यह देखते हैं कि जोधपुर के लोगों को इससे कोई लाभ हुआ है तो यह बात नहीं है। आज जोधपुर से आनेवाले जो साथी हैं उनसे यह निवेदन है कि जोधपुर में इस बैंच को ले जाने से फायदा हुआ या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ के रहनेवाले नागरिकों को इससे नुकसान जरूर हुआ है। आज यदि इसको जोधपुर से वापिस लाया जाता है तो भी जोधपुर को इससे नुकसान नहीं होगा। यदि वे चाहते हैं कि इसके स्थान पर जोधपुर में उसकी बहबूदी के लिये कुछ और चीजें करनी हैं तो कर सकते हैं। इसलिये इस चीज को उलझन में रख कर करना ठीक नहीं है। पड़ौसी प्रान्त पंजाब में भाषावाद को लेकर इतनी खींचतान रही है, वहां का वातावरण बिगड़ गया है, उसी तरह से राजस्थान में यह

(श्री भीमसिंह)

छोटी सी चीज बैंच है उसको लेकर आपसी डिविजनों में तनाव आयेगा, वातावरण बिगड़ेगा। इससे राजस्थान का भला होने वाला नहीं है।

बहुत से साथी कहते हैं कि हाईकोर्ट में खाली पैसे वाले या राजनीति वाले होते हैं वे ही जाते हैं, इसलिये आम काश्तकारों या गरीबों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंच चाहे जोधपुर में रहे या जयपुर में हो या अजमेर में हो। लेकिन वे भूल जाते हैं कि गांवों में खेत और बाड़ के झगड़े आते हैं। बाड़ इधर से उधर सरका देते हैं तो छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़े होते हैं और अदालतों के निर्णय को लेकर काश्तकारों को हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, न्याय के लिए। इसलिए उनको लेकर टालने के लिए यह कह सकते हैं कि जोधपुर में रहने से छोटे लोगों के लिए फर्क नहीं है, यह कहना गलत है। उन पर फर्क पड़ेगा, असर पड़ता है और उनको परेशानी है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पर फिर से विचार करें। प्रेस्टिज का सवाल उस समय था जब कि आन्दोलन चलता था लेकिन आज आन्दोलन खत्म हो गया। नये सिरे से खयाल किया जाता है तो न सरकार की प्रेस्टिज का सवाल है और न जोधपुरवालों की नाराजगी का सवाल है। इसलिए इस चीज को घर में बैठ कर करना है। उधर के साथी यदि यह कहें कि आज ही प्रस्ताव पास करके करना है तो वे इसे प्रेस्टिज़ का सवाल बनाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव आज ही पास हो तो आपस में खैंचा-तानी होगी।

प्रस्ताव की भावना वाजिब चीज है तो वाजिब तरीके से सोच विचार करना चाहिये। यह नहीं कि आज ही प्रस्ताव पास हो। जोधपुर के जो साथी हैं उनको भी तसल्ली देनी है। वे यह सोचेंगे कि हमारी बात जाती है या नुकसान हो रहा है तो उनकी भावनाओं पर ठेस न पहुँचे। तसल्ली देकर काम करें तो जयपुर, भरतपुर, कोटा आदि के निवासी हैं वे जोधपुर के साथियों को तसल्ली दिला कर, उनका भ्रम निवारण करके सरकार की मार्फत केन्द्र के पास पहुँचें तो मैं समझता हूँ ज्यादा उपयुक्त होगा। हो सकता है कि लॉ कमीशन ने राय दे दी थी लेकिन श्री ए. के. सेन ने पार्लियामेंट के फर्श पर अभी कह दिया है कि फाईनल नहीं हुआ, अभी विचाराधीन है। तो इस स्टेज पर है तो इसे फाईनल नहीं कह सकते, रिपोर्ट को इधर उधर किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि समय रहते करें। अपोजीशन से मेरा निवेदन है कि इस पर हम सब ब्रेड बेअर डिस्कशन करें। अभी समय की कमी है तो ब्रेड बेअर डिस्कशन कुछ साथी इधर के और कुछ उधर के बैठ कर आपस में कर सकते हैं और सदन के नेता की मार्फत उसे केन्द्र तक पहुँचा सकते हैं। समुचित दृष्टिकोण को दृष्टिगत रख कर इस पर विचार करते हैं तो ज्यादा सुन्दर होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, आज हम जिस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, हमारो राजस्थान की जनता के लिये यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है और साथ ही सुबोध भी। क्योंकि हमने महसूस किया कि जिस समय हमने यह प्रस्ताव आज रखने का निश्चय किया कि इस हाई कोर्ट के सवाल के साथ कुछ राजस्थान के विभिन्न भागों की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनता की मुख्तलिफ तरीके से भावनाएं जुड़ गई हैं जिसमें उन भावनाओं के वशीभूत होकर इस प्रश्न को उन भावनाओं से अलग होकर देखने की कम कोशिश की जाती है ।

हमने यह भी महसूस किया था कि इस प्रश्न पर सरकार ने पहले पोजीशन ली है, एक निर्णय लिया है, उस सम्बन्ध में सरकार के सामने जिस तरह से आम तौर पर प्रतिष्ठा का सवाल पैदा होता है उस प्रकार की स्थिति भी सरकार के सामने हो सकती है । हमने यह भी महसूस किया था कि इस सम्बन्ध में एक आन्दोलन जयपुर में चला था और उसका नतीजा इस प्रकार का हुआ जो कि आम जनता के दिल में और खुद सरकार के लिए भी वह कोई बहुत शोभायमान नहीं रहा । इन तमाम बातों के बावजूद हमने यह महसूस किया कि काफी समय इन बातों के लिये निकला है और इस दौरान में कुछ तजुर्बा भी सरकार को भी हुआ है और आम जनता को भी हुआ है । सब लोगों को इस प्रश्न पर भावनाओं से अलग होकर व्यावहारिक तौर पर, जिन्दगी के तजुर्बे के तौर पर विचार करने का मौका मिला है । इसलिए हमने यह महसूस किया कि अब समय आ गया है कि इस प्रश्न पर डिसपेशनेट तरीके से सोचें, भावनाओं से ऊंचे उठ कर, जनता के हित की दृष्टि से विचार किया जाय ।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने यह प्रस्ताव न किसी सरकार की प्रेस्टिज को नीचे लाने की दृष्टि से, न किसी पक्ष को उसमें एक पोइन्ट देने, गेन करने की दृष्टि से या केवल प्रचार की दृष्टि से इस सदन में रखने का प्रयत्न किया है बल्कि इस प्रश्न को राजस्थान की जनता की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, इमानदारी से यह महसूस करते हुए रखा है कि जो एक भारी गलती हुई है, अगर हम बैठ कर डिसपेशनेट तरीके से विचार करेंगे तो कोई वजह नहीं कि इस बात को दलील के तौर पर अपने दूसरे भाइयों को नहीं समझा सकें और उनके ऊपर यह असर न डाल सकें कि इस बात को करने से इसमें आम जनता का भला है । हम यह भी महसूस करते हैं कि जहां इस प्रश्न में इतनी उलझनें पैदा हुई, उन उलझनों में कुछ गलतियां भी हुई हैं । हम लोगों में से कुछ चाहे हम कहीं के भी हों, कुछ क्षेत्रीय भावनावों के शिकार भी हुए हैं और उसका नतीजा यह हुआ है कि यह प्रश्न जहां बड़ी सादगी से, सुन्दर तरीके से हल होना चाहिए था, यह प्रश्न उस तरीके से हल नहीं हुआ । मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे सामने यह प्रश्न अजमेर के राजस्थान में विलीन होने के वक्त यह था कि अजमेर के राजस्थान में आने के कारण ये बड़े सवाल-राजधानी के, हाई कोर्ट के-इस प्रकार के सवालों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्या; उनको बदलने की आवश्यकता है क्या ? कोई भी उस समय विचार नहीं करता था कि इस प्रकार के सवालों के कारण इन बैंचों को हटाकर हाई कोर्ट को केवल एक जगह कर दिया जाय । यह मुख्य प्रश्न विचारणीय था, इसलिए विभिन्न लोगों ने जो कमेटी के सामने अपने प्रतिवेदन दिए उनमें वे यह बात मान कर चले थे और कम से कम हमारी पार्टी ने यह खयाल किया था कि इस प्रकार का प्रश्न दरपेश नहीं होना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहिये; इस प्रकार का प्रश्न दरपेश होगा ही नहीं कि जयपुर से बैंच हटा कर राजस्थान की कोर्ट को एक जगह लाया जाय।

इसमें सन्देह नहीं है कि हम महसूस करते हैं कि इधर सेभी ये आवाजें उठी कि इस हाईकोर्ट को एक ही जगह लाना है तो इस हाईकोर्ट को जयपुर में लाया जाय; इस हाईकोर्ट की सीट को एक जगह पर बना दिया जाय। जिन भाइयों ने यह दलील पेश की उस वक्त उन्होंने जोधपुर की जनता की भावनाओं, सहुलियतों पर विचार नहीं किया और केवल वकीलाना तौर पर उस कमेटी में, लॉ कमीशन ने रिकमन्डेशन कर दी थी, ब्यूरोक्रैटिक तरीके से उस पर विचार करने की कोशिश की। इस तरीके से, मैं समझता हूँ कि जोधपुर में हाई कोर्ट को यूनिफाइड तरीके से रखने की दलील को वजह से इस प्रकार के कमीशन की रिपोर्ट को; या सरकार के फैसले को या और किसी तरह के निर्णय को एक अन्तिम तौर पर मान लिया जाय और हम लोग जो जनता के दुख-दर्दों को देखते हैं, जनता के हित की दृष्टि से उस पर पुनर्विचार करने का दृष्टिकोण न रखें तो मैं समझता हूँ कि वह सही दृष्टिकोण नहीं होगा। इसलिए जब हमने यह प्रस्ताव आपके सामने एक प्रस्ताव के स्वरूप में रखा है तो हम इसको इस दृष्टिकोण से रख रहे हैं कि एक डेमोक्रैटिक तरीके से; आम जनता के हित की दृष्टि से जनता को सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त होना चाहिए–वह न्याय जोधपुर की जनता को प्राप्त होना चाहिए, वह न्याय जयपुर की जनता को प्राप्त होना चाहिए; बल्कि सारे राजस्थान की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ, प्रायः मेरे कन्सीडरेशन में सबसे प्रथम प्रश्न हमारे सामने इस समस्या को हल करते समय होना चाहिए और इसी दृष्टिकोण से हमने री-ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सामने या राव कमेटी के सामने अपने प्रतिवेदन पेश किये थे।

अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरीके के निर्णय हुए-सरकार ने किसी समय यह निर्णय किया कि जयपुर के अन्दर बैंच रहेगी और हाई कोर्ट जोधपुर में रहेगी और उसके बाद अपने निर्णय को बदल कर यह निर्णय कर दिया कि जयपुर की बैंच को एबोलिश कर दिया जायँगा और हाई कोर्ट सिर्फ जोधपुर में रहेगी–यह इस बात को साबित कर रही है कि कोई भी सरकार, यदि वह सरकार जनता के प्रति जागरुक है, जनता के हितों के प्रति जागरूक है तो अपने निर्णय को कोई अन्तिम रूप दे दे, अन्तिम मोहर लगा दे और जिद्द करके बैठ जाय; ऐसा नहीं होता। खुद इस सरकार ने इस प्रश्न पर इस प्रकार का रूख नहीं लिया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार के सामने अपने निर्णय को अन्तिम मानने का रुख नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि जब मिनिस्टर साहब बोलेंगे तब सरकारी रुख का पता लगेगा कि उसमें उनका रूख क्या है, उसके बारे में इस बात का क्या स्टेन्ड है, इस बारे में पता लगेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार का रुख इस सम्बन्ध में यह होना चाहिए कि अपने निर्णय के ऊपर विचार करे। सवाल यह है कि वह इसके ऊपर निर्णय बना ले कि जो गलती हुई है उसको दुरुस्त करने की तैयारी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिखाये। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो इस बात के लिए मांग कर रहे हैं कि जयपुर में एक अतिरिक्त बैंच होनी चाहिए, हम साथ ही यह भी जोधपुर के भाइयों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब हम जयपुर में बैंच को मांग करते हैं तो हम साथ ही इस बात का भी पूरी तरह से आश्वासन दिलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को अपने निर्णय में भी करें कि हाईकोर्ट की मेन सीट, हाई कोर्ट का हैड क्वार्टर जोधपुर में रहेगा और यह निर्णय किसी तरह से भी उस निर्णय को प्रिजुडिस नहीं करेगा। बहुत से जोधपुर के भाइयों से बातचीत करने पर पता चला कि उनका खयाल है कि शायद यह निर्णय इस प्रकार के कदम की ओर हो कि हाई कोर्ट को जोधपुर से हटाने की ओर पहला कदम हो। बाद में यह दलील दी जाय कि जयपुर बैंच में केसेज़ का इन्स्टीट्यूशन ज्यादा है, यह राजधानी है तो क्यों न हाईकोर्ट को यहां ले आया जाय। मैं समझता हूँ कि यह जोधपुर की जनता के साथ, जयपुर के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा और कम से कम हमारी पार्टी ने रिज़ोल्यूशन रखा है, वह साफ तौर से इस दृष्टिकोण को मानते हुए रखा है कि हाई कोर्ट की मुख्य सीट जोधपुर में रहनी चाहिए और अतिरिक्त बैंच जयपुर में उसकी कायम की जाय।

जोधपुर के बहुत से लोगों से, बार के लोगों से भी और आम सार्वजनिक काम करने वाले लोगों से बातचीत करने का मौका मिला तो मालूम पड़ा कि वहाँ पर यह भी अहसास है कि हाई कोर्ट की सीट वहाँ पर जाने से वहाँ की जनता या वहां के वकीलों को कोई विशेष फायदा नहीं है और मैं समझता हूँ कि वहाँ की बार कोई इस प्रकार के छोटे, पिक्यूनियरी इन्ट्रेस्ट के दृष्टिकोण से इस बात पर गौर नहीं करती है और एक सही पृष्ठभूमि में, सही दिमाग से इस बात को रखा जाय तो वे अब भी इस बात को समझ सकते हैं; अलबत्ता इस बात से, कि हाईकोर्ट की बैंच यहाँ हो जाय तो यहाँ की जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिलने में दिक्कत नहीं होगी और यह अतिरिक्त फायदा यहाँ की जनता को हो जायेगा। मैं समझता हूँ कि हम सब को चाहिए, चाहे हम किसी पार्टी से ताल्लुक रखनेवाले हों, हम सब जनता में काम करने-वाले हैं, हम किस प्रकार इस बात को सोच सकते हैं कि जो रियायत, जो सहूलियत, अपने इर्दगिर्द की जनता के लिए चाहते हैं वही रियायत हम दूसरी जगह की जनता के लिए क्यों न चाहें। यह तो हमारे एक प्रान्त की बात है। अब हमारे सामने सारे हिन्दुस्तान का सवाल आता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

या सारी दुनिया का सवाल आता है, तो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की बात को समझ कर, इस दृष्टिकोण को रख कर इन बातों पर सोचते हैं।

आज राजस्थान नहर बनाई जा रही है। हम जानते हैं कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र में राजस्थान नहर का पानी नहीं पहुँच सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हृदय, हमारे इलाके की जनता के हृदयों में भारी खुशी है, जब हम यह खयाल करते हैं कि हमारी मरुभूमि, जिसमें कुछ पैदा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं होता वह इस राजस्थान नहर के आने पर खुशहाल हो जायेगी, वह हरीभरी हो जायगी और हमारा राजस्थान इतना उन्नत बन जायेगा। तो उससे हमें बड़ी खुशी होती है और इसमें जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसका बोझ हमें भी वहन करना पड़ेगा, हम उसे खुशी के साथ लेने को, वहन करने को तैयार हैं। वही हमारी भावना रहेगी, वही दृष्टिकोण रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें वास्तव में एक इमोशनल इन्टीग्रेशन राजस्थान का करना है, जैसे राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस बात के विचार व्यक्त किये थे। तो उसके लिए वास्तविक स्थिति पैदा करनी होगी। केवल उपदेश देने से कि इस प्रकार का इन्टीग्रेशन हो गया है, काम नहीं चलेगा। राजस्थान में रहने वाले विभिन्न लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि राजस्थान में रहते हुए उनके साथ एक सा व्यवहार किया जावेगा, उनको एक साथ विकास करने का मौका मिलेगा, उनका हर क्षेत्र में वैसा ही ध्यान रखा जावेगा जिस प्रकार किसी दूसरे क्षेत्र में रहने-वालों का ध्यान रखा जाता है तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा होगा।

किसी ने कहा कि हमें ग्वालियर के साथ जोड़ दियाजावे या किसी दूसरी जगह हाई कोर्ट के साथ जोड़ दिया जावे। मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार की टेन्डेन्सी पैदा नहीं करनी होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को गम्भीरता से लें और पार्टी से ऊपर उठ कर क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ कर हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। इस तरफ हमें पब्लिक को लीड देकर ले जाना चाहिए।

यह बात साफ है कि जोधपुर की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय उसी तरह से मिलता रहेगा जिस तरह से अभी मिल रहा है और हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में रहने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा और दूसरे लोगों को जो इस तरफ रहते हैं उनको फायदा होगा। इसलिए मैं इधर की जनता की भावना को और दिक्कतों को महसूस करते हुए यह निवेदन करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें और इस पर विचार करें।

(३.२१ म.प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभापति महोदय, आज राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच को जयपुर में रखे जाने का प्रस्ताव हमारे सदन में हमारे सामने विचाराधीन है। माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार इस प्रस्ताव पर प्रकट किये हैं। मगर मुझे खेद और दुःख इस बात का होता है कि जिस प्रस्ताव को सदन में सद्भावना के साथ रखा जाता है उस पर किस प्रकार से आरोप लगाने की चेष्टा की जाती है। इस प्रस्ताव के लिये कहने की चेष्टा की जाती है कि यह प्रस्ताव वास्तव में सद्भावना के साथ नहीं आ रहा है; बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिन पर विचार नहीं किया जा सकता। मैं विनम्रता

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

के साथ सभापति महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों के सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां हम किसी एक विषय पर विचार करते हैं और खास कर न्याय व्यवस्था जैसा विषय होता है तो वहां पर राज्य सरकार का यह पुनीत और परम कर्तव्य हो जाता है कि वह इस पर गहराई से विचार करें। यह प्रस्ताव इसी व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है और इस पर जब हम विचार करते हैं तो खास तौर से ट्रेजरी बैंच या वे लोग जिनके हाथों में न्याय व्यवस्था करने का साधन है और शक्ति है उनको इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। वे यह कह सकते हैं कि उनके पीछे चुने हुए माननीय सदस्यों की आवाज नहीं, पब्लिक की आवाज है और पब्लिक की बहुत बड़ी भावना को लेकर यहां पर यह प्रस्ताव रखा गया है, इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिए।

मैं एक चीज सदन के ध्यान में रखता हूं कि यह हाई कोर्ट का प्रश्न कोई नये रूप से हमारे सामने नहीं आता है; बल्कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि १६४६ में जब विभिन्न रियासतें थी उस समय उन सारी रियासतों में न्याय व्यवस्था के लिए प्रत्येक रियासत में हाई कोर्ट अपनी अपनी रखते थे। समय बदला और रियासतें एक हुई और हुकूमत करने वालों ने इस बात पर विचार किया कि न्याय व्यवस्था में एकीकरण होना चाहिए और इस पर विचार किया जाय। जिस समय यह सारा प्रश्न शासक वर्ग के सामने आया तो यह प्रतीत हुआ कि राजस्थान में सुचारू रूप से कार्य चलाने के लिए हाई कोर्ट के लिए दो बैंचों का होना परमावश्यक है और वे दो बैंचें राजस्थान बना तब से चली आ रही थीं; एक जयपुर में और दूसरी जोधपुर में।

यह तो १६५६ के बाद अजमेर का विलीनीकरण हुआ उसके बाद में यह कहा जा सकता है कि कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के स्वार्थ के कारण इस प्रश्न को दुबारा उठाया गया। मगर यह बात नहीं है कि जो निर्णय हो गया उस पर कोई ऐसी मुहर लग गई हो या कोई ऐसा तय कर लिया हो कि यह तो हो ही नहीं सकता। यह बात नहीं है जिसके आधार पर यह दलील रखी जाती है और कहा जाता है कि हाई कोर्ट का सवाल पीछे तय हो चुका है और उसको वापिस उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे खयाल से ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं यह कहता हूँ कि जैसी व्यवस्था चली आ रही थी और जिस व्यवस्था को तोड़ा उसका आधार आज राव कमेटी की रिपोर्ट है। राव कमेटी की रिपोर्ट ऐसे तथ्यों पर आधारित हैं जो निराधार है और मैं, सदन के सामने उन्हीं तथ्यों को दिखाना चाहता हूँ और जो तथ्य दिये गये वे कहां तक सत्य हैं। और कहां तक रीजनेबल हो सकते हैं जिनके आधार पर हाईकोर्ट का निर्णय किया जावे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि लॉ कमीशन के निर्णय का इम्प्लीमेन्टेशन सबसे पहले राजस्थान राज्य में ही किया गया, दूसरी जगह नहीं और जब वह रिपोर्ट नहीं मानी गई तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से बैंच नहीं हटाई जा सकती, क्योंकि दूसरे ऐसे प्रांत हैं, जहाँ राज्य सरकार ने जहाँ उचित समझा वहाँ पर नई बैंच कायम की। आज हमारे यहां पर यह प्रश्न नहीं है कि नई बैंच

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

कायम की जावे। यह नई बैंच को देने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह आप लोगों के सामने विचारणीय है कि जो अधिकार हमको प्राप्त हैं वे किसी वजह और कानून के उनसे छीन लिये जाते हैं, केवल यही प्रश्न है जो सदन के सामने विचारणीय है। हम इस बैंच के लिये किसी के सामने भीख मांगने नहीं जाते और भीख मांगना नहीं चाहते। हम तो यह कहते हैं कि हमारा जो राइट है उसको किस आधार पर छीना गया है, इस पर विचार करिये। मैं कहूंगा कि आप इस प्रश्न को क्षेत्रीय भावना का प्रश्न न बनावें। आप इस पर विचार करें कि जो शक्ति आपके हाथ में उपलब्ध है उसका उचित रूप से प्रयोग करें। इस बात को ध्यान में रखें कि सब लोग सुखी रहें; 'यावज्जी वेत् सुखं जीवेत्।'

राव कमेटी में दो-तीन तथ्यों का जिक्र किया गया है उस पर मैं कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तथ्य है वह यह कि एक ही जगह हाईकोर्ट होना चाहिये और एक जगह से दूसरी जगह पर हाई कोर्ट हो जाता है तो उसमें ऐसी अव्यवस्था आ जाती है। जिसके आधार पर लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। सबसे बड़ा प्रश्न जो माननीय सदस्यों ने रखा वह यह था कि यदि दो जगह हाईकोर्ट होता है तो विभिन्न प्रकार के निर्णय हो जावेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिये क्योंकि न्याय करने से पहले तर्कों को सुना जाता है और उनको सुनने के बाद निर्णय दिये जाते हैं। मैं यह कहूंगा कि सभी जज एक साथ बैठकर निर्णय नहीं करते। १४ निर्णायक ६, ७ कमरों में अलग अलग जगह बैठ कर अपना निर्णय करते हैं। यह कोई गारन्टी नहीं है कि अलग अलग हाई कोर्ट होने से निर्णय अलग अलग हो जायेंगे। एक ही भवन में दो–दो जज, चार, पांच कमरों में बैठेंगे तो निर्णय ठीक होंगे। वे जो भी बहस होती है उसको सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं और उसके बाद में अपना निर्णय देते हैं। मैं समझता हूँ कि यह दलील कि यहां पर हाई–कोर्ट होने से निर्णय ठीक से नहीं होंगे उचित नहीं है वहां पर भी दो-तीन, चार अलग अलग बैंचें होती हैं और भिन्न भिन्न कमरों में बैठने-वाले जज अपना निर्णय करते हैं। फुल बैंच में जाने का भी लोगों को राइट है, वे जा सकते हैं। इसलिए यह दलील कोई दलील नहीं कही जा सकती। मैं समझता हूँ कि यह तो तर्क के रूप में नहीं दिया है। यह राव कमेटी ने दिया है।

मैं एक बात आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, राव कमेटी ने कहा है कि यदि न्याय में ठीक इन्तजाम देखना चाहते हैं तो इसके लिये परम आवश्यक हो जाता है कि हाई कोर्ट की सीट एक ही जगह होनी चाहिये ठीक है, बहुत सुन्दर दलील है कहने के लिये। ये विचार सुन्दर लगते हैं पर यह विचार कीजिये कि जहां तक राजस्थान का, व्यवस्था का प्रश्न है सदन के प्रत्येक माननीन सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ एक बैंच जयपुर में चल रही थी और एक जोधपुर में, चीफ जस्टिस दौरा किया करते थे, वे अपने व्यक्तित्व का प्रभाव जोधपुर में भी वैसा ही रखते थे और जयपुर में भी जब वे दौराने दौरा आते थे तो वैसा ही व्यक्तित्व का प्रभाव रखते थे। तो एक ही जगह हाईकोर्ट

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

की बैंच रहती है तो व्यक्तित्व पूर्ण रहेगा और एक से ज्यादा जगह रहती हैं तो कम रहेगा। यह ठीक नहीं। मैं तो भी यह कहने को तैयार हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जजेज़ और नीचे की श्रेणी के न्यायालय में भी विभिन्न स्थानों पर चीफ जस्टिस का दौरा होता रहे तो उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा और अन्य न्यायालय भी पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। यदि व्यक्तित्व का पूर्ण प्रभाव डालना है तो जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसमें दौरे होते थे तो उससे कार्य सुचारू रूप से, एफिशियेन्टली होता था और जजेज़ पर पूरी तरह अच्छा न्याय करने के लिये अंकुश रहता था। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, मैं यह नहीं कहता कि वे इतने आर्बिट्रेरी हो जाते हैं कि अपनी शान के माफिक निर्णय देते हैं; पर यह देखा जाता है कि जब उन्हें भय नहीं होता है, अपील नहीं होती है तो ऐसे निर्णय हो जाते हैं जिनके लिये कितना अपव्यय होता है। साधारण मसले जिनमें बड़ी आसानी से निर्णय हो जाने चाहिये थे उनमें बड़ी बड़ी पेचीदगियां हो जाती हैं। तो राय कमेटी ने दूसरे रूप में तर्क पेश किया, वह तर्क की तारीफ में नहीं आता।

तीसरी बात कही जाती है, जगह २ बैंचेज कायम हो गई तो जजेज का स्पेशियेलाईजेशन नहीं हो सकेगा। एक जगह रखा जांय तो स्पेशियेलाइजेशन हो जायगा, सुन्दर निर्णय होंगे। मेरा निवेदन है कि दो बैंन्चेज एक साथ चलती हैं स्पेशियेलाइज्ड सब्जेक्ट का फैसला करना चाहते हैं तो दोनों बैंन्चेज के जजेज़ साथ बैठ कर कर सकते हैं, कभी जयपुर में कभी जोधपुर में बैठ कर कर सकते हैं और इस तरह पहले होता भी आया है। तो इस तर्क को देकर इस मसले को तय किया जाता है तो यह तर्क कोई तर्क नहीं।

तीसरा, राव कमेटी की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि जयपुर में बैंच रखो गई तो पुस्तकालय का बड़ा अपव्यय हो जायगा। लॉ कमिशन की रिपोर्ट पर जयपुर का अधिकृत अधिकार, जिसको हटाया गया और जो तर्क दिया गया, वह तर्क प्रत्येक माननोय सदस्य के सामने था या नहीं, उनको अपने लिये दृष्टिकोण में लाने के निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात कह कर जो बैंच शुरू से यहां पर थी उसको हटाया गया, उन तर्कों को देख लीजिये उनमें कहां तक शक्ति है। एक पुस्तकालय के लिये तर्क दिया जाता है। कहा गया दो जगह बैंचेज होने से दो जगह पुस्तकालय पर खर्चा पड़ेगा। बार पर वकीलों को भी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जहां तक पुस्तकालय का प्रश्न है, जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच थी, उसका सुन्दर पुस्तकालय था वह किसी भी हाई कोर्ट के पुस्तकालय से मुकाबला करने को तैयार हो सकता था। जयपुर बार लाइब्रेरी के बारे में निवेदन कर सकता हूं कि वैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, पर एडमिनिस्ट्रेशन के शब्दों में इसकी तारीफ एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा नहीं। यह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर हो सकता है पर जहां तक पुस्तकालय का प्रश्न है, देश के किसी गण्य मान्य पुस्तकालय के मुकाबले में खड़ा हो सकता है।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इस प्रकार की दलीलें दी जाती हैं और इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि राजस्थान के हाई कोर्ट की बैंच एक ही जगह हो सकती है। इस प्रकार की बातें कहां तक युक्ति संगत और न्याय संगत हो सकती हैं, यह सदन के विचारने की बात है। यह प्रस्ताव आपके सामने आया है इस पर आप स्वयं विचार कीजिये, न सोचिये इस बात को कि यह जोधपुर का विषय है, जयपुर का विषय है। यह राजस्थान की जनता का प्रश्न है········

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपको जनता ने चुन कर भेजा है, जनता जनार्दन ने जो आपको शक्ति दी है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिये। आपको इस विषय पर विचार करना है जिससे 'बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय' आपका कार्य हो और आपका स्टेप इस प्रकार का स्टेप हो कि आपकी भावना चल सके।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट। जिस भावना को लेकर आप जा रहे हैं उससे जनता का हित हो सके। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और राज्य पक्षवालों को निवेदन करूंगा कि आप इसको अपनी जिद्द का प्रश्न बना कर विचारने की चेष्टा न करें, जनता की भावना को देखिये, जनता आपके सामने आवाज लेकर आती है, दुख-दर्द को लेकर आती है तो राज्य का, हुकूमत करनेवालों का पहला फ़र्ज़ हो जाता है कि वे न्याय की व्यवस्था करें क्योंकि राज्य व्यवस्था न्याय व्यवस्था पर ही आधारित है।

श्री सभापति : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सदन में इस प्रस्ताव को लेकर इस ओर बैठने वाले साथी और उस ओर बैठने वाले साथियों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। अच्छा होता कि यह प्रस्ताव इस सदन में नहीं आता। कॉम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रस्ताव को सदन में रखा है इसके बारे में तो मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि उन्होंने सीधी भावना से ही सदन में रखा होगा, मगर इस प्रश्न के तीन पहलू मेरी समझ में हैं जिन पर सदन के माननीय सदस्य विचार करें। इस प्रस्ताव के तीन पहलू हैं, पोलिटिकल, इमोशनल और लीगल।

श्री कुमारानन्द अग्रवाल (ब्यावर) : पोलिटिकल है ही नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : हो सकता है कि माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है उनके दिमाग में इसका सियासी पहलू नहीं हो, पर सदन में बहस हुई है उसमें तीन पहलुओं पर चर्चा की गई है।

जहां तक सरकार से सम्बन्ध है, जहां तक इस प्रश्न के ऊपर इस सदन के इस ओर बैठने वाले लोगों से सम्बन्ध है हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करना चाहते जिससे कि हम आज से १२ साल पहले जिस राजस्थान का निर्माण हुआ था, राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले जो हमारे भाई और बहिन हैं उनकी तरक्की में या राजस्थान के

(श्री मथुरादास माथुर)

नव–नर्माण में किसी तरह की रुकावट आये। हम राजस्थान का-नव निर्माण चाहते हैं, राजस्थान का इमोशनल इन्टीग्रेशन, राजस्थान की एकता हो। हम राजस्थानी हैं और राजस्थान हमारा है; इस तरह की भावना धीरे धीरे गहरी हो। इस विचार से ही ही हमें इस प्रश्न को भी देखना चाहिये। सरकार के लिए बहुत सरल हो जाता अगर इस प्रश्न के ऊपर सब तरफ बैठने वाले साथी एक ही आवाज से बोलते और कोई बात करते। मगर प्रश्न यह पैदा होता है कि कुछ साथी इस प्रश्न को एक नुक्ते निगाह से देखते हैं, कुछ साथी कुछ दूसरे नुक्ते निगाह से देखते हैं। जब एक तरफ फैसला किया जाता है तो दूसरी तरफ हमारी यह जो एकीकरण की भावना है उसमें हम खतरा पाते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न जहां तक भारत सरकार से सम्बन्ध रखते हों, राजधानी कहीं बनती हो उस तरह का प्रश्न हो, हाईकोर्ट कहां बनता हो उस तरह का प्रश्न या कहां कहां डिपार्टमेंट्स किस तरह के हों, कहां कहां रखे जांय राजस्थान के बाहर दूसरे प्रान्तों में आप देख आइये कभी इस तरह के प्रश्न प्रस्तावों से हल नहीं होते। जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तो राजस्थान मुख्तलिफ रियास्तों में में बंटा हुआ था और बड़ी बड़ी रियासतें थीं; जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा इस तरह की बड़ी बड़ी रियासतें थी। हम सदियों से, सैंकड़ों वर्षों से उन रियासतों में रहते आये थे और हमारे अन्दर उन रियासतों के प्रति जो भावनायें थी आप हम सब एहसास करते हैं।

उस वक्त राजस्थान का निर्माण हुआ राजधानी कहां रखी जाय, हाई कोर्ट कहां रखी जाय और युनिवर्सिटी कहां रखी जाय, उस समय हम एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे। आखिर भारत सरकार को एक पटेल कमेटी बनानी पड़ी और उसने राजस्थान भर के मुख्य मुख्य स्थानों का दौरा किया और ४०–४२ पेज की रिपोर्ट राजस्थान सरकार को दी। उस पटेल कमेटी ने यह फैसला दिया कि राजधानी जयपुर में होगी, उसने यह भी फैसला दिया कि जोधपुर में हाईकोर्ट होगा, उसने यह भी फैसला दिया कि दूसरी रियासतों में जहां कि इमारतें और तामीरें मिलती हों वहां पर सरकारी महकमें रखे जावें, उसने यह भी फैसला दिया कि युनिवर्सिटी जोधपुर में रखी जा सकती है। उसने हाईकोर्ट के लिए 'में' शब्द और केपिटल के लिए 'शेल' शब्द काम में लिये थे। उस प्रकार रिपोर्ट आयी जो आज भी रेकॉर्ड पर मौजूद है। हमारे बहुत से साथी उस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। राजधानी जयपुर में बन गयी। जोधपुर में हाईकोर्ट का हैड क्वार्टर जरूर बना, उदयपुर आदि सब जगह बैंचें बनी उस वक्त इसका विरोध नहीं किया था। सब जगह हाईकोर्ट थी और बैंच बनी तो विरोध उस समय नहीं किया। अन्त में हल्के हल्के कुछ सियासी हालात ऐसे बन गये, वे बैंचें हट कर एक बैंच जयपुर में रह गयी। वह भी चलती रही। हल्के हल्के दुबारा प्रश्न हुआ अजमेर के इन्टीग्रेशन के वक्त। फिर यह मांग चली कि राजधानी अजमेर में हो, राजधानी न हो। हाईकोर्ट अजमेर में हो। इस मामले पर अजमेर सरकार और राजस्थान सरकार के बीच समझौता नहीं हो सका। इस

(श्री मथुरादास माथुर)

सदन के माननीय सदस्य जो मेरे बायीं ओर बैठे हैं उस समय अजमेर राज्य के मुख्य मन्त्री थे। इसके लिए फैसला उसी तरह से नहीं कर सके जिस तरह सन् १९४९ में राजस्थान के निर्माण के समय फैसला नहीं किया जा सकता था और इसलिए पटेल कमेटी का भारत सरकार ने निर्माण किया था। अजमेर सरकार ने उसी तरह से राजस्थान सरकार को लिख कर दे दिया कि पंतजी को इस सम्बन्ध में आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया जाय। इसके लिए मि० राव जो मद्रास के रिटायर्ड जज थे उनको मुकर्रर किया गया। राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों में वह कमेटी गई इस बात की छानबीन फिर करने के लिए कि हाई कोर्ट कहाँ रखा जाय, राजधानी कहां रखी जाय। हाई कोर्ट की बैंच रखी जाय या नहीं, ये सब मामले उस कमेटी के सुपुर्द थे, जो सदन के बयानात सदस्य जानते हैं। काफी छानबीन कर सैकड़ों लोगों के उस कमेटी ने बयानात लिये। भारत सरकार ने एक कमिशन नियुक्त किया था बड़े बड़े मामलों को हल करने के लिए कि हाई कोर्ट की बैंच यहां रखी जाय या नहीं, यह प्रश्न भी था। जयपुर के रहने वाले और जोधपुर के सब अच्छे वकील हैं जोधपुर की बार एसोसियेशन ने एक प्रस्ताव पास किया था कि युनिफाइड हाई कोर्ट जयपुर में होनी चाहिये यह जोधपुर बार एसोशियेशन का प्रस्ताव था। जयपुर में यदि युनिफाइड हाई कोर्ट न बन सके यहां पर बैंच रखी जाय। इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ था जोधपुर बार एसोसियेशन के द्वारा। श्री चिरंजीवलाल ने लॉ कमिशन के सामने बयान देते हुए वे ही दलीलें दीं, वोल्यूम ४ पर दो पेज की रिपोर्ट है, लाइब्रेरी एक होनी चाहिये, एफिशियेन्ट बार डेवलप्मन्ट होगा, एफिशियेन्ट बैंच होगी, हाई कोर्ट की रेपुटेशन होगी। उन्होंने ये बातें अपने बयानात में दी हैं। जयपुर के वकील गये थे और युनिफाइड हाई कोर्ट बनाये जाने के बारे में वहां के बार एसोसियेशन ने कहा था। ये सब बातें इसलिए रख रहा हूं कि कुछ पूर्व इतिहास को रख दूं। जब पटेल कमेटी ने इस बात का फैसला किया कि हाई कोर्ट जोधपुर में होगा, राव कमेटी ने भी यही फैसला किया। वह जगह जगह घूमी थी' उसने सैकड़ों लोगों के बयानात लिये होंगे, सैकड़ों मेमोरेन्डम होंगे और यह फैसला किया गया। जब राव कमेटी की रिपोर्ट आयी तो यह निर्णय करना हमारे लिये हो गया कि कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर किया जाय या नहीं। सदन में भी उस वक्त बहस चली। राजस्थान सरकार ने भी निर्णय किया और अन्त में यह कहा कि राव कमेटी को भारत सरकार ने मुकर्रर किया है इसलिए उसके फैसले को भी भारत सरकार के सामने छोड़ देना चाहिए। पंतजी को इसके लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राव कमेटी का फैसला लॉ कमीशन के बैकग्राउन्ड में हुआ था ?

श्री मथुरादास माथुर : यह निवेदन कर दूं कि उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। राव कमेटी बना दी तो उस वक्त लॉ कमिशन से कोई बात नहीं हुई। अजमेर के इन्टीग्रेशन के समय क्या उनको दिया जाय, मेरे बांई ओर बैठने वाले साथी मंजूर करेंगे कि हमने

(श्री मथुरादास माथुर)

अपनी ओर से पहले की राय जाहिर की थी कि अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड, डिवीजनल कमिश्नरी को वे मान लें और यदि मान लेते तो राव कमेटी का निर्माण हो नहीं हुआ होता। उन्होंने उसको नहीं माना तब भारत सरकार के पास जाना पड़ा। उसने सत्यनारायण राव कमेटी का निर्माण किया। यह हो सकता है कि सत्यनारायण कमेटी का फैसला गलत हो, कई माननीय सदस्यों ने इस पर टीका–टिप्पणी की है, यह बात दूसरी है। राव कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट भी भारत सरकार को पेश हुई। सारा मामला ही राजस्थान सरकार ने भारत सरकार पर छोड़ दिया। मैं निवेदन करूं कि जहां इस प्रकार के मसले कि सदन के एक तरफ के सदस्य एक तरफ हों और सदन के दूसरी तरफ के सदस्य इसके पक्ष में नहीं तो उस वक्त आर्बिट्रेटर के सम्मुख ही छोड़ दिया जाना उपयुक्त होता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पंतजी को आपने आर्बिट्रेटर के रूप में स्वीकार किया था क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : जब दोनों सरकारों के बीच यह तय नहीं हुआ तो भारत सरकार ने राव कमेटी का निर्माण किया जो इस सब मामले में रिकमन्डेशन भेजे। पंतजी को यह अधिकार था कि इसको मंजूर कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या पार्शियली रिजेक्ट कर सकते हैं। भारत सरकार को जो कुछ करना है वह करे। इसलिये ऐसे मौके पर पहले पटेल कमेटी बनी और दुबारा राव कमेटी बनी। जहां तक हाई कोर्ट के सम्बन्ध में फैसला किया उसके लिये भारत सरकार को जयपुर की तरफ से जोधपुर की तरफ से रिप्रेज़ेन्टेशन भेजे, उसके बावजूद भी यह रिपोर्ट पंतजी ने छ। सात महीने अपने पास रखी और उन्होंने इस रिपोर्ट की रिकमन्डेशन मन्जूर कर ली। इसी के फल स्वरूप ये चेन्जेज़ करने पड़े और जोधपुर में हाई कोर्ट कायम करना पड़ा।

कुछ लोग चाहते हैं सस्ते न्याय की दलील देकर जैसा कि उन लोगों का विचार है; मैं कहना नहीं चाहता, ठीक हैं या नहीं, हरएक को अपने अपने तरीके से सोचने का अधिकार है, लेकिन उससे दूसरे साथी यह सोचें कि वे जिस तरह से कहें उस तरह से ही हो तो यह हमारे लिये निर्णय करना कठिन हो जाता है। ऐसे मसले पर जो जजबात छिपे है उनको उभारना और उसके साथ साथ दूसरे मैटर्स मिलाना और आन्दोलन की धमकी देना, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा। इसलिये जैसा कि मैंने शुरू शुरू में ही निवेदन किया था इस प्रस्ताव के आने से पहले ऐसी भूमिका बनायी जाती, ऐसा वातावरण बनाया जाता जिसकी वजह से इस ओर बैठे हुए और उस ओर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य एक मत होते और जहां हाई कोर्ट अभी कायम है वहां के लोग भी इसे प्रेस्टिज का इश्यू न बनाकर इसे स्वीकार करते। लेकिन यह न होकर इसको एक प्रेस्टिज इश्यू बनाया गया और उसके लिये पुरानी बातें फिर से दोहराई गईं। यह भी कहा गया, जयपुर से आने वाले साथी इस समय नहीं हैं, उन्होंने कुछ इस

(श्री मथुरादास माथुर)

तरह की बातें कहीं, मैं उनका डिटेल्स में जबाब देना ठीक नहीं समझता। आप और हम सब जानते हैं, हम यहां विधान सभा में चुन कर आये हैं आपकी और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। हम ऐसा काम न करें जिसकी वजह से एक जगह और दूसरी जगह के बीच किसी प्रकार का वैमनस्य पैदा हो। ऐसी बातें कर हम जिसका फायदा करना चाहते हैं वह भी नहीं कर पाते। एक दफा हाई कोर्ट की बैन्च का फैसला तय किया गया उसमें राजस्थान की राजधानी और हाई कोर्ट कहां रहना चाहिये यह सब राव कमेटी द्वारा तय करवाया गया। अगर हम इन्हीं बातों का यहां फैसला करने लगे तो हो सकता है डिपार्टमेन्ट्स के बारे में भी यही कहा जा सकता है; जैसे शिक्षा का महकमा बीकानेर में बहुत दूर पड़ता है; हो सकता है उसके लिये भी प्रस्ताव आ सकता है कि वह दूसरी जगह ले जाया जाय। उदयपुर में माइन्स का विभाग है उसको भी अन्यत्र भेजने का प्रस्ताव आ सकता है। अगर हम इस स्थान को इस प्रकार के फैसले करने का स्थान बना लेते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसके लिये भी पचासों दलीलें आ सकती हैं।

सदन की परम्परायें भी हमें मिल कर बनानी है। ऐसे प्रस्ताव बहस और वोटों से तय नहीं हो सकते। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि हम यदि इस प्रकार की परम्परा का निर्माण कर सकें तो यह राजस्थान के एकीकरण के बदले राज्य के अन्दर हम डिस–इन्टीग्रेशन का निर्माण कर देंगे....

श्री सतीशकुमार (बानसूर) : इस परिस्थिति विशेष में लॉ कमीशन की रिपोर्ट जब कहीं भी मान्य नहीं की गई तो केवल यहीं के लिए मानने का क्या आधार है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य सन्तोष करें, मुझे बोलने दीजिये। मैं यह निवेदन कर रहा था, प्रस्ताव के जरिये से इस प्रकार के मसले को तय करने से हमें बचना चाहिये। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा इस प्रकार के मसले तय हो सकते हैं। अगर हम इस प्रकार के मसले सदन द्वारा तय करते हैं तो भविष्य में इसके क्या कॉन्सीक्वेन्सेज होने वाले हैं; इससे राज्य के एकीकरण पर क्या असर पड़ने वाला है उन सब बातों का खयाल रखना होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर): आप विश्वास तो दीजिये, हम प्रस्ताव नहीं चाहते। इस बारे में विश्वास तो दिलाइये।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : यह तो माथुर साहब का जिम्मा है, वे चाहें तो करा सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं खुद चाहता हूं कि इस तरह के मसले सर्व सम्मति से तय हों। विरोधी दल के नेता के भी यही विचार हैं। हम इसका स्वागत करते हैं कि यह सर्व-सम्मति से इजहार होना चाहिये। सर्व सम्मति के वातावरण बनाने का भी आधार होना चाहिये। भाषणों के अन्दर....

श्री मोहनलाल सारस्वत : वातावरण को जाने दीजिये, हमारा तो यह काम होना चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : We can create that atmosphere.

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझता हूँ कि यह जो प्रस्ताव है उसको यदि सर्व सम्मति से भी स्वीकार करते है तो हमें यह देखना होगा कि इससे सरकार के हाथ मजबूत होते हैं या क्या, यह भी देखना होगा कि इस तरह के प्रस्ताव के लाने से एक तरफ नाराजगी तो नहीं होती है....

महारावल **श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर)** : We do not want to pressthis issue unless we resolve it unanimously.

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार का एटीट्यूड क्या है ? इस क्लोज़ अप चेपटर को क्लोज अप ही मान कर चलते हैं या इसको ओपन भी करना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है यह तो भारत सरकार से निर्णय हो चुका है। इस मामले को री-ओपन करने की अगर सदन की इच्छा है तो सदन को यह देखना होगा कि क्या इस तरह का इस समय वातावरण है, क्या यह समय इसके लिये उपयुक्त है ? कहीं इस मामले को री-ओपन करने से राजस्थान के एकीकरण को मजबूत करेंगे या राजस्थान का डिस-इन्टीग्रेशन की ओर यह कदम होगा ? ये सब बातें हैं जिनको दिमाग में लेकर चलना होगा । कहीं यह तो महसूस नहीं होता कि यह प्रश्न लेने से सियासत तो नहीं बिगड़ेगी, एकीकरण को खतरा तो पैदा नहीं होगा, दुर्भावना तो पैदा नहीं होगी ? ये सब ऐसी बातें हैं जिनको सोचना होगा और उसके बाद देखना होगा कि जो चेप्टर क्लोज हो चुका उसको खोला जाय या नहीं....

एक माननीय सदस्य : केवल आप ही सोच रहे हों, यह बात नहीं, बाकी सदन भी यही चाहता है।

श्री मथुरादास माथुर : आप सोच सकते हैं, लेकिन सदन का निर्णय इस पर क्या है, यह अभी मालूम नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि मेरे प्रेडिसीसर ने एक नोट लिखा था उसी से सम्बन्धित एक चिट्ठी का जिक्र किया था। उसी को बीकानेर से आने वाले साथी ने कहा, ये सब बातें कही गई; यह ठीक है। जयपुर बार एसोसियेशन का एक रिप्रेजेन्टेशन मेरे प्रेडिसीसर के पास आया था। उन्होंने उस समय जो बात कही, हो सकता है वे इसको री कन्सीडर करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने हुक्म दिया। जहां तक मिनिस्टर्स ऑफ कोन्सिल का सम्बन्ध है यह मामला....

श्री सभापति : बढ़ाया हुआ समय समाप्त होने को है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We should extend it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रयसिंहनगर) : समय और बढ़ाया जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसके अलावा दूसरा गैर सरकारी प्रस्ताव भी है, यदि समय बढ़ाया गया तो उस प्रस्ताव के लिये दूसरा दिन निश्चित कर लिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अब इसके बाद में वही प्रस्ताव लिया जायगा।

श्री सभापति : यह समय आधा घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

(४. म. प.)

श्री मथुरादास माथुर : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह के प्रस्ताव को और इस तरह के डेलीकेट इश्यू को गम्भीरता से विचार करके अच्छे वातावरण को बना कर अगर कोई करना चाहते हैं तो प्रयत्न करें, वर्ना इस तरह के प्रस्ताव सदन में रखे जावें, उन पर चर्चा हो, कटुता बढ़े इससे न तो जो इस प्रस्ताव को रखने वाले हैं और जिस मकसद से रखा है वह हल होने वाला है; न सदन का वातावरण अच्छा बनने वाला है। राजस्थान के एकीकरण में भी इससे फायदा नहीं होने वाला है।

इसलिये मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा हो गई है, इस पर करीब करीब सब पहलू सदन के समक्ष आ चुके हैं और सदन की मुख्तलिफ रायें सदन के पास पहुंच चुकी है, तो अब वे अपने इस प्रस्ताव को वापिस ले लें। इसी में राजस्थान का हित है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय चैयरमैन महोदय, सदन के समक्ष........

श्री सभापति : माननीय (मुख्य मन्त्री):

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : चैयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है और मेरे पूर्व गृह मन्त्रीजी ने भी इसकी भूमिका के बारे में अपनी बात इस सदन के समक्ष प्रस्तुत की है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो सदन इस बात को पूरी तौर से अनुभव करे कि राजस्थान में चाहे हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे राजधानी का हो चाहे कुछ विभागों के फैसले हों, ये एक इन्टीग्रेशन के प्रोसेस के अन्दर फैसले लिये गये है। और जो भी फैसले लिये गये उस सम्बन्ध में सबसे पहले जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस मौके पर पटेल कमेटी को मुकर्रर किया गया। इस वजह से कि राजस्थान में विभिन्न विचार धाराएं थीं, चाहे फिर वे राजधानी के प्रश्न हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे और प्रश्न हों और पटेल कमेटी ने सारी बातों को सुन कर, जो भी फैसले दिये, कइयों को पसन्द आये, कइयों को नहीं आये, उनके उपर एक अमल करने की बात आई।

मैं समझता हूं कि उस वक्त न तो कमीशन की बात थी, न कोई और बात थी, पर उस पटेल कमेटी ने यह निर्णय उस समय दिया कि हाई कोर्ट जोधपुर के अन्दर रहेगी। उसके बाद दुबारा यह सवाल तब खड़ा हुआ जब अजमेर और राजस्थान का एकीकरण का प्रश्न आया। अजमेर की तरफ से इस बात को रखा गया कि अजमेर एक केन्द्रीय स्थान है, इसका महत्व रहा है, इसलिये युनिफाइड हाई कोर्ट अजमेर के अन्दर होना चाहिये। जैसा अभी आपको हमारे लॉ मिनिस्टर बतला चुके हैं कोशिश की आपस में कि किसी फैसले पर पहुंच पावें, नहीं पहुंचने की हालत में दोनों राज्य सरकारों ने इस मसले को भारत के होम मिनिस्टर के पास, जिसे कि एक तरह से पंच फैसला कहें उसके लिये हमने उनको यह मसला सुपुर्द किया। मैं ऐसा समझता हूँ कि जहां राजनैतिक दृष्टि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से वाद-विवाद खड़े हों, हम लोगों को यह निर्णय करना होगा और इस बात को लक्ष्य में रख कर चलना होगा कि जहां ऐसे वाद-विवाद हों आखिर उसका फैसला कैसे हो। उसका फैसला अगर हम बहुमत के जरिये सदन में करने लगें तो इसके अन्दर बहुत सी पेचोदगियां होंगी हर फैसले पर पेचीदगियां आवेंगी। अगर हम इसका फैसला किसी एक व्यक्ति पर छोड़ दें तब भी पेचीदगियां हैं। इसलिये आम तौर से यह समझा जाता है कि हाई पॉवर कमेटी ऐसे मामलों पर मुकर्रर हो और यह सारे मसलों पर सोच कर जो कुछ फैसला दे उस पर हम अमल करें।

जहां तक हाई कोर्ट का प्रश्न है, राजस्थान में जिस वक्त कि राव कमेटी मुकर्रर हुई, जयपुर में बैंच थी और जोधपुर में हाईकोर्ट की सीट थी जैसा कि जिक्र जयपुर से आने–वाले माननीय सदस्य ने किया कि मैंने उस कमेटी के सामने यह कहा कि जो कुछ स्थिति है उसे ही चलाना उचित है; मतलब जयपुर में बैंच रहे और जोधपुर के अन्दर हाई कोर्ट की सीट रहे। इस स्थिति के बारे में मैंने समर्थन किया, यह सही है। यह उस रिपोर्ट में भी दिया हुआ है कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन यह सही होते हुए भी जो कमेटी मुकर्रर हुई उस कमेटी ने मेरी राय को जानते हुए भी और औरों की राय जानते हुए भी वह उस निर्णय पर पहुंची कि नहीं युनिफाइड हाई कोर्ट होना चाहिये और मुझे क्षमा करेंगे इसमें उस वक्त जयपुर के बार में भी जो श्री चिरन्जीलालजो अग्रवाल थे उन्होंने अपनी तरफ ये युनिफाइड हाई कोर्ट होना चाहिये; सिद्धान्ततः इस बात पर जोर दिया और यह कहा कि वे भी इस पक्ष में हैं कि राजस्थान में युनिफाइड हाई कोर्ट होना चाहिये, और वह युनिफाइड हाई कोर्ट जयपुर में होना चाहिये जोधपुर से हटा कर। मुझे क्षमा करेंगे युनिफाइड हाई कोर्ट की भावना केवल कमेटी के विचार से ही नहीं, बल्कि उसकी बात स्वंय यहां के विचारों से भी मिली और इसके बाद जब युनिफाइड हाईकोर्ट रखने का दिमाग बना तो इसके बाद मैं यह समझता हूँ कि शायद स्वाभाविक तौर से जो पहले राजस्थान का इन्टीग्रेशन हुआ और इस इन्टीग्रेशन में जोधपुर में हाई कोर्ट के बारे में एक फैसला हुआ उस फैसले से अगर कोई रदोबदल करने की बात आ सकती थी तो अजमेर को वजह से, अजमेर में क्या किया जावे, इसकी वजह से, आ सकती थी। पर जोधपुर से बिल्कुल उठा दिया जावे, यह दूसरे मौके पर स्वाभाविक तौर से प्रश्न नहीं जुड़ सकता। पर वह प्रश्न इस वजह से भी कुछ उलझा और अन्त में जाकर उस कमेटी ने अपनी राय दी कि हाई कोर्ट युनिफाइड होना चाहिए।

अब जो युनिफाइड होना चाहिये वाली बात को हम लॉ कमीशन की राय के साथ जोड़ने की बात लेकर चलते हैं। वह जैसा कि अभी आपको बतलाया गया, उस हद तक उसका असर हो सकता है मेम्बरों के दिमाग पर, क्योंकि उनमें से जो राव साहब थे लॉ कमीशन के भी मेम्बर थे। पर यह जो निर्णय लिया गया है वह अजनेर के एकीकरण की वजह से उस भूमिका के आधार पर इस निर्णय को लिया गया है। क्योंकि उस कमेटी को केवल हाई कोर्ट का मसला ही नहीं सौंपा गया, इस कमेटी ने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पी. एस. सी. के बारे में भी, रेवेन्यू बोर्ड के बारे में भी और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के बारे में भी अपनी राय जाहिर की कहां पर क्या होना चाहिये, क्या नहीं। इसलिये लॉ कमीशन के साथ ही इस प्रश्न को जोड़ना उपयुक्त नहीं हो सकता। उस भूमिका में ये सारे निर्णय लिये गये।

अब यहां बैंच नहीं होने की वजह से लिटिगेन्ट पब्लिक की जो दिक्कतें हैं या दूसरे प्रश्न हैं, यह प्रश्न एक अलग है। इन प्रश्नों के बारे में सोच कर इनका रास्ता निकले, सरकिट कोर्ट हों, इसके बारे में सोच विचार हो, मैरिट्स की दृष्टि से भी सोच विचार हो क्योंकि मैं इतना निश्चित तौर से मानता हूं, चैयरमैन महोदय, कि इस पर जो भी निर्णय हो वह निर्णय मैरिट्स पर होना चाहिये, भावनाओं पर केवल नहीं हो जाना चाहिये। क्योंकि हम यह चाहते हैं कि राजस्थान का हाई कोर्ट किसी भी माने में दूसरी स्टेटों के हाई कोर्ट के मुकाबले में स्टेटस के लिहाज से इन्फीरियर साबित न हो, हर प्रकार से उसका स्टेटस पूरी तौर से कायम रहना चाहिये और उस दृष्टिकोण से जो भी निर्णय हो सोच विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिये।

मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आज परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सदन के द्वारा प्रस्ताव पास करना एक दूसरी चेन का रीएक्शन शुरू करना होगा और वह उचित नहीं होगा। उचित यह होगा कि इस प्रश्न पर जहां भी सम्बन्धित व्यक्ति हैं और जिन लोगों पर इसकी प्रतिक्रिया होती है, जिन लोगों पर इसका असर होता है उनके साथ भी बात की जाये और बातचीत करके ऐसा मार्ग निकाला जाये कि जिस मार्ग से लोगों की दिक्कतें भी दूर होने के रास्ते निकल सकते हैं तो वे सोचे जायें और साथ साथ जैसा मैंने निवेदन किया कि हाईकोर्ट का स्टेन्डर्ड अच्छे से अच्छे ढंग का रहे, वह भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूँगा उन माननीय सदस्यों से कि जिनने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है कि उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए सब मिलकर प्रयत्न करें और उसके बाद एक कॉमन कन्सेन्ट से हम कोई फैसला करें तो वह राजस्थान के हित के अन्दर होगा, बजाय इसके कि जैसा मैंने निवेदन किया कि इस फैसले से दूसरे री-एक्शन की चेन के शुरुआत की बात करें। उस भूमिका में मैं निवेदन करूंगा और आशा करता हूँ कि वे अपना प्रस्ताव वापिस लेकर सदन की रायों में बांटने की जरूरत नहीं समझेंगे और आपस में बातचीत करके उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए सब लोग मिलजुल कर प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : मूवर ऑफ दी मोशन उत्तर देंगे।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमें विश्वास दिलाया है, उस विश्वास से मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ। साथ ही; मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच रखने के मामले में मुख्यमंत्रीजी विचार करें।

श्री सभापति : क्या यह सदन की मंत्रणा है कि स्वामी कुमारानन्दजी ने जो

(श्री सभापति)

प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसे वापिस लेने की आज्ञा दी जाये ?

(स्वीकृत)

स्वामी कुमारानन्दजी अपना प्रस्ताव वापिस लें।

श्री कुमारानन्द : (ब्यावर) मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : नैक्स्ट मोशन। श्रीविजयसिंह झाला.

(४.१० म. प.)

नाथद्वारा टैम्पल एक्ट, १६५६ को रद्द करने सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखता हूँ कि नाथद्वारा टैम्पल एक्ट, १६५६ रद्द हो, क्योंकि नाथद्वारा मन्दिर एक पुष्टिमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय का मन्दिर है और इस एक्ट के बनने से पुष्टीमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय के मूल सिद्धान्तों का हनन हुआ है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो एक्ट बना वह सदन की राय में रद्द होना चाहिए। पुष्टीमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय के आज भारतवर्ष में करीब ३ करोड़ सदस्य हैं और इस सम्प्रदाय के अनुसार जो प्रतिमा होती है उस प्रतिमा की पूजा आचार्य की भावनाओं के अनुसार होती है और जैसा आचार्य चाहता है उसी भावना के अनुसार अपनी प्रतिमा की पूजा करता है। वल्लभाचार्य ने जब इस सम्प्रदाय को चलाया तब से जो प्रतिमा उनको मिली वही प्रतिमा उनके वंश में जो नाथद्वारा में हैं, परम्परागत चली आ रही है और वल्लभाचार्य के वंश में जो बड़ा लड़का होता है उसी बड़े लड़के के पास आज तेरवी पीठ तक यह मूर्ति एक निजी निधि के रूप में चली आ रही है और जो आचार्य होता है वह वात्सल्य भावना से उसको पूजा करता है। वात्सल्य भावना के अनुसार जो उसकी रुचि होती है उसी प्रकार उसे श्रृङ्गार कराता है, उसकी सेवा करता है उसकी भावनाओं में इस एक्ट के अनुसार किसी प्रकार की बाधा पहुँचे, यह वैधानिक नहीं है क्योंकि जो दूसरे वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी हैं वे आचार्य को प्रधान मानते हैं और जब दीक्षा लेकर किसी दूसरी मूर्ति की पूजा करते हैं तो वह उनकी गुरु की भावना मान कर पूजा करता है। आचार्य की प्रधानता उसमें है और इस एक्ट के बनने के बाद इस सम्प्रदाय की जो मुख्य भावना है आचार्य प्रधान की उस भावना को ठेस पहूँचती है। साथ ही साथ पुष्टीमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय के जो मूल दूसरे सिद्धान्त हैं उन सिद्धान्तों में भी इस एक्ट के बनने के बाद बाधा पहुंची है।

मैं एक एक करके उसके उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो वहां का मुख्य सेवक होता है या जो अन्य सेवक होते हैं जो नाथद्वारा में आज से करीब ३८६ वर्ष पूर्व श्रीनाथजी के साथ वृजवासी के रूप में गये थे उनके साथ चले गये। वे उनके घर के सेवक के रूप में थे और जो मुख्य सेवक होता है वह आचार्य की आज्ञा से नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस टेम्पल एक्ट के होने के बाद में मुख्य सेवक को बगैर आचार्य की आज्ञा के परिवर्तन करके एक

(श्री विजयसिंह झाला)

दूसरा लड़का रखा जो कि सेवा की पूरी परिपाटियों को नहीं समझता। साथ ही अभी ८ जून, १६६० को यहां पर अन्नकूट का एक रसोईघर है उसकी कोठी में एक आदमी मर गया था। इस वैष्णव सम्प्रदाय की परम्पराओं के अनुसार जब तक उस स्थान की शुद्धि नहीं होती तब तक श्रीनाथजी की पूजा नहीं होनी चाहिए थी लेकिन उस शव को एक कोठरी में बन्द कर दिया गया और श्रीनाथजी की सेवा की गयी और इस बात को छिपाने की कोशिश की गई कि इस शव का पता नाथद्वारा की जनता को या पुष्टीमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय के लोगों को नहीं चले। इस बात को दबाने की कोशिश की गयी। इसके बाद जब इस बात का पता चला तो आचार्यों का एक कमीशन बैठा और उस कमीशन ने यह फैसला किया कि जो शव वहां कोठी में मरा हुआ मिला उसके अनुसार इस मन्दिर की शुद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन उस सम्प्रदाय के अनुसार उस मन्दिर की शुद्धि आज दिन तक नहीं हुई।

इसी प्रकार श्रीनाथजी की जो सेवा है उसमें भी इस एक्ट के बनने के बाद किस प्रकार अव्यवस्था धीरे २ बढ़ती जा रही है, यहां तक कि जो श्रीनाथजी को भोग चढ़ाया जाता है उसमें बिल्ली का भिष्टा मिला हुआ था। तो यह समझ में नहीं आता ....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : आपके कहने में कोई तथ्य हो या नहीं, लेकिन वैष्णव सम्प्रदाय को उद्विग्न करने का जरूर प्रयास कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वैष्णव सम्प्रदाय इस बात से नाराज है कि वह चीज़ यहां मिली है।

श्री विजयसिंह झाला : जो सेवा होती है श्रीनाथजी की, तो उनके अनुयायी ही उन भावनाओं तक जा सकते हैं। वे ही इस आचार्य, इस प्रतिमा में उन भावनाओं को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। एक कानून के द्वारा किसी मूर्ति की पूजा कराना कोई एक वैधानिक कदम नहीं माना जा सकता है।

इस एक्ट के बनने के बाद श्रीनाथजी के कृष्ण भंडार में अव्यवस्था हुई। इससे पहले जो वहां के अधिकारी थे वे खाली २००) रु० में काम करते थे और वे सारी सुव्यवस्थित व्यवस्था रखते थे। एक्ट बनने के बाद में एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर को रखा है जिसका १,५००) रु० माहवार का खर्चा है, उसके बाद भी वे मन्दिर की पूरी व्यवस्था नहीं रख सकते।

इस एक्ट के बनने के बाद में श्रीनाथजी के काम में आने वाले कई गहने गायब हुए हैं, जिसके ३-४ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सिकोरी काण्ड को लेता हूं। सिकोरी काण्ड में यह है कि एक सोने का प्याला था जो कि रत्नजड़ित था, जिसकी कीमत ७०,०००) रु० थी और जो ६८८ तोला सोने का था। जिस वक्त वह इस मन्दिर को प्रेजेन्ट किया गया था उस वक्त कीमत आंकी गई थी और जिस एक्सपर्ट ने इसकी कीमत आंकी थी उसने इसकी कीमत ७०,०००) रु० कूंती थी। उसके बाद में जब सरयूप्रसाद आयोग वहां गया और सामान के वेलुएशन की जरूरत हुई तो सिकोरी की कीमत

(श्री विजयसिंह झाला)

फिर ७०,०००) रु० आंकी गई थी। लेकिन अकस्मात इसके बाद में करीब ७-८ महीने पहले यह कहा जाता है कि वह सिकोरी जो ७०,०००) रु० की कीमत की थी और जिसको आयोग के सामने आंका गया था वह तो चांदी की है। इस पर केवल सोने का झोल था और ७०,०००) रु० के बजाय २-३ हजार की रह गई। मैं नहीं समझता हूं कि जिसकी कीमत ३-४ बार आंकी गई हो वह सोने की सिकोरी एकदम चांदी की कैसे बन जाती है?

इसी प्रकार से एक हीरे का कण्ठला जो कि श्रीनाथजी के पहनने का है उसका एक तेवटा गुम गया है, जिसकी कीमत १०,०००) रु० की है, लेकिन उसकी कोई जांच अभी तक नहीं हुई है।

साथ ही साथ एक हीरे के चौखटे का दागीना भी गुम हो गया है जिसकी कीमत करीब दो हजार की है।

आज दो सालों में इस प्रकार से श्रीनाथजी के गहने गायब होते रहे और हमारे टेम्पल एक्ट के अधिकारी हैं जिनकी वजह से; काम कुछ नहीं है लेकिन खर्चा ज्यादा से ज़्यादा बढ़ा है, चुपचाप बैठे हैं। ये सारी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि जिनकी वजह से श्रीनाथजी का जो एक भंडार था वह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कृष्ण भंडार जिसको 'खर्च भंडार' भी कहा जाता है, वहां पर जितना सामान था, जितना सोना चांदी था वह खत्म हो रहा है। वह खाली हो गया है, क्योंकि पुष्टिमार्गी सम्प्रदाय के लोग यह मानते हैं कि जब तक आचार्य की भावनाओं के साथ इस मन्दिर की पूजा नहीं होती है तब तक उनकी जो श्रद्धा है उसकी पुष्टि नहीं होती है। वह श्रद्धा कम हो गई है। इसीलिए आज दो साल हो गये श्रीनाथजी के समक्ष किसी भी वैष्णव ने दीक्षा नहीं ली है जिसके कारण जो हजारों, लाखों की भेंट आती थी पुष्टिमार्गी अनुगामियों से वह सारी की सारी अब नहीं के बराबर है और दूसरी जगहों पर कमेटी बनाकर भेंट रोक ली गई है। ऐसी स्थिति में जो निजी खजाना था कृष्ण भंडार, उसमें से वह खर्च किया जा रहा है।

जहां तक गौशाला का प्रश्न है, उस गौशाला में से इसी वक्त ३०० गायें मर गई हैं। मैं नहीं समझता कि गायों का रोग टैम्पल एक्ट के अधिकारों के साथ में आया था। २००० के करीब उसमें गायें थीं वहां अब केवल ६०० के करीब ही रह गई हैं और परिस्थिति यह पैदा हो गई है कि श्रीनाथजी के लिए जो भोग चढ़ाया जाता है उसके लिए दूध बाजार से लाया जाता है और जो मक्खन श्रीनाथजी के भोग में दिया जाता है वह मक्खन, घी को दही में डालकर वापस मक्खन के रूप में बना कर लाया जाता है। इस प्रकार से जो पुरानी परिपाटी है, सेवा की सुव्यवस्था है वह सारी व्यवस्था इस एक्ट के बाद बदल गई है और साथ ही साथ खर्चा बढ़ा है और जो गहने-दागिने हैं वे धीरे धीरे सारे के सारे गायब होते जा रहे हैं।

जहां तक श्रीनाथजी के साथ में आये हुए बृजवासियों का सवाल है, उन बृजवासियों को डेढ़ मन अनाज और २) रु० सालाना दिया जाता है, क्योंकि वे गोस्वामीजी यानि आचार्य के निजी सेवक माने जाते हैं। वे

(श्री विजयसिंह झाला)

१।। मन अनाज लेकर व्यवस्थित रूप से काम करते थे। उनमें भी एक प्रकार से असन्तोष है, क्योंकि उनका सम्बन्ध सीधा गोस्वामीजी से नहीं होकर अब एक ऐसे अधिकारी से है जो कि स्वयं वैष्णव नहीं है। उन बृजवासियों को बाजार से सड़ा गला अनाज लेकर दिया जाता है जिससे उनमें पूर्ण रूप से असन्तोष है।

साथ ही साथ जो छात्रवृत्तियां मिलती थी उनके लड़कों को, आज से ३–४ साल पहले जितने भी बृजवासी विद्यार्थी पढ़ते थे तो महाराज उनको छात्रवृत्तियां देकर पढ़ाते थे, आज वह सहायता जो टेम्पल बोर्ड के निजी नौकर हैं उन नौकरों के लड़कों को दी जा रही है।

इस प्रकार से सारी परिस्थितियां पैदा होने से मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सुन्दर व्यवस्था जो आज से ५०० वर्ष पूर्व से चली आ रही थी उस व्यवस्था में किसी प्रकार से रद्दोबदल की आवश्यकता नहीं थी। जितने भी वहां के कर्मचारी लोग थे वे जितनी जिम्मेदारी से काम करते थे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उतनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेज़री बैन्चेज़ के सदस्य भी नहीं करते हैं। ३–४ बार फोन किया जाता है तो आवाज मिलती है कि अभी साहब सुख फर्मा रहे हैं। मैंने गृह मन्त्रीजी के गृह पर फोन किया था तो आवाज मिली कि अभी सुख फर्मा रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक विधायक दुःख देखने के लिए आया है, लेकिन मज़बूर होकर वह उनके सुख में दखल देता है तो कम से कम एक विधायक का फोन आये तो उसको रिसीव किया जाय। कल शाम को मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी के यहां फोन किया था साढ़े ९ बजे जनसंघ के कार्यालय से, हुए हैं। मैं नहीं समझता कि........

तो फोन के रिसीवर ने कहा कि वे अभी पोढ़े

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): आप आधी रात को फोन करते होंगे।

श्री विजयसिंह झाला: मैंने करीब साढ़े नौ या १० बजे किया होगा। अगर नौ बजे ही पोढ़ जाते हैं तो समय बता दिया करें तो ९ बजे से पहले फोन किया करेंगे। तीन तीन मंत्रियों को फोन करते हैं तो तीनों जगह से जवाब आता है कि उनकी तबियत खराब है। मैं नहीं समझता कि तीनों मंत्रियों की तबियत साथ साथ कैसे खराब हो जाती है? तो, सभापतिजी, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम एक विधायक का फोन आये, अपने फोन रिसीवर को कह दें कि जब किसी विधायक का फोन आये तो एक मिनट जरूर बात करें। ज्यादा तकलीफ हम उनके सुख में नहीं डालेंगे।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय चेयरमैन, यदि माननीय सदस्य ने टेलीफोन किया होगा और यदि बाहर से कोई ऐसा जवाब मिल गया हैं तो मुझे खेद है। आपको तसल्ली दिलाता हूं जिस वक्त भी आप चाहें, बीमारी तो किसी के हाथ की बात नहीं है, मुख्य मन्त्रीजी कल बीमार थे और आज भी हैं, हम चाहते हैं कि कोई बीमार न पड़े, कुदरत का खेल अलग है। सदन के माननीय सदस्य किसी भी वक्त आ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, समय का हम खयाल नहीं करेंगे, आप मिल सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला: मैं मन्त्रीजी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि दूसरे मन्त्रीजी भी सीखेंगे और कभी विधायक

(श्री विजयसिंह झाला)

का फौन आयेगा तो अपने सुख को छोड़ कर विधायक की अर्ज सुनेंगे ।

तो कहने का तात्पर्य यह है कि कैसी सुन्दर व्यवस्था थी श्रीनाथजी के मन्दिर की जो गुजरे ५०० वर्षों से इसी तरह चली आ रही थी, अमुक दिन इस तरह का 'शृंगार' होना चाहिये या इस तरह का भोग लगना चाहिये और उसी तरह से होता था । यह सुन्दर व्यवस्था थी । आज भी तानसेन के पद गाये जाते हैं तो गायक लोग नीची गर्दन करके गाया करते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि गुजरे ५०० वर्षों पहले की जो परिपाटी थी उसको छोटे छोटे अधिकारी भी निभाते थे । लेकिन अब किस प्रकार की व्यवस्था श्रीनाथजी के मन्दिर की है ? साथ ही साथ नाथद्वारा नगर का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी भी वहां के नागरिक होने के नाते उसकी ताईद करेंगे कि नाथद्वारा नगर को इससे आघात पहुंचा है । इसलिये कि वहां पर जो वैष्णव हजारों की संख्या में आया करते थे उन्होंने इसलिये आना बन्द कर दिया कि महाराजश्री वहां पर नहीं रहते । मैं नहीं चाहता कि मंदिर से महंतजी हट जावें या वहां पर मर्यादा नहीं रहे, लेकिन वहां की व्यवस्था पहले से बदतर है ।

नाथद्वारा में हजारों रुपयों का व्यापार पहले पुष्टिमार्ग के वैष्णवों के आधार पर होता था । लाखों रुपये बाहर से आनेवाले वहां पर खर्च करते थे । वहां पर जो बड़ी बड़ी सार्वजनिक बिल्डिंग्ज़ बनी हुई हैं वे वहां के आदमियों द्वारा बनवाई हुई हैं, ऐसी बात नहीं है । सारे के सारे बाहर से आनेवाले वैष्णवों के द्वारा बनवायी गयी हैं । इसी प्रकार जब वैष्णवों का आनाजाना बंद हो गया तो वहां के व्यापार को नुकसान हुआ । व्यापारियों को नुकसान हुआ है नागरिकों को नुकसान हुआ है और वहां के बृजवासियों को नुकसान हुआ है । वहां की सारी प्रगति धीरे धीरे कम होती जा रही है । इन सारी बातों को सामने रखते हुए निवेदन करूंगा कि न तो इससे नाथद्वारा की जनता को फायदा है और न और किसी को । साथ ही साथ पुष्टिमार्ग के वैष्णव संप्रदाय के सिद्धान्तों को यह हनन करने वाला है और श्रीनाथजी की सेवा में अव्यवस्था हो रही है । गहनाघर के गहने खाली होते जा रहे हैं, जैसा कि ७०,००० का सिकोरी का कान्ड सामने रखा । इस प्रकार की कई बातें हैं जिसके कारण टैम्पल एक्ट, १६५६ को रद्द फरमाया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सभापतिजी, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमें खेद है कि हमारी पार्टी ऐसा महसूस करती है कि जिन भावनाओं को लेकर माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव को रखा है, जो शुद्ध भावनाएं वैष्णव समाज की या उन अन्य लोगों की जो इस श्रीनाथजी के मन्दिर में विश्वास रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, जिन महान भावनाओं को लेकर इस मन्दिर में वे दान देते हैं, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव उन्हीं भावनाओं का आदर नहीं करता बल्कि यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय और मौजूदा कानून जो इस मन्दिर के ऊपर नियंत्रण रखने के लिये, उसका मुकाबला करने के लिये, उस पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कुछ कंट्रोल रखने के लिये बनाया गया है, उसको हटा दिया जाय तो हम महसूस करते हैं कि इस मंदिर का जिस प्रकार का पिछला इतिहास है, इस मंदिर के मौजूदा तिलकायत जिनके बारे में जिस प्रकार की चर्चाएं हैं स्वयं वैष्णव समाज में, तो इस प्रकार का कंट्रोल हटा देने से वे धार्मिक भावनाएं, जिन भावनाओं से आम आदमी प्रेरित होकर इस मंदिर में दान देते हैं, पूजा करते हैं, मैं समझता हूं उन भावनाओं का आदर नहीं होगा। इस दृष्टिकोण को लेकर हम यह रूख रख रहे हैं, लेकिन मौजूदा कानून, यदि इसमें कमियां हों तो उनको दूर करने के लिये कोई प्रस्ताव आवे या मौजूदा कमेटी है उसमें संशोधन करने के लिये या उसका पुनर्निर्माण करने के लिये कोई प्रस्ताव आता तो हम उसका सहर्ष समर्थन करते। जब हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आज जिस प्रकार का मैनेजमेन्ट इस कमेटी द्वारा इस मंदिर का चलाया जा रहा है उससे हमें संतोष है, या उसमें कमियें किसी प्रकार की नहीं हैं। लेकिन हम यह अवश्य महसूस करते हैं कि पिछले दिनों जो कान्ड हुआ, सारे राजस्थान में जिसकी चर्चाएं चलीं, जिस सम्बन्ध में बड़ी बड़ी कमेटियां बनी, बड़े बड़े लोगों ने उसकी जांच–पड़ताल की और उसके बाद यह कानून बना और इस कानून की तहत यह महसूस किया गया कि इस पर कुछ कंट्रोल होना आवश्यक है, इसकी देख भाल करना आवश्यक है और इसलिये यह कानून आया है।

सभापति महोदय, लोगों की धार्मिक भावनाओं का हमें आदर अवश्य करना चाहिये। और मैं समझता हूँ कि उसके लिये यह जरूरी है कि इस प्रकार इस कमेटी की देख–भाल, उसका इन्तजाम इस प्रकार का हो कि जो इस मंदिर की सम्पत्ति है, पूजा में जो भी धन आता है उसका सदुपयोग किया जाय। उसका इस प्रकार से उपयोग किया जाय कि समाज को लाभ मिले। गरीब लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, शिक्षा संस्थाओं के लिये इस मंदिर की सम्पत्ति का सदुपयोग किया जा सकता है। इस मंदिर की संपत्ति का सही तरीके से इन्तजाम करके बच्चों को दूध पिलाने के लिये इस संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी बड़ी भावनाओं से प्रेरित होकर इस मंदिर में लोग कीमती दान देते हैं। उन लोगों की जो अच्छी अच्छी भावनाएं हैं जिनके कारण अपनी संपत्ति से पैसा बचा कर समाज के लिये दान इसलिये देते हैं कि समाज के और लोगों के लिये काम आ सके, उनकी धार्मिक भावनाएं जागृत हो सकें; दिमाग से महानता की ओर जा सकें, इस भावना से पैसे का उपयोग हो।

अध्यक्ष महोदय, कानून के बिल्कुल रद्द होने से, जैसा कि प्रस्ताव कहता है, वह मकसद पूरा नहीं होगा; बल्कि वह मकसद डिफीट हो जायेगा। सभापति महोदय, हमारे इस मंदिर का भी एक इतिहास है। मैं समझता हूं, इस बात को सभी जानते हैं कि यह मंदिर न केवल राजस्थान बल्कि सारे भारत का सबसे ज्यादा संपत्तिवाला मंदिर कहा जाता है और जिस प्रकार की चर्चाएं इस मन्दिर के सम्बन्ध में, इस मन्दिर के जो मौजूदा तिलकायत हैं, उनके सम्बन्ध में सुनी जाती थी, व वैष्णव समाज में इसके बारे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में जो भारी असंतोष हुआ, और उस असंतोष के कारण इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इस पर कुछ देखभाल करने की जरूरत है

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय,कुछ थोड़ा समय लूंगा, पांच मिनट ।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करदें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि इस मन्दिर के सम्बन्ध में एक घटना १९५७ में अचानक घटी थी । इस मन्दिर में एक गहनाघर था । उसमें से एक बॉक्स को एक जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनकी मौजूदगी में बगैर किसी किस्म की कमेटी की इजाजत के खोल लिया गया और यह कहा जाता है कि उसमें जो जेवर थे, जो चीजें थीं, वे पूरी तरह से उसमें नही मिलो और उसके सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि उस बॉक्स को जिस दिन खोला उससे पहले दिन हमारे मुख्य मन्त्री उस मन्दिर में खुद दौरा करके आये थे और इस बात की चर्चा भी कुछ अखबारों में........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वार) : On a Point of Information. Sir, Judgment has been given by the High Court also.

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाई कोर्ट का जजमेंट इस सम्बन्ध में नहीं है । इस सम्बन्ध में एक इन्क्वायरी कमीशन बैठा । उस कमीशन की राय है। यह हो सकता है कि माननीय सदस्य उस कमीशन की राय से सहमत हों, लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, उस कमीशन की राय से पूरी तरह से हम सहमत नहीं हैं । हम समझते हैं, उस कमीशन ने यह राय कम से कम दी है कि उसमें राज्य सरकार ने इस तरीके से गलती की है । इस तरह की तो उस कमोशन ने रिपोर्ट दी है । उसके बाद सभापति महोदय, सन् १९५८ में यह तिलकायतजी दिल्ली जाते हुए अपनी एक कार में आमेर के पास पकड़े गये, जिसमें कि उस मन्दिर के सन्दूक थे जिनके अन्दर उस मंदिर के कीमती गहने थे और उसमें सरयूप्रसादजी, चीफ जस्टिस थे, जिनका कमीशन बना, उन्होंने इस बात को अपनो रिपोर्ट में कहा है कि सन्दूक के अन्दर कम से कम पांच, छः चीजें ऐसी थी जो मन्दिर की बहियों के अन्दर उस मूर्ति के नाम में दर्ज हैं, वे जवाहरात दर्ज हैं और जिनका पर्सनल तरीके से उन तिलकायत साहब का कोई ताल्लुक नहीं था और इस बारे में उस कमीशन की यह राय भी थी कि इस सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट को कोई कार्यवाही करनी चाहिये । बड़े अफसोस की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट ने, बावजूद कमीशन के इस कार्य के, कोई कार्यवाहो नहीं की और इसके सम्बन्ध में कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की, न कोई सिविल, दीवानी कार्यवाही की और जब मन्दिर के चेयरमैन श्री कृष्ण टाकरसी ने एफ. आई. आर. दर्ज करायी, तब गवर्नमेंट की पुलिस ने केस रजिस्टर किया बावजूद उस कमीशन की रिपोर्ट के, सरयू प्रसादजी की रिपोर्ट के कि पांच, छः चीजें कम से कम ऐसी हैं जो । टेम्पल की हैं, बावजूद इसके पुलिस ने यह कह कर उस केस को खत्म

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर दिया कि इसके अन्दर कोई ऐसी प्रोपर्टी नहीं मिली जिसको चोरी की चीज कहा जाय।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, इस बात की चर्चा आम तौर पर है कि खुद स्टेट गवर्नमेंट इन्ट्रेस्टेड है इस तिलकयात को इस तरीके से मन्दिर की चीजें देने में। खुद मुख्य मन्त्री-जी और भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर की इस बारे में अच्छी तरह से चर्चा की जाती है कि उन्होंने नाजायज तौर पर इसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, तिलकायत को...........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : There is a document over it. It has given a verdict in favour of both the persons and, therefore, he cannot go into the Nathdwara Enquiry Report.

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, कमीशन की रिपोर्ट, जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, का ही मैं भी जिक्र कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट में क्या क्या कहा इस बात का भी जिक्र किया है और मैंने अर्ज किया है कि बावजूद उस रिपोर्ट में इस बात को कहने के उस प्रोपर्टी में सात-आठ आइटम्स ऐसे थे उस पर स्टेट गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे क्या बात साबित होती है ?

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, इसलिए............

श्री सभापति : You have taken much time.

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इन बातों को कह कर मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री सभापति : Home Minister.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : थोडा इस प्रस्ताव का समर्थन करना है।

श्री सभापति : There is no time.

श्री भैरोंसिंह : पांच मिनट वे जवाब देंगे। पांच मिनट मैं बोलूंगा।

माननीय सभापति,........

श्री सभापति : Let him speak.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : Should I speak ?

श्री सभापति : Let him speak for five minutes.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने-वाले सदस्य ने नाथद्वारा टेम्पल एक्ट, १९५९ को समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय, अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस प्रस्ताव का विरोध किया और विरोध करने के साथ साथ उन्होंने एक बात यह भी स्वीकार की कि हम धार्मिक मामलों में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप हो, उसको उचित नहीं समझते। मैं उनके मुंह से इस प्रकार के

(श्री भैरोंसिंह)

शब्दों को सुन कर वास्तव में बहुत ही सुख का अनुभव करता हूँ। लेकिन मैं उनको यह बतलाना आवश्यक समझता हूँ कि अगर उनकी भावनाओं के अनुसार इस टेम्पल बोर्ड एक्ट को देखा जाय तो वे स्वयं यह महसूस करेंगे कि इस कानून के कारण धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप हुआ है।

सभापति महोदय, आज वैष्णव सम्प्रदाय का भी एक विधान है। उस विधान के अनुसार, जिसकी अपनी मान्यता है तो विधान और मान्यता जब एक साथ लोगों को प्रयोग में लाने के लिए एक रास्ता दिखाते हैं तो उस सारे रास्ते को ही वे अपना एक धार्मिक मार्ग समझ कर वैष्णव सम्प्रदाय में अपना विश्वास व्यक्त कर पाते हैं। आज इस टेम्पल बोर्ड एक्ट और वैष्णव सम्प्रदाय के इस धार्मिक विधान को, दोनों को, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो ऐसा लगता है कि धार्मिक विधान को हमारी सरकार ने किसी प्रकार का महत्व न देकर, एक कानून के रूप में लाकर उसको ओवर थ्रो करने की कोशिश की है। आज उसका परिणाम है कि जिस समय से यह कानून बना है, उस समय से यात्रियों की संख्या में कमी हुई है, मन्दिर में जितना डोनेशन आना चाहिए उसके अन्दर कमी हुई है, मन्दिर के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए अधिकारी की और बाकी के अलग भंडारों के मालिकों की उस व्यवस्था के अन्दर एक प्रकार की गिरावट आयेगी और उस गिरावट का, उस सारी अव्यवस्था का सारा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो इस धर्म में अपना विश्वास व्यक्त करना चाहते हैं। जब वे इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करते हैं और धर्म के, अपने विधान के अनुसार चलना चाहते हैं और आप उस विधान में हस्तक्षेप करने की चेष्टा करते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम धार्मिक भावनाओं में........

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : यह विधान, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लिखित है या किस तरह का है?

श्री भैरोंसिंह : लिखित है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सैंकड़ों वर्षों से है। आप जानते नहीं हैं तो इसमें क्यों पूछते हैं?

श्री भैरोंसिंह : इसके अलावा मैं कुछ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सरकार कहना चाहती है कि वह 'धर्म निरपेक्ष' में विश्वास करती है।। मैं समझा हूं कि सरकार का धर्म निरपेक्ष करना इस जरिये नहीं हो सकता क्योंकि वह दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप करने की चेष्टा करती है। सरकार किसी धर्म को स्वीकार न करे, यहां तक जो सवाल आता है, मैं सरकार के ऊपर यकीन करने को तैयार हूँ कि सरकार धर्म निरपेक्ष है। लेकिन उसके विपरीत चले और किसी धर्म में हस्तक्षेप करना चाहे तो वह उचित नहीं है। आज यह सामाजिक व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार भी अपने धर्म को स्वीकार करे, किसी प्रकार भी अपने धर्म का मार्ग अपनाये, किसी धर्म में आस्था रखे, उससे सरकार को लेना देना नहीं है। आज सरकार कानून बना कर इस धार्मिक

(श्री भैरोंसिंह)

विधान में हस्तक्षेप करने की चेष्टा करती है तो इसका मतलब यह है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था पर सरकार अपना हस्तक्षेप करके आधिपत्य करने की चेष्टा करती है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कानून बनने के बाद उसमें कई प्रकार की गल्तियें और ऐसी बातें नजर आई हैं जिसे सावधान हो कर उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह सारी चीज पैदा हुई जिससे वह आस्था जिसमें लोगों की धार्मिक भावना, जिस धार्मिक भावना से ओत-प्रोत होकर जो कार्य करना चाहिये था वह नहीं होता और जिससे नैतिक चरित्र को ऊंचा करना चाहिये वह न होकर इसके द्वारा नैतिक पतन का उल्लेख हमारे सामने आया है। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा और गृह मंत्री से यह निवेदन करूंगा खास तौर से कि आप गृह मंत्री होने के नाते इस बात का विश्वास दिलावें कि टेम्पल बोर्ड एक्ट के बनने के पहले वहां का खर्चा कितना था और उसके बाद मंदिर का खर्चा कितना बढ़ा और मन्दिर की व्यवस्था किस प्रकार की रही; ये आप आंकड़े दें तो आपको विश्वास होगा कि टेम्पल बोर्ड बनने के बाद उल्टा खर्चा ज्यादा होने लगा है; खर्चा ही नहीं, बल्कि नैतिक पतन भी होने लगा है और आमदनी में भी कमी हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा, नाथद्वारा कांड हुआ है, उसमें सारे खजाने के मामले को लेकर जितने अभी तक केसेज़ चलाये गये हैं उन सारे केसेज़ को टेम्पल बोर्ड के अधिकारियों ने मटियामेट करने की कोशिश की और सारे मामलों को मटिया-मेट कर दिया। उन्होंने कई वकीलों के घर भर दिये। अपने अपने आदमियों को केसेज़ में ४० हजार ५० हजार, का मेहनताना मिला है और नतीजा यह निकला कि जिस समय फैसला होने का स्टेज आया और जीतने की स्टेज आई उस समय पीछे हट गये। केवल अपने मित्रों के घर भरे और जीतने की स्थिति आई तो टेम्पल बोर्ड ने किस प्रकार बहाना बना कर नाथद्वारा के मन्दिर के पैसों का दुरूपयोग किया; यह कोई उचित बात नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री भैरोंसिंह : एक मिनट।

मैं सरकार से कहूँगा कि पहले सरकार अपने घर की व्यवस्था सुधार ले। पहले अपना घर ठीक कर ले उसके बाद में दूसरों के घरों को ठीक करने और प्रशासन को सुधारने की बात करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप अपना घर बिगाड़े हुए हैं और अब दूसरों के घरों को बिगाड़ने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं नाथद्वारा से आने-वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह नाथद्वारा का चक्कर है; इस सम्बन्ध में कोई भी बात कहें, होशि-

(श्री भैरोंसिंह)

यारी से कहें । लेकिन आपके मित्र पहले बिना सोचे-समझे, बिना समझदारी की बात कह गये । यह वैष्णव संप्रदाय का मामला है, मन्दिर का और भगवान का मामला है । ये उनकी बद्दुआएं थी जिससे वे यहां पर नहीं आ सके । उनकी बद्दुआओं से आपको बचना है तो आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें । यह नाथद्वारा का मसला है, जिसके कारण आपको भविष्य में फलने-फूलने का अवसर प्राप्त हो ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है उस प्रस्ताव का समर्थन मैं नहीं कर सकता । मैं उन्हीं कारणों से समर्थन नहीं कर सकता जिस कारण से प्रस्तावक महोदय ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है । मैं प्रस्तावक महोदय की भावना की कद्र करता हूँ । वे नाथद्वारा के प्रतिनिधि हैं और वे चाहते हैं कि श्री नाथजी और नाथद्वारा की प्रोपर्टी का दुरूपयोग न हो । वे यह चाहते हैं कि धर्म पर किसी प्रकार का कुठाराघात न हो और हम भी यही चाहते हैं कि वहां के धन का दुरूपयोग न हो और धर्म पर किसी प्रकार का कुठारा घात न हो । इसका हमारे यहां पर पूरा पूरा अधिकार है । इसलिये हमने यह कानून बनाया था । हमने जो कानून बनाया उसकी भी भूमिका है । हम कानून नहीं बनाते, लेकिन तिलकायतजी की हमारे पास व केन्द्रीय सरकार के पास बहुत शिकायतें थीं । मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूँ कि तिलकायतजी महाराज के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, उनके बुजुर्गों के साथ भी ऐसा हुआ । जिस समय उनके बुजुर्गों के साथ हुआ उस समय राजस्थान सरकार नहीं थी । राजस्थान सरकार तो कुछ ही समय हुआ बनी है । नाथद्वारा में जो कुछ भी पैसा है वह जनता का है । राजस्थान की पब्लिक ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ प्रान्तों से आने-वाले लोग जो श्री नाथद्वारा में श्रीनाथजी में श्रद्धा रखते है लाखों और हजारों रुपये भेंट चढ़ाते हैं । पहले एन्डोवमेंट था उसको समाप्त किया । पहले की सरकार और अब की सरकार भी यही चाहती है और आशा रखती है कि वहां पर प्रोपर्टी का दुरुपयोग न हो और अगर आचार्य और वहां के लोग इस तरह की चेष्टा करें और धन का दुरुपयोग करें और अच्छा चरित्र न रखें जिससे कि नाथद्वारा में ही नहीं दूसरे, लोगों में विश्वास की जगह अविश्वास और ऐसी भावना पैदा हो जिससे राजस्थान और नाथद्वारा के भगवान् बदनाम हो; यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है । हमारी सरकार ही नही, राजस्थान के निर्माण होने पहले से उदय-पुर सरकार ने तिलकायतजी गोविन्दलालजी, दामोदरजी, गिरधरलालजी की मृत्यु के बाद....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : गिरधारीलालजी को इसलिये नहीं हटाया ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दामोदरलालजी को हटा कर आपको उनके पद पर कायम किया गया ।

श्री मथुरादास माथुर : कई अर्से तक इनकी शिकायतें राजस्थान सरकार के पास और भारत सरकार के पास आई कि वहां का

(श्री मथुरादास माथुर)

इन्तजाम जिस तरह से होना चाहिये, नहीं हो रहा है और ये शिकायतें उन लोगों ने की जो वैष्णव धर्म में विश्वास रखते हैं। हम ने सब तो बाकायदा एक कमेटी····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बास पुर) : आप वैष्णव समाज के लोगों की राय लेकर कोई ट्रस्ट क्यों नहीं बना देते ?

श्री मथुरादास माथुर : वैष्णव समाज की राय लेकर कमेटी बनाई, उसको काम नहीं करने दिया इसलिये दूसरी बनी····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप उसके साथ सरकारी ऑफिसरों को भी रखते और ऐसा ट्रस्ट बनाते जो इमानदार हो और अन्धाधुन्ध काम नहीं करे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अगर इसके लिए समय दिया जावे तो मैं बताने को तैयार हूँ कि वह जो कमेटी बनाई गई थी वह क्यों फैल हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं पहले जो कमेटी बनी उसके बारे में नहीं कहता, स्कीम ऑफ मेनेजमेंट बना। मैं यह निवेदन करना चहता हूँ कि जो कुछ भी कार्य किया गया वह under the pressure of public opinion था। हमारे पास और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के पास तिलकायतजी की बहुत सी शिकायतें आई। कुछ लोग तिलकायतजी के विरोध में हैं और कुछ लोग तिलकायतजी के सपोर्ट में हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कुछ लोग जेवरातों को लेने के पक्ष में थे····

एक माननीय सदस्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर, जान बूझ कर इस कमेटी को फैल कराया गया।

श्री मथुरादास माथुर : एवोइड किया गया····

श्री भैरोंसिंह : वह तो गवर्नमेंट ने भी किया।

श्री मथुरादास माथुर: गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है····

श्री भैरोंसिंह: आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वह मुख्य मंत्री के स्टेटमेंट के खिलाफ है।

श्री मथुरादास माथुर : यह मुख्य मंत्री के स्टेटमेंट के खिलाफ नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : सदन का समय पूरा हो रहा है। क्या सदन की यह अनुमति है कि सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

१५ मिनट का समय और बढ़ाया गया।

श्री मथुरादास माथुर : जब स्कीम ऑफ मेनेजमेंट नहीं बन सकी तब यह सोचा गया कि कानून बनाया जावे जिसके जरिये नाथद्वारे का प्रबन्ध टीक तरह से चलता रहे। मैं यह कहूंगा कि हम पूजा - पाठ में, भोग में, जलसों में त्योहारों में जो रिलीजियस राइट्स होते थे उनमें सिक्यूलर राइट्स में कोई दखल नहीं किया है। वे प्रोपरली उसी तरह से भोज किये जाते हैं, जिस तरह कि पहले किये जाते थे। अभी अभी

(श्री मथुरादास माथुर)

हाई कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया गया था और तिलकायतजी ने रिट पीटिशन की थी और उस पर हाई कोर्ट में बहुत लम्बी बहस हुई और हाई कोर्ट का १४० पेज का फैसला हुआ। कुछ धाराओं को अल्ट्रावर्स कहा।

अभी अभी अलवर से आने वाले साथी और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पहले लोगों को यहां से स्कॉलरशिप आदि दी जाती थी। ये सब बातें जो हमने कानून बनाया उसके अन्दर उसकी धारा २८ क्लॉज (२) में कहा था कि :

"Without prejudice to the purposes referred to in sub-section (1) the Board may, with the previous sanction of the State Government, order that the surplus funds of the temple be utilised for-

(a) the establishment of a university or a college in which special provision is made for the study of the Hindu religion, philosophy and Shastras generally or of the tenants of the Pushtimarg faith in particular and for promoting the cultivation of Indian arts and architecture ;

(b) promoting the study of Sanskrit and Hindi ;

(c) the establishment and maintenance of a hospital or a lepar asylum for the benefit of Hindus generally ;

(d) the construction and maintenance of a poor home for destitute persons professing the Hindu religion who are physically disabled and helpless ; and"

इस तरह का हमने भी प्रोविज़न रखा था। इसमें वही भावना जो आपने कही वह आती है। जब तिलकायतजी महाराज ने रिट में इस एक्ट को चैलेंज किया तो इसी सेक्शन को हाई कोर्ट से अलट्रावायरस डिक्लेअर कराया। माननीन सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, उनकी भावना और सरकार की भावना इस माने में एक थी। मगर तिलकायतजी ने हाई कोर्ट में आर्गुमेन्ट करके दो, तीन छोटी छोटी बातों को अलट्रावायरस कराया है। मैं यह कहूँगा कि वहाँ पर सही माने में मेनेजमेंट है, कोई मिसमेनेजमेंट नहीं है।

जयपुर से आने वाले माननीय साथी ने एक, दो बातें पुरानी कही। वे खुलासे से कहते तो मैं जाँच भी करता, पर मैं जानता हूँ कि उन दिनों में काफी मुकदमात आपस में चले, तो वकील मुकर्रर होते हैं। उनके वकील बाहर से आये थे तो टेम्पल बोर्ड को भी बड़े बड़े वकील बुलाने पड़ते हैं, वरना हम केसेज हारते हैं। टेम्पल एक्ट केवल हमने ही बनाया हो, ऐसी बात नहीं है। तीन, चार जगह बड़े बड़े एक्ट बने हुए हैं। बिहार में जगन्नाथपुरी का एक्ट है; उसको देख कर हमने बनाया है, बद्रीनारायणजी का एक्ट है यू० पी० में।

जहां तक वैष्णव धर्म का सम्बन्ध है, जिस तरह पूजा–पाठ से शांति रखना चाहते हैं उसमें हमें कोई दखल नहीं। पर तिलकायतजी या और कोई वहां की सम्पत्तिको हडपना चाहे तो वह नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। इस सदन में एक्ट पास किया है, ऑर्डिनेन्स बना है, इस सदन से कानून पास किया है, मजहब के मामले में कोई दखल नहीं। जो पैसा इकट्ठा

(श्री मथुरादास माथुर)

किया हुआ है, उस पैसे का दुरुपयोग न हो, वह पैसा समाज सेवा में लगे; यह हम चाहते हैं। यह बोर्ड सरकार का भी, समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं एक जानकारी चाहता हूँ : आपने कहा कि महाराज गोविन्दलालजी तिलकायत हैं और वे उस प्रोपर्टी का दुरुपयोग करना चाहते हैं तो क्या उस दुरुपयोग को रोकने के लिए तिलकायतजी को हटा कर उनके लड़के को मुकर्रर कर सकते हैं, ताकि दुरुपयोग नहीं हो और इस कानून की भी आवश्यकता नहीं रहे ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह अर्ज किया कि क्यों कानून बनाया, इसकी प्रोपर्टी मिस्यूज होती थी, बेटर मेनेजमेंट ऑफ टेम्पल हो, पूरा सेकुलर मेनेजमेंट ऑफ टेम्पल हो, उसमें कोई हमारा दखल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे दूसरे टेम्पल्स के बारे में कोई कानून है, दूसरी जगह सम्पत्ति का ट्रस्ट बना कर मण्डल बना दिया गया है और उस मण्डल में वे ही लोग हैं। तो क्या आप महसूस नहीं करते कि यहाँ पर भी उसी प्रकार का प्रबन्ध मण्डल हो और वही यहां की व्यवस्था करे ?

श्री मथुरादास माथुर : वैसे लोग भी इस बोर्ड में है, वे भी हैं, सरकार के कुछ अफसरान भी हैं जो पहले से चले आये हैं। तिलकायतजी ने बोर्ड बनाया था तो उसमें भी तिलकायतजी ने उनको रखा था।

श्री मुरलीधर व्यास : इसी सम्प्रदाय के चुने हुए लोग हों, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा कोई इलेक्टोरल कॉलेज तो है नहीं कि सभी को इकट्ठा करके चुनाव कराया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : दुर्व्यवस्था नहीं फैले, यह राज्य का उत्तरदायित्व है। पर साथ ही साथ धार्मिक भावों में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिये, यह भी राज्य का ही उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही साथ मन्दिर की सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं हो, इसकी व्यवस्था राज्य के निरीक्षण के द्वारा की जाय; पर अन्नकूट के दिन जहां प्रसाद वितरण होता है वहां लाश मिले तो यह मेनेजमेंट क्या है, यह मेरे खयाल से अपव्यय और मिसमेनेजमेंट की पराकाष्टा है। जहां तक हो सके सरकार के द्वारा जो ट्रस्टीज नियुक्त किये जांय वे भी वैष्णव सम्प्रदाय के माननेवाले हों। मैं सेक्युलरिज्म को मानता हूं, पर अन्य मजहब को मानने वालों को ट्रस्टी बनाते हैं नाथद्वारा में तो वह अवांछनीय है। ऐसी चीज को नहीं रहने देना चाहिये। वैष्णव सम्प्रदाय की राय लेकर ट्रस्ट बनावें, यही मेरा निवेदन है। तो इस प्रस्ताव में कहा गया है वैसा ट्रस्ट है वह निकम्मा है, इसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : जहां विरोधी दल के नेता ने बातें कही हैं, उसी भावना से यह बोर्ड बनाया गया है। उसमें जो ट्रस्टीज मुकर्रर किये जाते हैं वे हिन्दू रिलीजन को मानने वाले होने चाहिये और वैष्णव सम्प्रदाय को मानने वाले होने चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जहां तक मैंने सुन रखा है, सुबह कोई महानुभाव मिलने आये थे उन्होंने कहा कि एक ट्रस्टी जैन धर्म के अनुयायी हैं। तो धार्मिक भावना में ठेस पहुंचती है; हालां कि मैं तो इसको नहीं मानता, पर लोगों को ऐसा ख्याल हो जाता है ।

श्री मथुरादास माथुर : एक्स ऑफिशियो कोई ऑफिसर है और वह जैन है; यह हो जाय तो इसको बदल नहीं सकते ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक्स ऑफिशियो से मेरा मतलब यह नहीं है....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, जो प्रत्युत्तर गृह मन्त्रीजी ने दिया है उससे मुझे सन्तोष नहीं है। मैं मानता हूँ कि पुष्टिमार्ग वैष्णव सम्प्रदाय के सिद्धांत हैं या तो उनको हमारे गृह मन्त्रीजी नहीं समझे या हो सकता है जिस प्रकार का हस्तक्षेप श्रीजी की सेवा में हुआ उसकी पूरी जानकारी गृह मन्त्रीजी को नहीं है। जैसाकि गृह मन्त्रीजी ने कहा रिलीजियस भावना के सम्बन्ध में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हुआ। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि पुष्टिमार्ग वैष्णव सम्प्रदाय के लोग हैं वे अपने गुरू को हो सर्वेसर्वा मानते हैं। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती तब तक किसी मूर्ति की किसी भावना से पूजा करें, ऐसा नहीं है ।

हो सकता है कि कोई आचार्य सही रास्ते पर नहीं चले तो इसको रखा जाय, जैसा कि गृह मन्त्रीजी ने कहा कि दामोदरजी को हटा कर उनके लड़के को बैठाया गया। आचार्यों का एक बोर्ड बना हुआ है और दामोदरजी को हटाने के लिये उसी बोर्ड ने राय दी थी ।

तो बगैर आचार्य के दरअसल सही रास्ते पर न चले तो आचार्य को बदल कर उनके लड़के को बैठाया गया। जो सम्प्रदाय की मुख्य भावना थी, जो उसका मुख्य सिद्धान्त था उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार सम्प्रदाय के सिद्धांत को लेकर यदि किसी को असन्तोष था तो उसके लड़के को दूसरे वैष्णवों की राय से बैठाया जा सकता था। मेरी समझ में नहीं आ सकता कि श्रीनाथजी के भोग में बिल्ली की भिष्ठा जाय और क्या उदाहरण दूं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री विजयसिंह ने रखा है वे 'हां' कहे....

(हां)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह कहिये कि जो पक्षमें हों वे 'हां' कहें ।

श्री सभापति : जो 'हां' पक्ष में हों वे 'हां' कहें ।

(हां)

जो 'ना' पक्ष में हों वे ना कहें ।

(ना)

'ना' पक्ष जीता, 'ना' पक्ष जीता। संकल्प का प्रस्ताव गिर गया ।

(श्री सभापति)

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही म० प० ५-१० बजे, दिनांक ३ अप्रैल, १९६२ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, २६ मार्च, १९६२)

	स्तम्भ
तरांकित प्रश्नों के शीर्षक	१८४२
लगान वसूली के नियमों में संशोधन।	
राज्य में नये औषधालयों का खोला जाना।	
भू-स्वामियों से अवधि समाप्त होने से पूर्व उनको दी गई तकावियों की रकम की वसूली।	
बीकानेर डिविजन के खारे पानी वाले इलाकों की पानी की समस्या।	
हायर सेकिन्डरी स्कूल का खोला जाना-तहसील उदयपुरवाटी।	
नहर में आई हुई भूमि के मुआवजे का चुकारा-तहसील केशवरायपाटन।	
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था।	
नाथद्वारा में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना।	
पुनासा बांध योजना।	
समेलिया गांव के निकट बांध परियोजना की मांग।	
तहसील तिजारा में प्रथम श्रेणी के दण्ड-नायक के कार्यालय की पुनः स्थापना।	
दुलमेरा पत्थर की खान के सुधार की योजना।	
उदयपुरवाटी तहसील हेतु लघु सिंचाई योजना।	
सदन की मेज पर रखा गया पत्र	१८८१
श्री मथुरादास माथुर, गृह-मन्त्री ने टू-मेम्बर कॉन्स्टिट्यु येन्सीज (एबोलिशन) एक्ट, १९६१ की धारा ७की उप-धारा(२)के अन्तर्गत डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंटरी एण्ड एसेम्बली कॉन्स्टिट्युयेन्सीज ऑर्डर, १९६१ (The Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1961) को सदन की मेज पर रखा।	
गैर-सरकारी संकल्प	१८८१

(१) श्री कुमारानन्द (ब्यावर) ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"This House recommends to the State Government to move the President of India for the establishment of a permanent bench of the

High Court of Judicature for Rajasthan at Jaipur and to recommend to the Governor for the establishment of a temporary bench at Jaipur as an interim arrangement to meet the urgent needs of the litigating people".

इस संकल्प पर श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) ने निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत किये:—

"(1) the words, "and a circuit bench for Bikaner, Kota and Udaipur" be inserted between the words, "Rajasthan at Jaipur" and "and to recommend" occurring in fourth line of the resolution entered in the list of Business, and

"(2) the words "and a circuit bench for Bikaner, Kota and Udaipur" be inserted between the words "at Jaipur" and "and as an interim arrangement" occurring in sixth line of the resolution entered in the list of Business."

इस सम्बन्ध में किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री सतीशकुमार

(२) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

(३) श्री अमरसिंह (पचपद्रा)

(४) श्री मालमसिंह

(५) श्री रघुनाथ बिश्नोई

(६) श्री मथुरेशबिहारी

(७) श्री बृजसुन्दर शर्मा

(८) श्री भैरोंसिंह

(९) श्री निरंजननाथ आचार्य

(१०) श्री मुकुटबिहारीलाल

(११) श्री उमरावसिंह ढाबरिया

(१२) श्री शीशराम ओला

(१३) श्री भीमसिंह

(१४) श्री रामानन्द अग्रवाल

(१५) श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(१६) श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री)।

सरकार की ओर से मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने बहस का उत्तर दिया। तत्पश्चात् सदन की अनुमति से संकल्प संबंधित सदस्य द्वारा वापिस ले लिया गया।

(२) श्री विजयसिंह झाला, (नाथद्वारा) ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"इस सदन की सम्मति है कि नाथद्वारा टेम्पल एक्ट, १९५९ को रद्द किया जाय।"

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) ने संकल्प का विरोध व श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) ने समर्थन किया।

गृह मंत्री श्री मथुरादास माथुर के उत्तर के पश्चात् संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

सदन की बैठक ५ बज कर १० मिनट पर मंगलवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, ३ अप्रेल, १९६२ की कार्य-सूची

१) राजस्थान भू—धारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारार्थ)

२) राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ (खण्डशः विचार-विमर्श)।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, २ अप्रेल, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१८६१	अन्तिम पंक्ति	श्री परसरा मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
१८७७	६	व्ययस्था	व्यवस्था
१८८३	११	जव	जब
१८९०	११	थे कि और	थे और
१८९२	२४	minates	minutes
१९०३ व १९३३	शीर्षक	कोर्ट बैंच	कोर्ट बैंच
१९०५	५	Chief Justices,	Chief Justice's
१९०५	६	Cthe abinet	the cabinet
१९१६	३—४	मुख्य मंत्री होते होते	मुख्य मंत्री होते
,,	११	आपत्त्किारक	आपत्तिकारक
१९१९	१	अध्यत्त	अध्यत्त
,,	अन्तिम से २	चलना हो	चलाना हो
१९२१	७	स्थानपना	स्थापना
१९२२	२९	विली करण	विलीनीकरण
१९२३	२५	सदस्यों ज़नता	सदस्यों द्वारा जनता
१९२६	२६	स्टेटस	स्टेट्स
१९२८	१७	बैंचेज़	बैंचेज
१९३३	४	Govenmant	Government
१९३४	१८	reyly	reply
१९३५	२	all States	all the States
,,	२७	deted	dated
१९३६	१९	इन्ट्रीग्रेशन	इन्टीग्रेशन

१	२	३	४
१६४०	१५	हुआ और	हुआ है और
१६४१	अन्तिम पंक्ति	स्पोर्मैर्टसन	स्पोर्ट्समैन
१६४६	२६	कहां कि	कहा कि
१६५१	२०	इन्ट्रीग्रेशन	इन्टीग्रेशन
१६५५-५६	शीर्षक	१ अप्रेल	२ अप्रेल
१६५६	१०-११	निवे-निवेदन	निवेदन
१६५७	२१	कौने-कौने	कोने-कोने
,,	अंतिम से ३	बैंच	बैंच
१६५८	अंतिम से ४	कस्ने	करने
१६५६	अन्तिम पंक्ति	जितने के	जितने
१६६२	६-७	वहां तक तक	वहां तक
,,	१८	लोगों का	लोगों को
१६६४	१०	वैठने	बैठने
१६७०	२०	डिस्कशन	डिस्कशन
१६७८	१	पार्टी	पार्टी
१६८२	३०	जस्टिटस	जस्टिस
१६८३	३	तो भी यह	तो यह भी
१६८७	६	से ही ही हमें	से ही हमें
,,	२५	में बंटा हुआ	बंटा हुआ
१६६६	२४	(रयसिंहनगर)	(रायसिंहनगर)
१६६७	२६	माननीय (मुख्य मंत्री)	माननीय मुख्यमन्त्री
१६६६	२३	रिपोटं	रिपोर्ट
२००१	३	थी जहां	को कि जहां
२०१०	१-२	हुए हैं। मैं नहीं समझता कि..... तो फोन के रिसीवर ने कहा कि वे अभी पोढ़े	तो फोन के रिसीवर ने कहा कि वे अभी पोढे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि........................

१	२	३	४
२०११	१	फौन	फोन
२०१७	३	घन्टी	घन्टी
२०१८	५	श्री समापति	श्री सभापति
२०१९	१७	फार्मिक	धार्मिक
२०२०	२५	विपर्रीत	विपरीत
२०२४	२४	गिरधरीलालजी	गिरधारीलालजी
,,	२५	श्री मोगुकप्रसाद	श्री गोकुलप्रसाद